खण्ड-216, अंक-9
शुक्रवार, 18 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(9 सितम्बर, 1960 ई0)

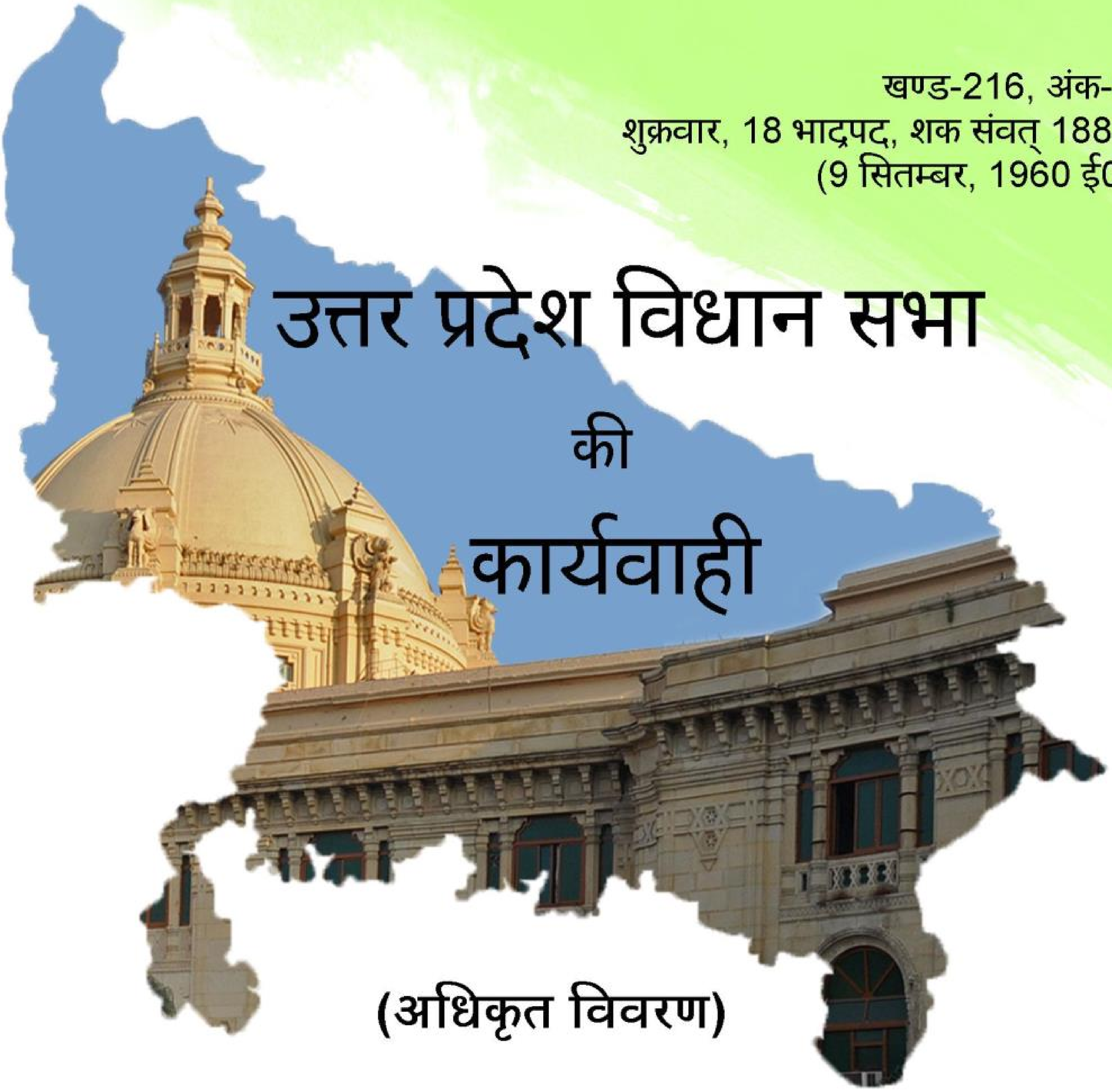

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 216 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजर्रार जाफ़री, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली ख़ां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
ज़रगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

मेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री

राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह श्री,
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री

श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्राइस कंट्रोल

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को अभी हाल ही में 'प्राइस-कंट्रोल' करने के सम्बन्ध में कुछ उपाय सुझाये हैं? यदि हां, तो क्या?

**२—क्या उन सुझावों में से एक सुझाव यह भी है कि प्रत्येक दुकानदार से दूकान में कीमतों को लिख कर प्रदर्शित करने को कहना चाहिये?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—प्रधान मंत्री का एक गश्ती पत्र मुख्य मंत्री के नाम आया था। उसमें इस बात का चर्चा था। उस पर विचार हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो गश्ती पत्र आया है उसमें क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—प्रधान मंत्री के पास से मुख्य मंत्रियों के पास अक्सर गश्ती चिट्ठियां आया करती हैं जिनमें राजनीतिक और बहुत सी बातें इसके अलावा भी रहती हैं। अभी हाल में एक पत्र आया था और उसमें थोड़ी सी चर्चा इस विषय की थी और बाकी बहुत सी बातें थीं जिनका प्राइस कंट्रोल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह प्राइस कंट्रोल के बारे में जो सुझाव आये थे वह स्पष्टतः क्या थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जितना इसमें लिखा है उसके ही मुताल्लिक अपना खयाल जाहिर किया था कि यदि दूकानों पर इस प्रकार की तख्ती लगा दी जाय कि जिससे पता लग सके कि दूकान पर क्या-क्या चीज किस किस भाव पर मिल रही है तो दूकानदार ज्यादा दाम न ले सकेंगे और इस तरह से कुछ प्राइस कंट्रोल हो जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—इस सुझाव के अलावा स्वतः प्रादेशिक सरकार कीमतों को कम करने के कुछ उपाय कर रही है? यदि हां, तो क्या?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सवाल ऐसा नहीं है कि अकेले कोई एक राज्य सरकार इसको तय कर सके। प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसका एक सदस्य मैं भी हूं। उस कमेटी की दो तीन बार मीटिंग हो चुकी है और अब की १४ सितम्बर को फिर मीटिंग है। उसमें व्यापक दृष्टि से, सारे देश की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार होता रहा है और फिर विचार होगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उक्त पत्र में जो सुझाव आया है उसके अनुसार क्या दूकानदारों को आदेश दे दिये गये हैं और क्या उसका पालन हो रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसमें प्रश्न यह उठता है कि हम मौजूदा कानून के मुताबिक उनको बाध्य कर सकते हैं या नहीं। इस बात की जांच-पड़ताल की जा रही है और जब उसके लिए अधिनियम बनेगा तभी उसके मुताबिक काम होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए प्राइस कंट्रोल कमेटी में कोई ऐसा सुझाव रखा है कि वे अपने प्रदेश में कोई प्राइस का कंट्रोल करना चाहते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, वह कमेटी इसी के लिये है और सभी उसमें अपने-अपने सुझाव रखते हैं और हर प्रदेश के प्रतिनिधि अपने प्रदेश और सारे देश के हित का ध्यान रखते हुए अपने सुझाव पेश करते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यू० पी० सरकार ने केन्द्र को कोई ऐसे सुझाव दिये हैं या उन्होंने विचार करके कुछ ऐसा निश्चित किया है कि जिससे इस प्रदेश में प्राइस कंट्रोल हो सके और क्या यहां प्राइस इस्टैबिलाइजेशन बोर्ड बनाने का भी उनका विचार है?

श्री अध्यक्ष—यदि बतलाना उचित समझें तो माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रकार की बातों का बतलाना इस समय उचित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राइस कंट्रोल पर जो वह विचार करने जा रहे हैं उसमें वह कब तक अन्तिम निर्णय ले लेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह कहना बहुत कठिन है। प्राइस कंट्रोल का सवाल इतना सहल नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन न होना

****३—श्री प्रतापसिंह**—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रादेशिक सरकार ने प्रदेश की विधान सभा के क्षेत्रों के डिलिमिटेशन की सिफारिश केन्द्रीय सरकार को की है? यदि हां, तो कब तक डिलिमिटेशन हो जायेगा?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जी नहीं।

श्री प्रतापसिंह—गत सप्ताह के माननीय गृह मंत्री जी के बयान को देखते हुए कि डबल मेम्बरशिप कान्स्टीट्यूएन्सी न होकर रिजर्व सीट का अलग डिलिमिटेशन हो, सरकार अपनी सिफारिश केन्द्रीय सरकार को करेगी कि डिलिमिटेशन हो?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं प्रश्न कर्ता महोदय का ध्यान आर्टिकल १७० (३) की ओर दिलाना चाहता हूं, वह उसे देख लें। जब तक पार्लियामेंट ऐसा कानून न बना दे, डिलिमिटेशन का सवाल ही नहीं उठता।

श्री उग्रसेन—क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार से यह पूछा था कि जो भी दो सदस्यों वाली कान्सटीट्यूएन्सी हैं, हरिजनों के लिये, उनको एक कर दिया जाय? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या राय दी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब इस समय तो याद नहीं है, फिर बता देंगे यदि पूछेंगे तो।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यह आवश्यक नहीं समझती कि डिलिमिटेशन होना चाहिये?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं है। सेण्ट्रल गवर्नमेंट इसको नियत करती है, वही उसको चेञ्ज कर सकती है।

सचिवालय के कुछ लोअर डिवीजन असिसटेंट्स को सेवा मुक्त करना

****४—श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय सरकारी सचिवालय के विभिन्न विभागों में जो लोअर डिवीजन असिस्टेंट्स हैं क्या उनमें से कुछ लोगों को सेवा मुक्ति की नोटिस दी गई है? यदि हां, तो कितने लोगों को और किस-किस विभाग से तथा क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

कुल ९ सहायकों को। वे गृह, शिक्षा, कृषि, स्वायत्त शासन, न्याय तथा उद्योग सचिव की शाखाओं में कार्य कर रहे थे।

इनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी।

****५—श्री मुक्तिनाथराय**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सम्बन्धित विभाग में उक्त व्यक्तियों की सर्विस की अवधि कितने-कितने वर्षों की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन सहायकों की सर्विस की अवधि लगभग ६ वर्ष से लेकर १८ वर्ष की थी।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है उनके स्थान समाप्त कर दिये गये हैं या उनके स्थान पर दूसरों की नियुक्ति की गयी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्थान समाप्त नहीं किये गये हैं लेकिन यह लोग उन स्थानों पर नहीं रखे गये।

श्री मुक्तिनाथराय—जिन लोगों को निकाला गया है उनके खिलाफ क्या रिपोर्ट विभाग से प्राप्त हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक-एक आदमी के बारे में ब्योरेवार रिपोर्ट है, उसका बतलाना तो सम्भव है नहीं, लेकिन उन सब बातों को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि वे योग्य नहीं थे।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इन लोगों की नियुक्ति के समय कम से कम जो अपेक्षित योग्यता होती है उसको ध्यान में रखा गया था, या किसी इमरजेन्सी में इनको रख लिया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो लोग टेम्पोरेरी रखे जाते हैं उनमें कुछ न कुछ मिनिमम योग्यता देखी जाती है, किन्तु बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इम्तहान होता है। १००३ कर्मचारियों की परीक्षा ली गयी थी जिसमें ९५ फेल हो गये थे। इनमें यह लोग भी थे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा कि इनको निकाल दिया जाय क्योंकि यह लोअर डिवीजन के पदों पर कार्य करने योग्य नहीं है। फिर हमने इनको एक चान्स और दिया और इनका टाइपिस्ट का टेस्ट लिया यह सोच कर कि यह लोग न निकाले जा सकें। इस टेस्ट में भी यह लोग फेल हो गये। इस तरह से दो दो बार इनको मौका दिया गया और जितनी रियायत दी जा सकती थी दी गयी। फिर भी वे पास नहीं हुए और उनको निकाल दिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर इनकी पुरानी सेवाओं को देखकर उद्योग विभाग में डायरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीज में या दूसरे सचिवालय के दफ्तरों में इन लोगों को जगह देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने निवेदन किया कि दो-दो बार फेल हो गये। अगर यह माना लिया जाय कि उद्योग विभाग में, जो किसी काम के लायक नहीं है उनको वहां रख लिया जाय तो इसको तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

फैजाबाद नगरपालिका को अवक्रान्त करने का नोटिस

****६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद नगरपालिका को सरकार ने इस तरह की नोटिस दी है कि १५ दिन के अन्दर जवाब न देने पर नगरपालिका जब्त कर ली जायगी ? यदि हां, तो इस तरह की नोटिस देने के क्या कारण हैं ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—२२ अगस्त, १९६० को सरकार ने नगरपालिका फैजाबाद को एक नोटिस जारी किया तथा उनसे कहा कि वह नोटिस प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर नोटिस के संलग्न आरोप-पत्र में उल्लिखत आरोपों के संबंध में सरकार को अपना स्पष्टीकरण दे कि बोर्ड को उक्त आरोपों के आधार पर क्यों न अवक्रांत कर दिया जाय। नोटिस में यह भी लिखा था कि यदि नगरपालिका ने निर्धारित समय के अन्दर अपना स्पष्टीकरण न दिया तो यह अनुमान किया जायेगा कि ब्रोर्ड के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उक्त नोटिस जारी करने का कारण यह है कि जिलाधीश, फैजाबाद ने शासन को यह सूचित किया कि नगरपालिका फैजाबाद की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गई है जिसके फलस्वरूप पालिका अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गई है।

****७—श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नोटिस में यह भी लिखा गया है कि २ लाख जल विद्युत विभाग का सरकारी कर्जा तथा कर्मचारियों के प्रावीडेंड फन्ड का रुपया नगरपालिका ने जमा नहीं किया है ?

श्री जयराम वर्मा—नोटिस से संलग्न आरोप-पत्र में दो आरोप इस आशय के भी हैं कि पिछले चार महीने से नगरपालिका फैजाबाद ने अपने कर्मचारियों का प्रावीडेन्ट फन्ड जो कि हर माह जमा किया जाना चाहिये था, जमा नहीं किया व नगरपालिका ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का २,२३,३२६ रुपये २६ नये पैसे का भुगतान नहीं किया है जिसके कारण स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पालिका को बिजली न देने की धमकी दी है।

श्री ऊदल—जिलाधीश ने जो सूचना सरकार को दी वह कब दी और जिलाधीश को कब मालूम हुआ कि फैजाबाद म्युनिसिपैलिटी की खराब हालत है ?

श्री जयराम वर्मा---यह सूचना उन्होंने २० जुलाई, १९६० को दी और उसके पहले एक दिन या उसी दिन प्रेसीडेंट ने खुद आकर बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गयी है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अब उसे कैसे चलाया जाय।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस फैजाबाद म्युनिसिपैलिटी के ऊपर सरकार का भी कुछ कर्जा है ? अगर है तो कितना ?

श्री जयराम वर्मा---कर्जा तो वाटर वर्क्स और ड्रेनेज के लिये दिया गया है। अब इस वक्त रकम बताना कि कुल कितना कर्ज है, संभव नहीं है। बकाया की रकम बतलायी जा सकती है कि किस्तें कितनी बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष---वही पूछ रहे हैं कि कितना बाकी है।

श्री जयराम वर्मा---२ लाख, ९९ हजार, कुछ सौ रुपया किस्तों का बाकी हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि २२ अगस्त को जो दो सप्ताह का नोटिस दिया गया था, यह अवधि समाप्त हो चुकी है, तो अब तक फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड ने सरकार के पास स्पष्टीकरण कोई भेजा जो मांगा गया था ? यदि नहीं, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां, मालूम ऐसा हुआ है कि स्पष्टीकरण भेज चुके हैं बल्कि उसकी एक कापी उन्होंने मुझे भी आज दी।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्पष्टीकरण जो सरकार के पास भेजा जा चुका है उसको देखने के बाद क्या सरकार ने, उनको जो आदेश दिये थे और जो कदम उनके विरुद्ध उठाने का निर्णय किया था उसको स्थगित कर दिया है फिलहाल या क्या कार्यवाही इस समय की जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा---अभी उसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि अभी उनके जवाब को अच्छी तरह से एग्जामिन नहीं किया गया है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह जवाब आ भी गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---वह तो कहते हैं कि जवाब आ गया है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दो लाख ९९ हजार का बकाया है वह कब से बकाया है ?

श्री जयराम वर्मा---इधर की जो किस्तें उनको वाटर वर्क्स और ड्रेनेज के कर्जे के संबंध में देनी थीं वह नहीं दे पाये हैं।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २,२३,३२६ रु० एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का उन पर बकाया है यह कब से बकाया है और क्या एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कोई कार्यवाही फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ की और क्या सरकार को भी उसकी सूचना दी ?

श्री जयराम वर्मा---इसमें खुद ही कहा गया है कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने धमकी दी है कि अगर रुपया नहीं देते ह तो एलेक्ट्रिसिटी बन्द कर दी जावेगी।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार समझती है कि जिन बोर्डों के खिलाफ इस तरह की रकमें बाकी हैं उन सभी को सस्पेन्ड कर दिया जायगा, मुअत्तल कर दिया जायगा या सिर्फ फैजाबाद के लिये ही यह बात सरकार के विचाराधीन है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—देखा जाता है कि कोई म्युनिसिपल बोर्ड दे सकता है या वह आशा दिलाता है कि वह आर्थिक संकट को पार कर जायगा तो उसको छोड़ दिया जाता है लेकिन जो घुटने टेक बैठते हैं कि हमारी सामर्थ्य के बाहर है तो उनको खत्म कर दिया जाता है।

श्री ऊदल—क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में भी फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को कुछ अनुदान या कर्जा दिया है ?

श्री जयराम वर्मा—अनुदान तो हर साल सड़कों के संबंध में हर म्युनिसिपल बोर्ड को दिये जाते हैं, उसी तरह से फैजाबाद को भी दिया गया है। उन्होंने कुछ क्वार्टर्स के लिये भी कर्जा मांगा था वह कर्जा भी दिया गया है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड जिस स्तर का है उस स्तर के म्युनिसिपल बोर्डों को पिछले साल जो अनुदान दिये गये उससे बहुत कम फैजाबाद को दिया गया है और इस कारण से भी उसकी आर्थिक स्थिति और गड़बड़ हो गई है ?

श्री जयराम वर्मा—कायदे से जितना फैजाबाद को मिलना चाहिये था उतना ही दिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को क्वार्टरों के लिये जो रुपया दिया गया था उसको भी उन्होंने क्वार्टरों के लिये उपयोग नहीं किया ?

श्री जयराम वर्मा—क्वार्टरों के बनाने के लिये अभी शायद जमीन नहीं तय कर पाये हैं इसलिये बनना नहीं शुरू हुआ है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार को यह मालूम है कि फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड की आमदनी बहुत घट गई है और आमदनी घटने का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने अपनी टैक्स की नीति बदल दी है और जिसमें सरकार का खुद हाथ रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—उन्होंने शेड्यूल आफ रेट्स कुछ नीचे कर दिये हैं। उनका खयाल था कि उनकी आमदनी घटेगी नहीं लेकिन परिणाम यह देखा गया कि आमदनी घट गई। अब सूचना है कि उन्होंने फिर से शेड्यूल को तब्दील कर दिया है आमदनी बढ़ाने के लिये।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—क्या सरकार इस पर गौर करेगी कि उनको अपना शेड्यूल बढ़ाने की इजाजत दे दे ताकि उनकी आमदनी बढ़ जाय और तब तक के लिये जब्ती रोक रखें ?

श्री जयराम वर्मा—उनका जवाब देखा जायगा और सारी बातों पर विचार किया जायगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

कोसी कलां, रेलवे स्टेशन पर पुलिस कान्स्टेबिल द्वारा महिला के साथ बलात्कार

*१—**श्री रामसुन्दर पाडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मथुरा जिलान्तर्गत कोसीकलां रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार करने और कुछ जनता द्वारा ट्रेन रोकने की घटना २८ जुलाई, १९६० को हुई है ? यदि हां, तो क्या वह उसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूपयादव)—जी हां, विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७८ पर।)

श्री राम सुन्दर पान्डेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कांस्टेबिल इस समय काम कर रहा है या मुअत्तल है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसके खिलाफ ३७६ आई० पी० सी० का मुकदमा दर्ज हो गया था और वह गिरफ्तार कर लिया गया था। मुझे ठीक खबर तो नहीं है लेकिन गिरफ्तार हुआ तो सस्पैन्ड ही होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उस समय और भी सरकारी कर्मचारी स्टेशन पर थे या वही अकेला था ?

श्री राम स्वरूप यादव—जब ये लोग गाड़ी से उतरे तो अपने क्वार्टर में चले गये। देवी के पति को बाजार भेज दिया और बलात्कार किया। उसके वापस आने पर और शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मेरी सूचना है कि किसी और के खिलाफ शिकायत नहीं थी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—वह कांस्टेबिल जमानत पर है या हिरासत में ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस चाहिये।

श्री प्रताप सिंह—क्या यह सही है कि वह प्रतिष्ठित महिला तीन माह से गर्भवती थी और बलात्कार से रुधिर बहकर वह बेहोश हो गई ? यदि हां, तो उसका इलाज कराया गया?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, यह सही है। उसे अस्पताल भेजकर इलाज भी कराया गया।

*२-३—**श्री प्रतापसिंह तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—[हटा दिये गये।]

फर्रुखाबाद में कथित गोलीकांड

*४—**श्री गौरीशंकर राय तथा श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ११ अगस्त, १९६० को फर्रुखाबाद में पुलिस द्वारा गोली चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो क्या वह मृतकों, घायलों की संख्या तथा गोली चलाने का कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। फर्रुखाबाद में इस प्रकार की कोई घटना ११ अगस्त को नहीं हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री गौरीशंकर राय—क्या ऐसी कोई घटना १२ अगस्त को हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—कह नहीं सकता हूं।

उजियारपुर घाट पर गंगा नदी में कथित नौका दुर्घटना

*५—**श्री ऊदल तथा श्री गौरी शंकर राय**—क्या सरकार को पता है कि ९ या १० अगस्त, १९६० को बलिया के उजियारपुर घाट पर गंगा नदी में यात्रियों से लदी नाव डूब गई जिसमें २६ व्यक्ति डूब गये ? यदि हां, तो डूबने का कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—बलिया जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में एच० टी० सी० की ट्रेनिंग के लिए चुनाव में अनिमियतता की शिकायत

*६—श्री मुक्तिनाथराय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस वर्ष आजमगढ़ जिले से नार्मल (एच० टी० सी०) की ट्रेनिंग के लिये उक्त जिले के चुनाव बोर्ड ने योग्यताक्रम से अभ्यर्थियों की एक सूची डिप्टी डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, गोरखपुर के पास भेजी थी ? यदि हां, तो क्या उस सूची की प्रतिलिपि सरकार सदन के संमुख रखने की कृपा करेगी ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—नामीनेशन कमेटी (Nomination Committee) यानी चुनाव बोर्ड ने सात सूचियां जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मन्डलीय उप शिक्षा संचालक, गोरखपुर को भेजी थी। †सूचियां प्रस्तुत हैं।

*७—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिले से भेजी गई उपर्युक्त सूची में से कितने व्यक्ति डिप्टी डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, गोरखपुर द्वारा एच० टी० सी० के लिये चुने गये ? क्या सरकार उनके नाम व योग्यता सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—९२ अभ्यर्थी स्थानापन्न उप शिक्षा संचालक, गोरखपुर द्वारा चुने गये। इन ९२ अभ्यर्थियों की† सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इसमें अभ्यर्थियों के नाम तथा उनकी योग्यतायें अंकित हैं।

*८—श्री मुक्तिनाथराय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् के कुछ सदस्यों ने उक्त चुनाव संबंधी अनियमितताओं के बारे में जुलाई व अगस्त, १९६० में शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश एवं सरकार के पास कोई शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां, भेजा था। उस पर छानबीन हो रही है।

श्री मुक्तिनाथराय—उत्तर में लिखा है कि ९२ अभ्यर्थी स्थानापन्न उपशिक्षा संचलक, गोरखपुर द्वारा चुने गये। जो सूची दी गई है उनमें आजमगढ़ और मोहम्मदाबाद गोहना के मिलाकर होते हैं १५१, स्टीपेंडरी और नान स्टीपेंडरी, यह कैसे हुआ ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—मेरे यहां तो सूची ९२ की ही है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नामीनेशन कमेटी ने योग्यता क्रम से सूची भेजी है जिनमें इंटर पास लगभग ९५ विद्यार्थी हैं, और ऐसे ही ३७ व ८२ हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल पास हैं। किन्तु लिस्ट देखने से मालूम होता है कि १६ व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल जूनियर हाई स्कूल और थर्ड डिवीजन में हैं। ये कैसे चुने गये ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—नीचे की योग्यता तो जूनियर हाई स्कूल ही है। लेकिन इंटर और हाई स्कूल पास भी आते हैं तो उनको ले लिया जाता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—सूची से ऐसा मालूम होता है कि थर्ड डिवीजन के बहुत लोग लिये गये हैं और फर्स्ट और सैकिन्ड डिवीजन के छोड़ दिये गये हैं। क्या मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे कि ऐसा क्यों हुआ ?

---

†सूचियां छापी नहीं गयीं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—इसकी जांच डाइरेक्टर स्वयं कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव पड़ता है और उसके कारण ऐसा हो जाता है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह प्रभाव किन लोगों का पड़ता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आदरणीय सदन के माननीय मित्रों का। और किसका पड़ता है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री शिक्षा संचालक को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिन विधायकों ने इस सूची के संबंध में शिकायत की है उनके भी बयान वह लें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस मामले में थोड़ा बहुत नियमों के विरुद्ध अवश्य हुआ है, इसलिये उसकी जांच कराने की कोशिश की जा रही है। नियम ऐसा है कि जिले की समिति जिन नामों को संस्तुत करके भेजे उन्हें डिप्टी डाइरेक्टर को स्वीकार करना चाहिये। अगर किसी कारण से वह अस्वीकार करे तो उसे कारण लिखना चाहिये। इस पद्धति का इसमें पालन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में जांच आवश्यक हो गई है जो हो रही है। जैसा उसका परिणाम निकलेगा, उस तरह की कार्यवाही की जायगी।

श्री ऊदल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंटर और हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के लिये कुछ परसेंटेज रखने की वह सोच रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस संबंध में, मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे एच० टी० सी० है, हमारे पास करीब १०० विद्यालय हैं। सरकार की ओर से भी नामीनेशन होता है ५०० का और हमारे पास १०,००० दरख्वास्तें हैं। तो कैसे परसेंटेज हो, यह तय हो नहीं सकता है। जूनियर हाई स्कूल उसकी मिनिमम क्वालीफिकेशन है लेकिन कभी-कभी उससे अधिक क्वालीफिकेशन के लोग भी ले लिये जाते हैं, कभी नहीं भी लिये जाते हैं। जूनियर हाई स्कूल वालों को इसलिये मौका दिया जाता है कि इन्टरमीडियेट तो सी० टी० और जे० टी० सी० में भी जा सकते हैं। लोअर क्वालीफिकेशन वालों के स्थानों पर अगर अपर क्वालीफिकेशन वालों को ही ले लिया जायगा तो लोअर क्वालीफिकेशन वालों के लिये कोई स्थान ही नहीं रहेगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी थर्ड डिवीजन वाले विद्यार्थियों के लिये इसलिये स्थान सुरक्षित करने की कृपा करेंगे कि अब तो थर्ड डिवीजन ही पास होते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रतिशत तो तय नहीं कर रहे हैं लेकिन यह सोचते हैं कि कभी-कभी थर्ड डिवीजन वाले अधिक प्रतिभाशाली होते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अगर जांच में यह बात सही पाई गई कि सूची ठीक नहीं बनाई गई थी तो क्या उन विद्यार्थियों को जिनकी संस्तुति परिषद् से की गई थी उनको प्रशिक्षण में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह इसलिये संभव नहीं है कि रिपोर्ट जब तक आयेगी तब तक बहुत देर हो जायगी। उस वक्त उनको भेजना भी उन्हीं के लिये अहितकर होगा।

[९ सितम्बर, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पलही पट्टी गांव की डकैती में श्री राजाराम की पुत्र सहित हत्या

*१—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव पलही पट्टी, थाना चोलापुर, जिला वाराणसी में तारीख २२ या २३ जून, १९६० को करीब ८ बजे रात श्री राजाराम के यहां भीषण डकैती हुई और राजाराम तथा उसके लड़के देवनाथ को डाकुओं ने गोली मार दी जिससे उनकी तुरन्त मृत्यु हो गई और १२–१४ व्यक्तियों को बुरी तरह मार कर घायल कर दिया? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? कुछ लोग पकड़े गये कि नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। श्री राजाराम को बल्लम से तथा उनके लड़के को बंदूक के छर्रे से चोट पहुंचा कर मार डाला। अन्य १४ आदमियों को भी चोटें आईं। इसका मुकदमा कायम हो, विवेचना की जा रही है। अब तक आठ अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं व ३ स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए हैं।

*२—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त डकैती में कितने रुपये की लूट हुई?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त डकैती में कुल १३,१२५ रु० (तेरह हजार एक सौ पच्चीस रुपये) के जेवर, कपड़े और नकद डाकुओं द्वारा लूटे गये।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस डकैती के कितने डकैत अब तक पकड़े गये और कितने अभी पकड़ने के लिए बाकी हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने अभी निवेदन किया कि ८ गिरफ्तार हुए और ३ हाजिर हो गये। इस प्रकार ११ में से १० जेल में हैं और १ जमानत पर है। और भी कोशिश की जा रही है कि माल व मुल्जिमान जहां कहीं मिल जायं उनको गिरफ्तार किया जाय। कुल डकैत २०–२५ थे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बतायेगी कि जो आदमी गोली से मारे गये और १४ घायल हुए वे उसी गांव के थे या किसी दूसरे गांव के?

श्री रामस्वरूप यादव—एक ही घर के थे। बाप बेटे थे।

श्री टीकाराम पुजारी—क्या सरकार बतायेगी कि डकैत कितने थे?

श्री रामस्वरूप यादव—१५–२० डकैत थे।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन राजाराम और उनके लड़के को डाकू ने मार दिया तो क्या उनके परिवार वालों को सरकार ने कोई सहायता दी, क्या सरकार उनको बंदूक वगैरह देने की व्यवस्था कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं बंदूक देने का काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का है लेकिन हम नहीं जानते कि उन्होंने उनको कोई दरख्वास्त भी दी है या नहीं। फिर भी मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की सहायता होनी चाहिये।

*३–५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[हटा दिया गये।]

खाल गांव में कलेक्शन अमीन व चपरासी का कत्ल

*६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—१९–२–६० के तारांकित प्रश्न संख्या १० के लिखित और पूरक उत्तरों के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि दिनांक ११–९–५९ को तारांकित प्रश्न संख्या १२–१३ के उत्तर में बताया गया था कि १२ जुलाई, १९५९ को ग्राम खालगांव, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर में कलेक्शन के अमीन और उसके चपरासी की हत्या हुई है परन्तु दिनांक १६–२–६० को दी गई तालिका में जुलाई, १९५९ में कत्ल की केवल एक घटना दिखाई गई है?

श्री रामस्वरूप यादव—जुलाई, १९५९ में उक्त थाने के अन्तर्गत कत्ल की केवल एक ही घटना हुई जिसमें कलेक्शन अमीन और उसके चपरासी का कत्ल हुआ । दिनांक ११-९-५९ को दिये गये उत्तर में कत्ल किये गये व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था और दिनांक १९-२-६० को दी गई तालिका में केवल घटनाओं की संख्या बताई गई थी ।

जियनपुरवा डकैती सम्बन्धी जांच

*७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—विधान सभा के वर्तमान सत्र में दिनांक २६ जुलाई, १९६० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २-३ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, सीतापुर के यहां दिनांक ३-६-६० और ९-६-६० व जून, १९६० की किसी अन्य तारीखों में ग्राम जियनपुरवा मशमूले रघवापुर भरथर में पड़ी डकैती से सम्बन्धित कुछ लोगों के बयान टेप रिकार्ड हुये हैं ? यदि हां, तो वे बयान क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्नकर्त्ता महोदय ने स्वयं जिलाधीश से टेप रिकार्ड करने की प्रार्थना यह कहकर की थी कि उसके संबंध में वे कोई कार्यवाही न करें । उनकी प्रार्थना पर कथित डकैती के संबंध में प्रश्नकर्त्ता महोदय द्वारा पेश किये गये दो व्यक्तियों के बयान भिन्न तारीखों में रिकार्ड किये गये थे । चूंकि बयान शपथ पर नहीं लिये गये थे अतः टेप रिकार्ड कायम रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई और उन्हें मिटा दिया गया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी उन व्यक्तियों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिनके कि ये बयान टेप रिकार्ड हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक तो सोसाइटी के प्रधान हैं श्रीमन्, और एक शख्स जिनके यहां डकैती पड़ना बतलाया गया था ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों के बयान का कोई भी अंश सुरक्षित नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह टेप रिकार्डर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की निजी सम्पत्ति थी । जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा उन्होंने करा ली थी । उसका कोई अंश भी अब बाकी नहीं है, श्रीमन् ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस टेप रेकार्डर पर बयान लिये गये वह माननीय जिलाधीश का था जो वह हमेशा अपने पास रखते थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जिलाधीश का था । प्रश्नकर्त्ता महोदय ने स्वयं जिलाधीश से यह कहा था कि वहां डकैती हुई है और इस बारे में कुछ लोगों के बयान आप ले लें, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही वगैरह न की जाय । वे कलेक्टर के सामने गये और उनके सामने उनके बयान हुये लेकिन वे बयान ओथ पर नहीं हुये और बाद में वे टेप रेकार्डेड बयान मिटा दिये गये । स्मृति पर उन्होंने यह बात बतलाई, उसकी कोई लीगल वेल्यू नहीं है क्योंकि ओथ पर बयान नहीं हुये थे ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर का स्थानान्तरण हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह इस समय बताना मुश्किल है, वह प्रश्न इस समय था नहीं, सूचना दे दीजियेगा तो मंगा लेंगे ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—टेप रिकार्डर पर जो बयान रिकार्ड किया गया था वह जिलाधीश ने क्यों मिटा दिया, क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कारण यह था कि उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं थी । जो उन्होंने रिकार्ड किया था वह उन्होंने लिख लिया कि क्या बात थी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—इस मामले की सर्वप्रथम जांच डिप्टी एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) ने की, उसके बाद दूसरे अधिकारी ने जांच की, और टेप रिकार्ड हुआ वह उपलब्ध नहीं है, तो इस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी प्रदेश की सी० साई० डी० से पुन : जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, यह ऐसा प्रश्न है जो १०–१५ दिन पहले पूछा जा चुका है इस हाउस में और सारे जवाब दिये जा चुके हैं। वास्तव में एस० डी० एम० ने कलेक्टर के हुक्म से जांच की और इसलिये की कि डी० एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) जब जांच करने के लिये गये तो उन्होंने एस० पी० को लिखा कि जिस बात की जांच करने के लिये यह शिकायत है वह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। शिकायत यह थी कि डकैती हुई और उसे दर्ज नहीं किया गया। तो यह अपराध छिपाने की शिकायत थी, उसकी जांच डी० एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) नहीं करते हैं, इसलिये उन्होंने वापस की। कलेक्टर ने प्रश्नकर्त्ता महोदय के कहने पर एस० डी० एम० से जांच कराई इस आदेश के साथ कि पुलिस को तुम्हारी जांच का पता न लगने पाए। उन्होंने रिपोर्ट दी। उसके बाद अब सी० आई० डी० से जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठता॥

श्री प्रतापसिंह—जब वह बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिये गये और मजिस्ट्रेट के सामने दिये गये बयान को लीगल वैल्यू दी जाती है, तो अगर उसकी लीगल वैल्यू थी तो क्यों मिटाया गया ?

श्री अध्यक्ष—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यहां सामने बुलाकर तो उन्हें पूछ नहीं सकते कि क्यों मिटा दिया। जो जवाब मंत्री जी को मिला था वह उन्होंने सुना दिया।

श्री बलदेवसिंह—जो मंत्री जी ने बताया कि टेप रिकार्डर पर जो रिकार्ड किया हुआ था उसकी लीगल वैल्यू नहीं थी तो उन्होंने यह किसी से कानूनी सलाह लेकर बताया है ? यदि हां, तो किसकी सलाह से ?

श्री अध्यक्ष—उनके पास जो सूचना आई उसके आधार पर वह बयान कर रहे हैं। कानूनी सलाह की बात थोड़े ही कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सूचना भेजी होगी उनके पास।

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ के अनुपूरक प्रश्न भी आगे पृष्ठ ७००–७०१ पर)

आजमगढ़ जिले में पुलिस थानों की इमारतों को पक्की करने का आश्वासन

*८—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—आजमगढ़ जिले के कुछ पुलिस थाने कच्चे भवनों में स्थित होने के विषय में १९–२–६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८२ और ८३ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन कच्चे भवनों को पक्के भवनों के रूप में कब तक परिवर्तित कर दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—पुलिस विभाग के अन्य अधिक आवश्यक निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुये ज्यों ही इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी, तो इन थानों के लिये नये भवनों के निर्माणार्थ स्वीकृति दे दी जायगी।

*९—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी, जिला आजमगढ़ के पुलिस स्टेशन के भवन की खराब दशा को देखते हुये क्या वह उसे यथाशीघ्र ठीक करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस थाने के भवन के निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ कर सकेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—आशा है कि इस वर्ष जिसका मैंने प्रश्न संख्या ९ के उत्तर में जिक्र किया है उस एक थाने की मरम्मत कर दी जायगी।

*१०—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

जौनपुर शाहगंज तथा जौनपुर केराकत के लिये बस-सर्विस

*११—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर-शाहगंज तथा जौनपुर-केराकत सड़कों पर गवर्नमेंट रोडवेज बसेज कब से चलना शुरू होंगी ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—आशा है इसी वर्ष में ।

*१२-१३—श्री मुक्तिनाथराय, राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन) तथा श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।

देवनागरी लिपि सुधार संबंधी परिपत्र

*१४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभी हाल ही में भारत सरकार ने संशोधित देवनागरी लिपि का चलन सरकारी कागजों में जारी करने के लिये कोई सुझाव-पत्र उनके पास भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां । पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७९-७८१ पर ।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—नवम्बर सन् १९५३ में जो लिपि के संबंध में सरकार का विचार-विनिमय हुआ उत्तर प्रदेश में उसमें कौन-कौन सी त्रुटियां पाई गई थीं ?

श्री अध्यक्ष—१९५३ की चालू है क्या ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—वह परिवर्तित हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष—यह परिवर्तित फिर से हो गई ऐसा आप कहते हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—जी हां ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, लम्बी कहानी है । १९५३ में एक कान्फ्रेंस हुई यहीं पर हमारे उप-राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में और उसने एक वर्णमाला का संशोधन किया । वह भारत सरकार को भेजी गई जिसको उसने स्वीकार करके विभिन्न प्रदेशों को भेजा कि इसे आप मंजूर करें । ४ साल तक उस पर प्रयोग हुआ और उसके बाद विभिन्न प्रदेशों से शिकायतें आयीं कि इसके लिखने में, उच्चारण में, मात्रा आदि में गड़बड़ियां हैं, स्पष्टता पर कुछ आघात पहुंचता है । हमारे प्रदेश में भी कुछ प्रयोग हुआ और मालूम हुआ कि थोड़ी त्रुटि है । १९५७ में एक कान्फ्रेंस प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में फिर हुई । उसमें जो-जो १९५३ की संस्तुतियां थीं वह सब स्वीकार की गईं । थोड़ा-सा संशोधन उसमें किया गया जहां-जहां कठिनाई होती थी और फिर उसको भारत सरकार को भेजा । उन्होंने फिर एजूकेशन मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में हमारी संस्तुति को रखा और उस संशोधन को शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने स्वीकार किया । भारत सरकार ने उसे स्वीकार किया और विभिन्न प्रदेशों को उन्होंने भेज दिया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—१९५३ के मुताबिक जो देवनागरी उस समय स्वीकृत की गई और जिसके मुताबिक ४ साल तक पुस्तकों की छपाई हुई, पढ़ाई हुई, अब वही पाठ्य पुस्तकें दूसरी लिपि में आ रही हैं तो पहली लिपि जो बालकों ने पढ़ी उसको कैसे भुलवाया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिस प्रकार अवस्थी जी भुलायेंगे उसी प्रकार विद्यार्थी भी भुलायेंगे । हमने भी पहले जो बहुत विचित्र प्रकार की वर्णमाला पढ़ी है उसमें भेद है । बूढ़ा तोता अगर राम राम सीख सकता है तो बच्चे उसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं ।

गढ़वाल जिले में डिग्री कालेज खोलने का विचार

*१५—**श्री प्रतापसिंह**—क्या गृह मंत्री इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि प्रदेश के जिन जिलों में डिग्री कालेज नहीं हैं वहां डिग्री कालेज खोले जायं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—संप्रति केवल गढ़वाल जिले में एक डिग्री कालेज खोलने का विचार है ।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि कौन से जिले में डिग्री कालेज खोलना चाहते हैं ? इसका निर्णय किस आधार पर होता है ?

श्री अध्यक्ष—आपने प्रश्न पूछा और आपको आपकी इच्छानुसार कालेज मिल गया । अब आप उसका आधार पूछते हैं ।

श्री प्रतापसिंह— जिन जिलों में गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज इस आर्थिक हालत में हैं कि अपने यहां डिग्री कालेज खोल सकते हैं क्या मंत्री जी उनको भविष्य में डिग्री कालेज खोलने की इजाजत देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज अगर डिग्री कालेज खोलना चाहें तो उन्हें इजाजत देने का कोई इरादा सरकार का नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि जिला गढ़वाल में जो कालेज स्वीकृत किया गया है वह कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा है । योजना स्वीकार होगी, रुपया पैसा मिलेगा तब काम चालू होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जिन नये डिग्री कालेजों को मान्यता दी जा रही है उनमें इस विचार से ही मान्यता दी जा रही है कि उनमें तीन साल का डिग्री कोर्स रखा जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यता से और तीन साल के डिग्री कोर्स से ताल्लुक नहीं है । अगर तीन साल के डिग्री कोर्स की बात को स्वीकार कर लिया, रुपया-पैसा मिल गया और हमने कार्यान्वित किया तो जो पुराने डिग्री कालेज हैं उनमें भी तीन साल हो जायगा और नये में भी होगा । हमने सिद्धान्ततः उसे स्वीकार कर लिया है, कार्यान्वित करने के लिये हमको रुपया पैसा चाहिये । अगर भारत सरकार से मिलेगा तो कार्यान्वित कर सकेंगे ।

जियनपुरवा डकैती संबंधी जांच

*१६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—विधान सभा में २६ जुलाई, १९६० को पूछे गये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २–३ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक २३/२४ फरवरी, १९६० को जियनपुरवा मश्मूले भरथर रघवापुर में पड़ी डकैती से सम्बन्धित परगनाधीश की जांच के समय यह शिकायत की गई थी कि थाना महमूदाबाद की पुलिस ने जियनपुरवा मश्मूले भरथर रघवापुर के इर्द-गिर्द गांव में आतंक पैदा कर रखा था और इससे सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, सीतापुर को प्राप्त हुआ था जिसमें यह प्रार्थना की गयी थी कि निष्पक्ष जांच हो सके, ऐसी व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। इस संबंध में जिलाधीश, सीतापुर को प्रश्नकर्ता महोदय से दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे, जिसे उन्होंने एस० डी० एम० सिधौली के पास, जो मामले की जांच कर रहे थे, भेज दिया था। एस० डी० एम० ने जांच इस प्रकार की कि पुलिस को इसका पता न लगने दिया।

श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दोनों प्रार्थना-पत्र जिलाधीश महोदय को कब प्राप्त हुए और ये एस० डी० एम० को कब मिले तथा उनमें क्या लिखा था?

श्री राम स्वरूप यादव--वह तो जिलाधीश को ही शिकायत की गयी थी। पहले भी यह सवाल पूछा गया था तो मैंने उसका उत्तर दे दिया था उस वक्त। इस वक्त तो देखना पड़ेगा, मेरे पास ऊपर तो नहीं लिखा ह, हो सकता है कि फाइल के अन्दर हो।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया)--माननीय मंत्री जी जांच के उस तरीके को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि जिससे पुलिस को जांच का पता न चल सका?

श्री रामस्वरूप यादव--वहां के एस०डी०एम० ने उन्हीं लोगों के बयान लिये जिन पर प्रार्थी स्वयं विश्वास करते थे और जिनके नाम उनको बतलाये गये और जो वहां के रहने वाले थे, उनको देख कर स्वयं उनसे मिले और बात कर ली। पुलिस के लोगों को उसकी सूचना नहीं थी।

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर भी पीछे पृष्ठ ६९७-६९८ पर)

*१७-१८--**श्री झारखण्डेराय** (जिला आजमगढ़)--[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली जिले में बन्दूक के लाइसेन्सों की स्वीकृति

*१९--**श्री शिवराज बहादुर** (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पहली जून, १९६० से १ अगस्त, १९६० तक जिला बरेली में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बरेली ने कितने फायर आर्म्स की दरख्वास्तों का disposal किया है?

श्री राम स्वरूप यादव--१६८।

*२०--**श्री शिवराजबहादुर**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त समय में जिला बरेली में बन्दूकें प्राप्त करने के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र आये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव--१२२।

*२१--**श्री शिवराजबहादुर**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अवधि में उक्त जिले में बन्दूकों के कितने लाइसेंस मन्जूर हुये और कितने खारिज हुये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव--७० लाइसेंस स्वीकृत एवं ८५ अस्वीकृत हुए।

श्री शिवराजबहादुर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ७० लाइसेंस ग्रांट हुये हैं इनमें से कितने हर एक तहसील में मंजूर हुये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री शिवराजबहादुर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ८१ लाइसेंस की दरख्वास्तें खारिज हुई हैं ये किस कारण खारिज हुई हैं?

श्री राम स्वरूप यादव--उसके लिये तो नियम बने हुये हैं। विशेषता और आवश्यकता के अनुसार लाइसेंस दिये जाते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--बरेली में ये जो आर्म लाइसेंस दिये गये हैं इनको देने के साथ-साथ क्या यह भी शर्त लगी हुई है कि हर एक लाइसेंसी रेडक्रास सोसायटी में चन्दा भी दाखिल कर दें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हथियारों के लाइसेन्स देने में सरकार ने कोई इस तरह की नीति भी अख्तियार की है कि पहले के मुकाबले में कुछ अधिक उदारता बरती जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

जातीयता के आधार पर चलने वाले स्कूलों की सहायता बन्द करने का सुझाव

*२२--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार के पास हाल में ऐसे सुझाव आये हैं कि जो सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल जाति के नाम से चलाये जा रहे हैं और प्रबन्ध कमेटियों में उसी एक जाति के सदस्य हैं, ऐसे स्कूलों की सहायता बन्द कर दी जावे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--शासन तथा निदेशालय में ऐसा सुझाव आया नहीं प्रतीत होता, मंडलीय उप-शिक्षा निदेशकों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार इस विषय पर स्वयं विचार करने की कृपा करेगी कि जो स्कूल जाति के नाम से चलाये जाते हैं और उनके प्रबन्ध कमेटियों में भी एक ही जाति के लोग हैं ऐसे स्कूलों को सरकारी सहायता न दी जाया करे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब तो प्रबन्ध समितियां नये कानून के मुताबिक बनेंगी । स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि प्रबन्ध समितियों में कौन लोग हों । जो लोग उस ऐक्ट के अनुसार नहीं चलेंगे वे स्वयं ही खारिज हो जायेंगे । जहां तक अनुदान देने का प्रश्न है मैं समझता हूं कि कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें किसी एक बिरादरी के ही लोग भरती किये जाते हों । अगर कहीं ऐसा हो तो जरूर सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी ने प्रश्न को समझने की कोशिश की है कि एक बिरादरी के लड़कों को भरती करने की बात नहीं है बल्कि एक बिरादरी की पूरी मैनेजमेन्ट कमेटी है उन स्कूलों में जिनको सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्य ने क्या यह समझने की कोशिश की है कि मैंने क्या उत्तर दिया है । मैंने यह उत्तर दिया कि कानून बन गया है । उसमें एक स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है कि मैनेजमेन्ट कमेटी में फलां फलां व्यक्ति होंगे । उस नियम का पालन अगर कोई न करे तो उसके लिये विभिन्न प्रकार के दंड हैं । जहांतक मैनेजिंग कमेटी बनने का प्रश्न है अगर उसमें एक ही बिरादरी के लोग हों तो उसमें कानून की कोई बाधा नहीं है लेकिन यदि लड़कों की भरती के सम्बन्ध में या टीचरों की नियुक्ति के संबंध में कोई ऐसी बात हो कि एक ही बिरादरी के लोग भरती किये जाते हों तो सरकार अवश्य विचार करेगी कि उस संस्था के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाय ।

श्री प्रतापसिंह--क्या यह सही है कि योजना आयोग के सदस्य श्री अग्रवाल जी ने अपने व्यक्तिगत पत्र में प्रदेशीय सरकारों को यह लिखा है कि देश में जो भी शिक्षा संस्थाएं जाति के नाम से चल रही हैं--जैसे क्षत्रिय कालेज, कायस्थ पाठशाला, अग्रवाल कालेज आदि उनके नाम बदल कर ऐसे रखे जायं जो सभी को सूट करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसे किसी सुझाव का पता मुझे नहीं है, लेकिन ये जो पाठशालायें हैं इनके तो बड़े-बड़े ट्रस्ट बने हैं जिनसे उन्हें रुपये-पैसे की मदद मिलती है । अगर वे नाम बदल दें तो उनकी इच्छा पर है लेकिन यदि लड़कों की भरती इत्यादि में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाता हो तो कानूनन कोई बाधा नहीं है ।

'ब्लिट्ज' में प्रकाशित रामकृपाल त्रिपाठी की गोपी लीलाओं सम्बन्धित जांच रिपोर्ट

*२३—**श्री मदन पाण्डेय** तथा **श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार का ध्यान बम्बई से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी साप्ताहिक ब्लिट्ज के २३ जुलाई, १९६० के अंक के प्रथम पृष्ठ पर Sexploits of Lord "Krishna", 1960, शीर्षक लेख की ओर गया है जिसमें ३५ वर्षीय श्री रामकृपाल त्रिपाठी नाम के व्यक्ति के संबंध में फोटो सहित यह दिखाया गया है कि कृष्णावतार की कृष्ण-गोपी लीलाओं को आधार बनाकर वर्तमान समय में युवतियों का समूह इकट्ठा कर कुत्सित वासनाओं की पूर्ति का साधन बनाया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस लेख की ओर सरकार का ध्यान गया है। इस संबंध में जिलाधीश, मथुरा द्वारा जांच कराई गई और उनकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री मदन पाण्डेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिपोर्ट जिलाधीश द्वारा यहां भेजी गई है उसमें कौन-कौन-सी प्रमुख करतूतें बताई गई हैं जिनको सामाजिक दृष्टि से आब्जेक्शनेबिल समझा जा सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी तो, श्रीमन्, रिपोर्ट विचाराधीन है। जब विचार हो जाय तो कुछ बताया जाय।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कृपाल महाराज इस रूप में कब से आये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तिथि का तो पता नहीं है लेकिन दो, तीन, चार वर्ष से यानी १९५७ से देखे गये हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी संक्षेप में इस रिपोर्ट की जानकारी सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी तो सारी रिपोर्ट विचाराधीन है, विचार समाप्त हो तो कुछ निश्चय किया जाय।

विधान सभा भवन को एयर कण्डिशण्ड करने की प्रार्थना

*२४—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार विधान सभा के हाल को एयर कण्डीशण्ड बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा के हाल को एयर कंडीशंड बनाने का विचार है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वजह से नहीं है कि जो एस्टीमेट लगाया गया था उसके हिसाब से ३.७७ लाख रुपया खर्च होगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि भवन में जो डंडे खड़े हुये हैं यह उखाड़ दिये जांय जब तक कि हाल एअर कंडीशण्ड न हो क्योंकि वे हमारे और माननीय अध्यक्ष के बीच में बाधक होते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन, अभी तो यह देखा जा रहा है कि बिना एअर कंडीशन किये हुये ध्वनि विस्तारक योजना कार्यान्वित हो सकती है या नहीं ? यदि हो सकती है तो यह रहेंगे, अन्यथा हटा दिये जायेंगे।

नोट—तारांकित प्रश्न २४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री सुरथबहादुर शाह—श्रीमन्, इन डन्डों के बहाने हमको लाउड स्पीकरों की सुविधा नहीं मिलती है इसलिये क्या सरकार निश्चय करेगी कि जब तक डंडे न हटाये जांय तब तक लाउड स्पीकर बढ़ा दें ?

श्री अध्यक्ष—यह सरकार से कहने की बात नहीं है । मेरे पास लोग लिखकर भेजते हैं तो मैं व्यवस्था करता हूं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक यह हाल एअर कंडीशन्ड हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका अभी प्रयोग हो रहा है । अभी उप-मंत्री जी दिल्ली गये थे जहां ऐसी व्यवस्था है और जहां से इंजीनियर आने वाले हैं । जब विधान सभा का अधिवेशन समाप्त हो जायगा तब इसका प्रयोग किया जायगा कि ध्वनि विस्तारक योजना सफल होती है य नहीं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हाउस को एअर कंडीशन इसलिये नहीं किया जा रहा है जिससे गरमी बनी रहे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या मंत्री जी इन खम्भों के साथ-साथ लाउड स्पीकरों को भी उखड़वायेंगे ताकि समानता आये ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में केन्द्रीय सहायता

*२५—**श्री रामशरण यादव व श्री रघुवीरसिंह** (जिला लखनऊ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५९–६० व १९६०–६१ में केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्ति के लिये कितना-कितना धन राज्य सरकार को दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—भारत सरकार से प्रारम्भिक कक्षा से अन्तिम कक्षा तक छात्रवृत्तियां वितरण करने के लिये सन् १९५९–६० में कुल ५९,५७,६०० रु० प्राप्त हुआ और सन् १९६०–६१ में अभी तक केवल ३९, ९५,६०० रु० प्राप्त हुआ है ।

आदमपुर घाट के निकट घाघरा में नौका दुर्घटना

*२६—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४ अगस्त, १९६० को घाघरा नदी में बलिया तथा सारन जिले की सरहद पर मनियर स्थित नवका ब्रह्म मन्दिर में दर्शनार्थ जाने वालों से भरी नाव डूब गई जिसमें १५ व्यक्तियों के मरने की खबर है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

*२७—क्या सरकार को पता है कि उक्त दुर्घटना उत्तर प्रदेश की सीमा में हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दिनांक ४ अगस्त को ऐसी दुर्घटना होने की कोई सूचना नहीं है। किन्तु दिनांक १–८–६० को आदमपुर घाट (बिहार) के पास घाघरा में एक नाव डूब गई । इस दुर्घटना में लगभग १७ व्यक्ति डूब गये ।

चूंकि घटना छपरा (बिहार) से संबंधित थी इसलिये इस प्रदेश के अधिकारियों द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*२८–३०—**श्री शिवप्रसाद नागर**—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

भुकमपुरा ग्राम की कथित डकैती

*३१—श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भुकमपुरा, थाना बिनौली, जिला मेरठ में २७–५–६० को कोई डकैती पड़ी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डकैती नहीं चोरी (धारा ४५८) की घटना हुई थी।

*३२—श्री रूर्मासिह—क्या यह सही है कि उक्त अभियुक्तों को पहचाना भी गया था ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। अभियुक्तों को पहचाना गया, उनको पकड़ने के लिये एक विशेष पुलिस दल की नियुक्ति की गई है।

*३३—श्री रूर्मासिह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस डकैती में कितना रुपया अलग-अलग कागज का नोट तथा अन्य कौन-कौन सी चीजें गईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस चोरी की घटना में ४,००० रुपये के नोट एवं सोने के ३ तोले व चान्दी के ३० तोले वजन के जेवरात चोरी गये।

*३४—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३५–३६—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३७–३८—कुंवर श्रीपालसिंह—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

आगरे में कथित पाकिस्तानी जासूसी औरतें

*३९—कुंवर श्रीपालसिंह—गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या इस वर्ष आगरा शहर में कुछ पाकिस्तानी औरतें जासूसी का कार्य करते पकड़ी गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

कायमगंज में कत्ल की घटना

*४०—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में तारीख २६–७–६० क शाम के समय कोई कत्ल की घटना हुई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दिनांक २६–७–६० के शाम के समय कत्ल की कोई घटना नहीं हुई। किन्तु २७–७–६० को अवश्य एक कत्ल हुआ जिसके सम्बन्ध में अपराध अंकित करने के उपरान्त अनुसन्धान जारी है।

डिबाई थाना क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा चोरों का पकड़ा जाना

*४१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर, थाना डिबाई में १९५९ व १९६० में अब तक किस-किस ग्राम के लोगों ने चोरों व डकैतों को मौके पर पकड़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में कोई डकैत गांव वालों द्वारा मौके पर नहीं पकड़ा गया। जिन गांवों में व्यक्तियों ने चोरों को पकड़ा उनकी सूची संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७८२ पर)

*४२—श्री हिम्मतसिंह—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला बुलन्दशहर में थाना डिबाई में जिन लोगों ने चोरों व डकैतों को पकड़ा उनको फायर आर्म्स (fire-arms) देने पर अथवा लाइसेन्स देने पर विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

औरंगाबाद थाने में चोरी की फाइनल रिपोर्ट

*४३—श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली) तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में थाना औरंगाबाद में १ जनवरी, १९५९ से लेकर ३० जुलाई, १९६० तक कितनी डकैती व चोरी की घटनाओं में final report लगीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—३८ चोरी व नकबजनी की घटनाओं में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई। डकैती की किसी घटना में अन्तिम रिपोर्ट नहीं लगाई गई।

आजमगढ़ जिला कार्यालय से श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी का आरोप-पत्र

*४४—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला कारागार से २६-६-६० को 'राष्ट्रदूत' साप्ताहिक के सम्पादक द्वारा लिखा हुआ कोई पत्र मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें मुख्य शिकायतें क्या थीं और सरकार ने उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, मुख्य मन्त्री को प्रेषित उनका प्रार्थना-पत्र गृह विभाग में प्राप्त हुआ था तथा उसमें अंकित आरोपों की जांच कराई गई । मुख्य आरोप संलग्न तालिका में अंकित हैं। उनमें से कोई आरोप सही नहीं पाया गया।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७८३ पर)

*४५-४६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

एटा जिले में चोरियां तथा डकैतियां

*४७—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले में १९५८ में कौन-कौन से थाने में चोरियां या डकैतियां हुई हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न तालिकाओं में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७८४ पर)

रोडवेज टैक्सियों से आय

*४८—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८-५९ व १९५९-६० अप्रैल तक रोडवेज की टैक्सियां कितने मील डिपार्टमेन्टल लोगों ने चलाईं तथा कितने मील जनता द्वारा प्रयोग में लाई गईं?

डाक्टर सीताराम—टैक्सियां वित्तीय वर्ष १९५८-५९ व १९५९-६० अप्रैल तक क्रमशः २,९१,६११ और ३,९०,२०६ मील विभागीय कर्मचारियों द्वारा तथा १०,९९,४२५ और ६,५०,८५९ मील जनता एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा चलाई गईं।

*४९—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज टैक्सियों का किराया १९५८-५९ व १९५९-६० अप्रैल तक कितना वसूल हुआ और कितना बाकी है तथा किस रीजन का बाकी है?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७८५ पर)

कुमायूं क्षेत्र में पढ़ाई की अवधि

*५०—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुमायूं के उन क्षेत्रों में जहां शीतकालीन लम्बी छुट्टियां (vacation) अनिवार्यतः होती हैं वहां पढ़ाई वर्ष में केवल चार-पांच महीने हो पाती है, जिससे परीक्षा फल पर बुरा प्रभाव पड़ता है? यदि हां, तो सरकार इस स्थिति का निराकरण करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

नैनीताल जिले में विभिन्न अपराधों की घटनाएं

*५१—**श्री प्रतापसिंह**—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले ६ माह की अवधि में नैनीताल जिले के खटीमा, टनकपुर व सितारगंज थाने के अन्तर्गत कितने कत्ल, डकैतियां व चोरियां हुईं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७८६ पर)

मठिया ग्राम में हत्या

*५२—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मठिया, थाना पडरौना, जिला देवरिया के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या कुछ व्यक्तियों के सांघातिक हमले द्वारा दिन दहाड़े कर दी गई, जो जुलाई के तीसरे सप्ताह में कुछ हलवाहों के साथ खेत में हल चलवा रहे थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। २०-७-६० को ऐसी घटना हुई।

*५३—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या यह सही है कि उक्त घटना के होने की सूचना स्थानीय पुलिस को थी किन्तु उसने घटना के पूर्व कोई प्रबन्ध नहीं किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रकार की कोई सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं थी। अतः प्रबन्ध का प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले में एच० टी० सी० व जे०टी०सी की ट्रेनिंग में परिगणित जाति के उम्मीदवारों की भरती

*५४—**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में १९५९-६० एवं १९६०-६१ के लिये एच० टी० सी० और जे० टी० सी० की ट्रेनिंग के लिये कितने उम्मीदवार चुने गये और उसमें परिगणित जाति के कितने थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चुने गये उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित है:—

	जे० टी० सी०		एच० टी० सी०	
	१९५९-६०	१९६०-६१	१९५९-६०	१९६०-६१
कुल संख्या ..	५	५	७६	८४
परिगणित जाति ..	—	—	१०	१७

रुड़की पुलिस द्वारा तम्बाकू विक्रेता के घर से बिजली विभाग की फाइलों की बरामदगी

*५५—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जुलाई, १९६० में रुड़की की पुलिस ने एक तम्बाकू विक्रेता के यहां से बिजली विभाग की बहुत-सी आवश्यक फाइलें जो चोरी गई थीं, बरामद की हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त फाइलें किस सम्बन्ध की थीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। १८-७-६० को कुछ फाइलें बरामद हुईं जो विभागीय मामलों से सम्बन्धित कई विषयों की थीं।

*५६—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त फाइलों का किसी गबन के मामले से भी सम्बन्ध है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

मुल्ला का पुलिस कप्तान हरदोई को आरोप-पत्र

*५७—**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मुल्ला, साकिन खेरा मजरे सरहरी, कासिमपुर थाना, जिला हरदोई ने कोई प्रार्थना-पत्र कप्तान पुलिस को दिया कि १९ मई, १९६० को उनके मकान पर डकैती पड़ी और दरोगा ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच की गई और वे सही नहीं पाये गये?

चीनी मिलों द्वारा शीरे का उत्पादन

*५८—**श्री गेंदासिंह तथा श्री प्रतापसिंह**—क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में किस-किस चीनी मिल ने कितना-कितना मोलेसेस उत्पन्न किया और उनका उपयोग क्या हुआ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना संलग्न† तालिका में दी हुई है।

*५९—**श्री गेंदासिंह तथा श्री प्रतापसिंह**—उक्त तीन वर्षों में किस-किस चीनी मिल का मोलेसेस डिस्टिलरी तथा अन्य सरकारी आदेश के अनुसार उपयोग हुआ तथा कितना और किस मिल के नियन्त्रण से छोड़ दिया गया?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में संलग्न की गई तालिका के अन्तर्गत दी हुई है।

*६०—**श्री गेंदासिंह तथा श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार को इसकी सूचना है कि मोलेसेस का भाव दो वर्ष से बहुत ऊंचा हो गया है और कुछ मिलों ने मोलेसेस को बेचने की छूट लेकर ऊंचे दाम पर बेचा है?

डाक्टर सीताराम—डिस्टिलरीज को शीरा निर्धारित दर पर सप्लाई किया जाता है और गत दो वर्षों में उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चीनी मिलों के लिये मुक्त किये गये शीरे के दाम पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं इसलिये शेष प्रश्न नहीं उठता।

---

†तालिका छापी नहीं गई।

हरिजन छात्रावास, दुर्गापुरवा, सीतापुर

*६१—श्री मूलचन्द—गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि हरिजन छात्रावास, दुर्गा पुर्वा, सीतापुर, जिसे १३,९०० रु० अनुदान देकर निर्मित कराया गया है, वह किस प्रयोग में लाया जा रहा है ? उसमें कितने छात्र इस समय हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह भवन हरिजन छात्रावास के प्रयोग में लाया जा रहा है। इस समय इसमें कुल २१ छात्र हैं।

स्कीम संख्या ९ के अन्तर्गत सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल

*६२—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना की स्कीम संख्या ९ के अन्तर्गत सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१०१ जूनियर हाई स्कूल ।

इलाहाबाद जिले में कत्ल व डकैतियां

*६३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९६० तक कितने कत्ल तथा डकैतियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में कत्ल तथा डकैतियों क्रमशः ३७ और ५ रिपोर्टें थानों पर दर्ज हुईं ।

*६४-६५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[हटा दिये गये।]

जिलाधीश, बहराइच द्वारा अपने बंगले की चहारदीवारी में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोकलगा देने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत जिन विषयों पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिये सूचनाएं मेरे सामने आई हैं उनमें गौरीशंकर राय जी द्वारा दो-तीन रोज से पेश हो रहा था, उसे आज मैंने स्वीकार किया है। वह यह है कि "तारीख २४ अगस्त को जिलाधीश, बहराइच द्वारा जिलाधीश के बंगले की चहारदीवारी के अन्दर स्थित मस्जिद में, जिसमें लोग बहुत दिनों से नमाज पढ़ा करते थे और नमाजियों के लिए जिलाधीश के बंगले की चहारदीवारी में मस्जिद के सामने एक रास्ता भी रखा गया था, नमाज पढ़ने पर रोक लगा देने तथा मस्जिद पर पुलिस का पहरा बिठा देने से मुसलमानों के मौलिक अधिकार का अपहरण होने तथा उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं" । यह उन्होंने लिखा है इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय गृह मंत्री जी कौन वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—वक्तव्य तो मैं आज भी दे सकता हूं, लेकिन अच्छा हो कि कल दे दूं विस्तार के साथ ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, इस संबंध में एक निवेदन है कि इस प्रश्न में जिलाधीश ही एक पार्टी हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करवाएं कि जिलाधीश की रिपोर्ट के आधार पर बयान न दिया जाय बल्कि कहीं और से जांच करवा कर बयान दिया जाय भले इसमें कुछ वक्त लगे ।

श्री अध्यक्ष—यह मेरा काम नहीं है । मैं इन्क्वायरी के लिए थोड़े ही बैठता हूं । वक्तव्य जिस तरह से देंगे उस पर आप स्पष्टीकरणार्थ प्रश्न कर लीजियेगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के संबंध में जानकारी

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—हम लोगों के पास बहुत से तार और चिट्ठियां आयी हुई थीं और आज दफा ५२ में पेश किया था, गोरखपुर में बाढ़ के संबंध में । माननीय विरोधी दल के पास भी तार आये हुए थे, जो कि माननीय मंत्री जी के पास भेज दिये गये हैं । मैं चाहता हूं कि उन सब के बारे में विशेष जानकारी करके मंगवा कर कल जब वक्तव्य दें तो उसमें उन स्थानों के संबंध में भी जानकारी करवा दें ।

श्री अध्यक्ष—यह तो हो जायगा कि गोरखपुर जिले के संबंध में आपको जानकारी दे दें, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां बाढ़ आयी है । हर जिले से तार आये हैं, उनमें बाढ़ के संबंध में जो जो स्टेटमेंट दिये हैं हर एक स्टेटमेंट को कवर कर लेना संभव नहीं होगा । लेकिन आपके तार मैंने मंत्री जी के पास भेज दिये हैं । आपने नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकृष्ट कराना चाहा था, वह भी मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया । सब जिलों के बारे में चर्चा होगी । तो वह एक ऐसा वक्तव्य देंगे जिसमें मुख्य मुख्य बातें हर बाढ़ वाले जिले की आ जायं ।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—हमारे जिले में तारीख २, ३ सितम्बर की रात में लालपुरा ग्राम जो कि थाना बकेवर में है, पुलिस ने ...

श्री अध्यक्ष—आपका मैंने स्वीकार नहीं किया है । आप फिर कल भेज दीजिये ।

प्रश्नों के संबंध में शिकायत

श्री रूर्मासिंह—अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के संबंध में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं ।

इत्तफाक से हमारे प्रश्न बहुत कम आते हैं और जो आते भी हैं वह ऐसी जगह लगाये जाते हैं जिनका नम्बर नहीं आता । तो ऐसी व्यवस्था कीजिये कि हमारे प्रश्न ले लिये जाया करें ।

श्री अध्यक्ष—जिनका पहले आता है उनका पहले लगाया जाता है और जिनका बाद में आता है बाद में लगाया जाता है ।

आगरा विश्वविद्यालय सिनेट तथा इंटरमीडिएट बोर्ड के लिये निर्वाचित सदस्य के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं ।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए ये पांच सदस्य चुने गये हैं—

१—श्री डूंगरसिंह
२—श्री यशपाल सिंह
३—श्री राम सिंह चौहान
४—श्री विशम्बर सिंह
५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल

इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए श्री जगदीशशरण अग्रवाल और श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी चुने गये हैं ।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—यह एक अविश्वास प्रकट करने के लिए प्रस्ताव श्री देवनारायण भारतीय जी ने भेजा है, मंत्रिमंडल में । यह इस प्रकार है :

"यह सदन वर्तमान मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करता है क्योंकि इनके कार्य निन्दनीय रहे हैं । वह कार्य मुख्यतः यह है—

(अ) समाजवादी पार्टी द्वारा प्रस्तावित पांच मांगों की अवहेलना करना ।

(ब) समाजवादी पार्टी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न करना ।

(स) समाजवादी सत्याग्रहियों को अवांछनीय रूप से गिरफ्तार करना और दंडित कराना ।

(द) समाजवादी सत्याग्रहियों पर जेलों में अमानुषिक व्यवहार करना ।

२—सत्ता को विकेन्द्रित करने की घोषित नीति के विपरीत कार्य "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०", प्रस्तावित करना, राज्य कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के अहिंसात्मक उपायों का अन्याययुक्त दमन करना आदि ।"

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव की चर्चा के लिये अनुमति देने के पक्ष में हों वह कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(१७ सदस्य खड़े हुए ।)

अनुमति देने के पक्ष में केवल १७ हैं और नियम के अनुसार ८६ होने चाहिये । इसलिये इस सदन की अनुमति इस प्रस्ताव के ऊपर विचार करने के लिए नहीं है ।

१९५६–५७ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ७,२३,८२७ रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिए स्वीकार की जाय ।

मान्यवर, जहां तक इन अतिरिक्त मांगों का संबंध है सभी माननीय सदस्यों को इसकी प्रतिलिपियां भेज दी गई हैं । इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है । यह खर्च करना आवश्यक था और यह जो ७,२३,८२७ रुपये खर्च किये गये यह जनहित में था । इसकी आवश्यकता थी, यदि उस वक्त यह पैसा खर्च न किया जाता तो हो सकता था कि इस प्रदेश को हानि होती । इसलिए मैं समझता हूं कि ज्यादा कोई बहस की बात इसमें नहीं है । मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसको पारित करने की कृपा करें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्, इसके सिलसिले में मैंने कुछ प्रस्ताव दिये थे, वह छपे नहीं शायद ।

श्री अध्यक्ष—इसमें यह है कि आपके जो प्रस्ताव थे वह सांकेतिक थे और इसमें सांकेतिक प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता क्योंकि यह अतिरिक्त अनुदान है । यानी कटौती जो सांकेतिक आप देते हैं कि १ रुपये की कमी कर दी जाय, यह नहीं किया जा सकता । मैं इस पर यह व्यवस्था पहले भी दे चुका हूं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—तो, श्रीमन्, इसमें जनरल डिबेट तो होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आप खड़े ही नहीं हुए तो मैं क्या करूं । अब आप कृपा करके बैठें । अब मैंने राय ले लेना शुरू कर दिया । अगर आपको विरोध करना था तो आप खड़े हुए होते । अब अप्रोप्रियेशन बिल जो होगा उस पर जनरल डिस्कशन में आप विरोध कर लीजिएगा ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ७,२३,८२७ रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५—न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,७७,४८३ रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष—विरोध आप करिए लेकिन संक्षेप में, क्योंकि १ घंटे के अन्दर इसको खत्म करना ह ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—अध्यक्ष महोदय, इसमें न्याय प्रशासन के संबंध में यह बताया गया है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में दीवानी और फौजदारी मुकदमों में वकीलों की फीस और यात्रिक भत्ते के भुगतान पर और दीवानी और सत्र न्यायालयों में अधिकारियों और कालिक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, डाक तथा तार परिव्यय पर अधिक व्यय होने के कारण यह व्ययाधिक्य हुआ ।

आप देखें कि यह अदालतों का खर्चा और यात्रिक भत्ते दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं । इस साल १९५६–५७ के लिये जो यह अतिरिक्त व्यय भत्ते के रूप में बताये गये हैं यह सुरसा की तरह से बढ़ते चले जाते हैं । अपने ग्रामीण देश के लिये यह कहां तक उचित है यह सोचने की बात है । विशेषकर इन न्यायालयों के संबंध में जो कुछ कहा जाय वह थोड़ा ही है क्योंकि न्यायालयों में न्याय पाने का समय बहुत बढ़ता चला जाता है और उनका व्यय भी बढ़ता चला जाता है । बजाय इसके कि हम जल्दी से न्याय पा सकें और खर्च कम करके पा सकें, होता है इसका उल्टा । अभी हमारे सामने कुछ फिगर पेश हुये ह तो उनमें न केवल हमारी दीवानी और फौजदारी के मुकदमों की तादाद जिलों में बढ़ती जाती है, बल्कि उच्च न्यायालयों में भी यह व्यय और मुकदमों की संख्या बढ़ती जाती है और फैसले के लिये बहुत अधिक संख्या में मुकदमे रह जाते हैं । इस तरह से इनका खर्चा भी बढ़ता चला जाता है ।

वकीलों की फीस अधिक मांगी जा रही है और यात्रा का भत्ता भी बढ़ता चला जाता है । मैं इन दोनों बातों को आवश्यक नहीं समझता हूं । उदाहरण के रूप में आपको बतलाऊं कि अभी हाल ही में सरकार ने कानपुर में एक जांच कमीशन बैठाया था । उसमें भी वकीलों के लिये भत्ता स्वीकार किया गया जो ज्यादा था । उसका संबंध इस साल से नहीं है जिसके लिये यह रुपया मांगा जा रहा है, लेकिन मैंने इसलिये कहा कि सरकार वकीलों की फीस अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये उतावली हो रही है । इस देश में हम न्यायालय के द्वारा अपने मुकदमों का फैसला नहीं चाहते हैं, वहां पर खर्चा अधिक होता है । हम चाहते हैं कि पंचायतों के आधार पर और विकेन्द्रीकरण के आधार पर न्याय हो । वहां पर इतना व्यय नहीं होगा । इसलिये यह खर्चा उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि जो अनुदान मांगा जा रहा है वह अनुदान अनुचित है । मैं सदन से अपील करता हूं कि वह इस अनुदान को अस्वीकार कर दे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि हमारे मित्र ने यह फरमाया कि कानपुर में जो इन्क्वायरी हो रही है उसमें वकीलों की फीस का खर्चा बहुत अधिक दिया गया है । शायद उनको मालूम हो कि इसमें कानपुर का हवाला देना बिलकुल असंगत बात है । यह तो १९५६–५७ के खर्चे के मुताल्लिक है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मुकदमों में जो खर्चा होता है वह करना लाजिमी हो जाता है । उसमें वकीलों को करना पड़ता है । बेफीस के वकील किसी मतलब के नहीं होते हैं और मिल भी नहीं सकते हैं । हमारे बहुत से भाइयों को यह अधिकार है कि वह रिट हर मामले में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दाखिल कर दें तो फिर सरकार के लिये लाजिम हो जाता है कि डिफेन्ड करने के लिये वकील करे और उसके लिये खर्चा बढ़ता है । तो जितना खर्चा किया गया है वह जायज किया गया है । जहां तक हमारे भाई ने कहा कि जस्टिस में डिले होती है तो इसके लिये हमने मुकर्जी कमेटी मुकर्रर की है और वह सब बातों पर विचार कर रही है और उसकी रिपोर्ट आने पर और देख कर जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी और जितनी जल्दी मुकदमों का फैसला हो सके वह किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,७७,४८३ रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १६—जेल

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेंद्रसिंह विष्ट)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—जेल के अन्तर्गत ५,४३,१८२ रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—जेल के अन्तर्गत ५,४३,१८२ रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये, स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १७—पुलिस

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—पुलिस के अन्तर्गत ८७,८८३ रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये, स्वीकार की जाय ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—अध्यक्ष महोदय, आप यह देखें कि यह जो अनुदान मांगा गया है वह पिछले चुनावों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिन पुरानी मोटर गाड़ियों को काम में लाया गया था उनकी मरम्मत में यह खर्चा बताया गया है । आपके द्वारा मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि पिछले चुनावों में यह देखा गया कि बहुत से रिटर्निंग अफसरान इतने विलम्ब से पहुँचे कि चुनाव आध-आध घंटे विलम्ब से आरम्भ हुआ । उल्टे अब यह कहा जा रहा है कि मोटर गाड़ियां बिगड़ गयीं चलते चलते और उनकी मरम्मत पर ८७ हजार रुपया कम पड़ गया । मैं तो आपके द्वारा कहूंगा कि इन चुनावों में अनियमिततायें हुईं और अधिकारियों ने बहुत बेउनवानियां कीं । उनका कोई प्रबन्ध न हो कर हमसे आज २, ३ साल के बाद उसके लिये खर्चा मांगा जा रहा है कि मोटर गाड़ियों की मरम्मत के लिये रुपया दो । यह बहुत अनुचित है ।

इसके साथ ही साथ पुलिस की कतिपय इमारतों को हानि पहुँची है, उनकी मरम्मत के लिये धन मांगा गया है । यह पुरानी इमारतें हैं । जब २-३ साल में गिरने लगती हैं तो मरम्मत करते हैं और फिर मांग करते हैं । इसके अतिरिक्त ये भवन अमेरिकन स्टाइल पर बनाये जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है । इस तरह से भी यह रुपया दुरुपयोग में लगाया जा रहा है । इसलिये मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि यह रुपया स्वीकृत न किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—पुलिस के अन्तर्गत ८७,८८३ रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में–८९,

विपक्ष में–३५ ।)

(श्री टीकाराम पुजारी के प्रस्ताव के पक्ष में विभाजन के मध्य में हाथ उठाये जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुछ सदस्य—अब आप क्या सरकार में मिलने जा रहे हैं ?

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—परसों जब मैं, श्रीमन्, निकाला गया था तब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था । अब इनका साथ मैं कभी नहीं दूंगा । (हंसी)

अनुदान संख्या ३१—यातायात के साधनों का सुधार

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महाबीरसिंह)—श्रीमन्, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) के अन्तर्गत ९,०४,९२० रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये, स्वीकार की जाय ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, आप यह देखें कि सेंट्रल रोड फंड से सड़कों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इस पर ९ लाख रुपया खर्च किया गया है, यह कितना अनुचित है । मैं अपनी जी० टी० रोड की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं । वह काफी चौड़ी कर दी गयी है और उसका बगल का हिस्सा काफी-बढ़ा दिया गया है और इस कारण यह सुविधा हो गयी है कि मोटर बिना अवरोध के निकल जाती हैं। यह सुविधायें उन लोगों के लिये हैं जो ज्यादातर जी० टी० रोड पर चलते हैं, लेकिन उन्हीं के बगल में लगे हुए गांवों में क्या दुर्गति हो रही है उस ओर उनका ध्यान नहीं जाता । वहां सड़कों पर घुटनों तक कीचड़ रहता है और ज्यादातर तो गावों में कोई सड़कें नहीं हैं । इस संबंध में सरकार कोई ध्यान नहीं देना चाहती । आप जी० टी० रोड पर सर्र से निकल जायं और बगल के गांवों की ओर ध्यान न दें यह ठीक नहीं है । (किसी सदस्य के कुछ कहने पर) इससे इस अनुदान का ताल्लक है और अगर अभी न कहूं तो कहूं किस वक्त । इसलिये कहना चाहता हूं कि इस ९ लाख का कुछ हिस्सा गांवों को भी दिया जाय । गांव पंचायतों को तो आप इस फंड से रुपया देंगे नहीं, यह फंड तो उन सड़कों के लिये बना हुआ है जिन पर सरकार की मोटरें चलती हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि यह ग्रामीण देश है और गांवों की सड़कों की दुर्गति आप देखें । अगर इन सड़कों पर उनको कभी रुकना पड़ता तो वहां की हालत देख भी लेते, लेकिन इन सड़कों के आधुनिकीकरण के बाद वे तो वहां रुकेंगे भी नहीं, इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) के अन्तर्गत ९,०४,९२० रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये, स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३६— बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ४,३०,४२० रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनदान संख्या ३६—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ४,३०,४२० रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये, स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुदान संख्या ३९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान के अन्तर्गत ३,१८,१८७ रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये, स्वीकार की जाय ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--अध्यक्ष महोदय, मैं इसका इसलिये विरोध करना चाहता हूं कि जो भी अनुदान या सहायता हमको इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से मिलती है, या हम देते हैं, उसके वितरण में बड़ी दुर्व्यवस्था है । उस दुर्व्यवस्था की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । छात्रों को सहायता समय से कभी नहीं मिल पाती । पांच-पांच, छै-छै महीने बाद उनको पैसा मिलता है । वे काफी समय अपनी निर्धनता के हालत में ही बिता देते हैं और उससे उनकी पढ़ाई को काफी नुकसान पहुंचता है । उनसे फीस भी ले ली जाती है जिसको वे कर्ज इत्यादि लेकर दे पाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--आप चाहते हैं उसको वापस कर दिया जाय ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं यह नहीं चाहता हूं लेकिन जो इस तरफ दुर्व्यवस्था है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह अनुदान पास तो हो जाता है, लेकिन ये कागजों तक ही सीमित रहता है और जब वे लोग खूब परेशान हो जाते हैं तब उनको पैसा मिलता है । एक किस्त खत्म होने के बाद दूसरी किस्त उनको तब मिलती है जब कि एक सेशन खत्म हो जाता है ।

इसके अलावा दूसरी शिकायत यह है कि उनको रुपया तीन-तीन, चार-चार किस्तों का इकट्ठा मिलता है । इससे वे रुपये का दुरुपयोग करते हैं । मिसाल के तौर पर उनको अगर १००-१२५ रुपये मिल गये, तो वे साइकिल इत्यादि खरीद लेते हैं और वह ऐसा पढ़ाई में नहीं लगा पाते । फिर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट जो ग्रान्ट देती है उसको भी देते देते इस सरकार को महीनों लग जाते हैं । इसलिये मैं सरकार का ध्यान इन सब खामियों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान के अन्तर्गत ३,१८,१८७ रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये , स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०--राज्य व्यापार की योजनाएं

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०--राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत १९,४१,०५२ पये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय ।

मान्यवर, यह रकम देखने में तो जरूर बड़ी मालूम होती है, लेकिन इसकी मांग को इसलिये रखना पड़ा कि केन्द्रीय सरकार को जो रुपया हमको देना होता है, उसकी मांग उन्होंने समय से नहीं की । और कोई बात मुझे इस संबंध में कहनी नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण ने का पुनर्जीक्षण नहीं किया ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं एक बात माननीय मंत्री जी से पहले जानना चाहता हूं कि हमें ऐसा अन्दाजा है कि यह ८,९२,६५,००० रुपया तो उनके डिपार्टमेन्ट का है और ३,२३,००० रु० फारेस्ट डिपार्टमेन्ट का है। तो क्या फारेस्ट डिपार्टमेन्ट इसको अलग से पेश नहीं करेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस ग्रान्ट के अन्दर दोनों ही आती हैं। केन्द्रीय सरकार से जो फ्यूअल और टिम्बर वगैरह का लेन देन होता है, उस सारे का यह ब्यौरा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैंने यह देखा है कि खाद्य और रसद विभाग में बहुत बड़ा नुकसान होता रहा है। यहां तक कि इसके पहले की जो आडिट रिपोर्ट थी उसमें भी यह था कि १,४१,२०,२८८ रु० का नुकसान ३१ मार्च, १९५५ तक इस खाद्यान्न की व्यापार में हो गया। और उसमें भी, श्रीमन्, नुकसान में ऐसा बताया गया था कि ३९,६८,७३१रुपया कर्मचारियों के वेतन की वजह से एक्सट्रा नुकसान हो गया। यह चीज आज तक हमारी समझ में नहीं आयी कि वेतन की वजह से अतिरिक्त नुकसान कैसे हुआ। खाद्यान्न की बिक्री से ८७,२७,३९४ रुपया हुआ। इस पर हमने चाहा कि मंत्री जी की तरफ से कुछ प्रकाश डाला जाता। खाद्य पदार्थों की कमी तो सर्वत्र भारतवर्ष में है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। हमें पता लगाने पर मालूम हुआ कि व्यापार में उस वर्ष केवल बिहार में थोड़ा-सा नुकसान हुआ। सरकार ज्यादा से ज्यादा दाम पर गल्ला खरीदती है और यह निर्विवाद है कि जिस भाव पर सरकार को पड़ता है उससे महंगे दामों पर बेचती है, तो फिर क्यों इतनी हानि उठानी पड़ती है, यह विचारणीय प्रश्न है। यह भी देखा गया है कि और प्रदेशों में, सिवाय बिहार के राज्य व्यापार के गल्ले की योजना से उस वर्ष मुनाफा हुआ। बिहार में सिर्फ इस साल २२ लाख का नुकसान हुआ।

इसके अलावा पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट जो छपी है, आदरणीय सदन में वह पेश हो चुकी है। इस सिलसिले में बताया गया था कि इनके पास जो चना था उसमें घुन लग गया था।

श्री अध्यक्ष—जरा संक्षेप में कहें। क्योंकि १ बजे तक समाप्त करना है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह तो आखरी है, अभी आध घंटा है।

श्री अध्यक्ष—अभी अप्रोप्रिएशन बिल भी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उसमें क्या होगा ? कोई विरोध तो कर नहीं रहा है। वह तो हम लोग जब्त कर ले गये, हम तो विरोध करके जाने को तैयार हो गये थे कि बजट का समय भी समाप्त किया गया। तो इसमें तो मुझे बोलने की आप इजाजत देंगे, आज कोई बोला ही नहीं है, क्योंकि स्टडी करने का मौका भी नहीं मिला।

श्रीमन्, इसमें बहुत बड़ा राज्य का नुकसान होता है, इसलिये आवश्यक है कि हम सरकार को उन खामियों की तरफ से अवगत करायें। जो सिफारिशें प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति की तरफ से की जाती हैं उनको रखने का यही मौका होता है और यह जानने का अवसर होता है कि सरकार ने उन पर क्या ऐक्शन लिया।

खाद्यान्नों का जो decontrol हुआ वह शायद १-७-५२ को हुआ था। तब हमारे स्टाक में २४,१०० टन गेहूं, ४,६०० टन चना, ११,७०० टन चावल था। इसके साथ ही इन्हें जानना चाहिये था कि यह पेरिशेबिल कमोडिटी है, अगर सरकार ने अपने हाथ में व्यापार ले लिया, बनिये अगर बन गये तो बनिये की बात भी जाननी चाहिए थी। यह नहीं कि सामान खरीद लिया, अगर रेड टेप लम्बा होता जाय.....

श्री अध्यक्ष—वह तो शाही बनिये हैं, वैसे बनिये थोड़े ही हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट––इसीलिये करोड़ों रुपया हर साल नुकसान में देते हैं। अमरीका की तरह यह प्रदेश भी अगर शाही होता तो कोई बात नहीं थी। वहां तो अगर ज्यादा धान पैदा होता है तो समुद्र में डुबो देते हैं, आग लगा देते हैं, यहां तो हालत यह है कि आदमी को पेटभर खाना नहीं मिलता है। अगर अमरीका के बादशाह होते तो ठीक था, लेकिन वह तो यहां के गरीबों के देश के बादशाह हैं। दिसम्बर, १९५५ में चना १२ रुपया फी मन बेचने का हुक्म हो गया। यही हुक्म एग्जिक्यूट हो गया होता तो ठीक था, लेकिन दोबारा उन्होंने इसको रिड्यूस कराया। पहले ९ रुपया, फिर ६ रुपया, फी मन दर रखी गयी। इस तरह से ८,०२४ रुपये का खर्चा तो हैन्डलिंग और ट्रांसपोर्ट में किया गया और १४ मन ट्रांजिट में लास हुआ, ६३ मन की छूट दे दी गयी। श्रीमन्, ९,५५९ मन चने में घुन लगने दिया गया और उसकी कोई परवाह नहीं की गई। एक तरफ, श्रीमन्, आप देखें कि इस संबंध में इतना रुपया खर्च किया जाता है, देश में खाद्यान्नों की इतनी कमी है और दूसरी तरफ इस प्रकार की नेग्लीजेन्स होती है। एक तरफ तो आदमी भूखे मरें और दूसरी तरफ अन्न की बरबादी हो। यह चना १२ रुपये मन का था लेकिन घुन जाने से रेड्यूस्ड प्राइस पर बेचने से ५७ हजार से अधिक रुपये का नुकसान हुआ। इस संबंध में पी० ए० सी० ने जो रिपोर्ट दी है मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं:—

"They also considered the delay of five months in issuing orders reducing selling rate to Rs.9 per maund (which had further to be reduced to Rs.6 per maund in order to clear the stocks) was most unsatisfactory particularly when the market trend showed continuous fall in the price from month to month and the Administrative Department should have taken some special steps to expedite this decision. In view of that the Committee recommended that some special procedure should be evolved under which decisions in regard to matters concerning purchase, sale, etc. of perishable articles could be taken more expeditiously than under the present procedure."

तो मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई जिससे भविष्य में इस तरह की बरबादी न हो।

***श्री प्रताप सिंह** (जिला नैनीताल)––माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक्सेस से संबंधित मांग हमसे ली जा रही है मैं उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, पी० ए० सी० एक महत्वपूर्ण कमेटी है। जिस वर्ष १९५६–५७ के लिये यह एक्सेस के लिये रुपया हमसे मांगा जा रहा है उसी साल की पी० ए० सी० की रिपोर्ट है; उसके पेज ४६ से जोकि इसी के संबंध में है, कुछ पढ़ना चाहता हूं:

"अन्न के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामे बड़ी धनराशियां बताने के कारण जिनकी आशा नहीं की गई थी ८,९२,६५,१०० रुपये के अन्तिम मतदेय अनुदान में १९,४१,०५२ रुपये की व्यय वृद्धि हुई। समिति को बताया गया कि केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि भविष्य में वह नामे की धनराशियों के बारे में उस महीने के बाद वाले महीने में बना देगी जिसमें वह हुई होगी, समिति ने इस मामले पर अधिक जोर नहीं दिया।"

मैं खाद्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय सरकार राज्य व्यापार योजना के धन के बारे में कई बार वादा करती है और जो वादा किया जाता है वह हमको मिल नहीं पाता तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी ओर से समुचित प्रयत्न नहीं होता। मैं खाद्य मंत्री जी के एफर्ट्स की तारीफ करता हूं, लेकिन जब उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता तो फिर शक होने लगता है।

यह स्टेट ट्रेडिंग की जो योजना है इसको मैं गवर्नमेन्ट ट्रेडिंग कहूंगा जब तक कि उससे जनता को लाभ न हो। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वह जिस इलाके से यहां आते हैं वहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

पर अकाल पड़ा हुआ है। तो जब इस प्रकार से एक्सेस में रुपया खर्च किया जाय और फिर भी अकाल रहे और बार बार केन्द्रीय सरकार वादा करे लेकिन यह सरकार रुपया न ले सके तो बड़ा शक पैदा हो जाता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह लोक लेखा समिति की सिफारिशों को पढ़ लिया करें और सारे डिपार्टमेन्ट्स को खटखटायें और उनको बतावें कि लोक लेखा समिति की सिफारिशें सर्वमान्य होती हैं, उनको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। अशोक मेहता प्रेन इंक्वायरी कमटी ने बड़े जोरदार शब्दों में यह बताया था कि किस तरह से काम करो। लेकिन यह सरकार न उन सिफारिशों को देखने के लिये तैयार है और न लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जिसको तैयार करने में हजारों रुपया खर्च होता है, उसको पढ़ने के लिये तैयार है। हमारी ट्रेजरी बेंचेज के वे लोग जो कि २-३ लाइन भी पढ़ने की तकलीफ नहीं करते हैं वे भी कहते हैं कि विरोधी-दल के लोग तैयार होकर नहीं आते हैं। माननीय मंत्री जी कृपया उत्तर दें कि इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है। क्या सही रूप में स्टेट ट्रेडिंग हो रही है जिसकी कि सिफारिश अशोक मेहता कमेटी ने की थी और क्या पहाड़ी भागों और पूर्वी भागों में लोगों की तकलीफ को दूर किया जा सका है और क्या इसे बजाय स्टेट ट्रेडिंग के गवर्नमेन्ट ट्रेडिंग का नाम नहीं दिया जा सकता ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ऐक्सेस ग्रान्ट के ऊपर माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट और प्रतापसिंह ने कहा कि दुरुपयोग होता है। कहीं होता होगा, यह तो दूसरी बात है। लेकिन जहां तक उन्होंने इस बात को कहा कि प्रभाव क्या हुआ है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं यह देना चाहता हूं कि बाम्बे में १५० रुपया तक और हमारे यहां २५० से ऊपर वालों को भी सरकारी दुकानों से अनाज दे रहे हैं। चाहे उसे आप स्टेट ट्रेडिंग कहिये या गवर्नमेन्ट ट्रेडिंग कहिये, हम उसके लक्ष्य को पाने के लिये कोशिश कर रहे हैं, उसके लिये हमारी अन्तरिम योजना चालू है। रशिया भी शुरू में ही अपने अन्तिम लक्ष्य पर नहीं पहुंच गया था। वहां भी पहली और बीच की स्टेज चल रही है। यह मैंने एक उदाहरण दिया।

कहा गया कि हमारे यहां अन्न की कमी है। लेकिन मेरा कहना है कि अन्न की कोई कमी नहीं है। जितना चाहे उतना खाइये। आज चाहे जितना मिल रहा है। इससे बड़ा प्रभाव और क्या होगा ? जहां तक इन्तजाम की खराबी की बात कही गयी, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन से स्टेट ट्रेडिंग शुरू हुई है कोई लास नहीं हुआ। हम अपने ओवर-हेड चार्जेज से ही स्टाफ को मेनटेन करते हैं और सन् ५२ में जितना स्टाफ था उसी से काम ले रहे हैं और यही नहीं, चीनी और सीमेंट का काम भी लेते हैं। पहले यह सवाल विरोधी दल और माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने उठाया था कि सरकार शाही व्यापारी है, महंगे दामों में खरीदती है और सस्ते में बेचती है। लेकिन उसके पहले कहा गया था कि अगर सब्सीडी देने में १०-२० लाख का घाटा भी हो तो अपोजीशन उसको देने को तैयार है। इस अपोजीशन का क्या भरोसा जो आज कुछ कहता है और कल कुछ और ? जब सब्सीडी दी जायगी तो घाटा जरूर होगा।

खराबी की बात कही गयी। अगर बाढ़ग्रस्त एरिया के लिये चना न रखा जायगा तो वक्त पर क्या देंगे ? जब अन्न को रखा जाता है तो उसमें कुछ खराब भी होता है और व्यापारियों को भी कुछ न कुछ नुकसान तो होता ही है।

प्रतापसिंह जी को मैं इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है लेकिन विरोधी दल के अभी भी ये मानी नहीं है कि सरकार को बुरा भला कहने के लिये कुछ रिजर्व जरूर रखा जाय। जहां तक पहाड़ी इलाकों का संबंध है, वहां के लोग मुझे रोज मिलते हैं। वे लोग मुझसे कहते हैं कि काफी अन्न है। यह दूसरी बात है कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो। अब यह बात स्केयरसिटी विभाग जाने।

एक सदस्य—अध्यक्ष महोदय कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री अध्यक्ष—दो ही मिनट आप के बाकी हैं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं एक ही मिनट में खत्म करता हूं । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों को सही बात मालूम है इसलिये वे नहीं चाहते कि मैं आगे बोलूं । इसलिये अब मैं नहीं बोलता ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत १९,४१,०५२ रुपये की अतिरिक्त मांग, वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये, स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—५९,

विपक्ष में—१९ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६०

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (Regularization of Excess, 1956-57) Bill, 1960.] को पुरः स्थापित करने की सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (Regularization of Excess, 1956-57) Bill, 1960] को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (Regularization of Excess, 1956-57) Bill, 1960] को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ ठहर कर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (Regularization of Excess, 1956-57) Bill, 1960] पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ज्यादा इसके सिलसिले में नहीं कहना है । यह हमेशा होता है कि जब बहुत बड़ा बजट होता है तो उसमें कुछ न कुछ रुपया ग्रान्ट में जितना प्रोवाइड होता है उससे ज्यादा खर्च होता है और जब एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से इत्तला आती है तो उस मामले को पहले पब्लिक एकाउन्टस कमेटी में पेश किया जाता है और वहां बिचार हो जाने के बाद सिफारिश की जाती है कि इस पर विधान सभा की स्वीकृति ले ली जाय ।

[श्री सैयद अली जहीर]

सन् ५६–५७ का जो हिसाब था वह नवम्बर, सन् ५८ में ए० जी० के यहां से आया। इसके बाद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को गया। २४ दिसम्बर, १९५९ को वहां से यह कहा गया कि इसकी स्वीकृति विधान सभा से ले ली जाय। उसके बाद कोई मौका नहीं मिला पेश होने का। अब यह पेश है। प्रोसीजरल बात है, खर्चा सब हो चुका है, और कोई खर्चा होना नहीं है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जैसी सिफारिश की है, हम उसकी स्वीकृति चाहते हैं। मेरे खयाल से इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिये और यह मंजूर होना चाहिए।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––श्रीमन्, मैं सिद्धान्ततः इस बात को मानता हूं कि इस विनियोग विधेयक को पारित करना चाहिये क्योंकि लोक लेखा समिति ने इस हेतु संस्तुति की है और माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति की सिफारिश को वह इस प्रकार प्रतिवर्ष मानते चले आते हैं। लेकिन जो उन्होंने यह बात कही कि यह हमेशा से होता चला आता है कि जब बड़ा बजट होता है तो एक्सेस हो ही जाती है, मैं समझता हूं कि किसी भी वित्त मन्त्री के लिये यह कहना शोभा नहीं देता क्योंकि वित्त प्रणाली तो यही है कि हमें पूरी चेष्टा इस बात की करनी चाहिये कि जितना स्वीकृत हुआ उससे एक नया पैसा भी आगे न खर्च हो। अगर माननीय वित्त मन्त्री जी अपने भाषण में यह कह दें कि बड़े बजट में ऐसा हो ही जाता है तो विभाग इसको पकड़ लेंगे और कोई भी अधिकारी जो नौकरशाही में है और जरा भी ढील-ढाल पसन्द करता है एकाउंटिंग में, वह इसका गलत अर्थ लगा सकता है, हालांकि मैं जानता हूं कि वित्त मन्त्री जी इसको नहीं चाहते। तो अगर हमें फाइनेंशियल कंट्रोल को सख्त करना है तो इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, समय का तो सवाल था नहीं....

श्री अध्यक्ष––एक बजे तक इसे समाप्त करना है, उसके बाद जो विधेयक है उसके लिये फिर वोट एक घंटे तक नहीं लिया जा सकेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)––उसका टाइम थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाय। १० मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––कहिए तो मैं नियम को सस्पेन्ड करके यह कर दूं कि आज सवा बजे से सवा दो बजे तक वोट नहीं होगा। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है? (कुछ रुककर) तो सवा बजे इसको खत्म कर दें और सवा बजे से सवा दो बजे तक किसी प्रश्न पर वोट नहीं होगा, यानी बजाय १ से २ तक के अब उसकी जगह सवा बजे से सवा दो बजे तक वोट नहीं होगा। उस समय में डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिल जो है, उसकी बहस चलती रहेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इसमें प्रथम दिक्कत तो यह है कि विनियोग पहले ही हो चुका है। विनियोग विधेयक जो और दूसरे होते हैं चाहे सप्लीमेंटरी के हों या मुख्य बजट के, उनमें खर्चा बाद को होता है। लेकिन इसमें खर्चा पहले ही हो चुका है, उसको रेगुलेराइज करना है। इसलिये सिद्धान्ततः यह बिल्कुल अनुचित है।

इसमें ५ किस्म के व्यय अधिक होते हैं। पहला तो यह कि जो सरकार पर दावे होते हैं उनका भुगतान करना होता है। इसके लिये ऐसा होना चाहिये कि प्रत्येक विभाग जिस पर ज्यादा दावे हुआ करते हैं उनके लिये लम्पसम चार्ज्ड फण्ड के रूप में १,००,००० या जो मुनासिब समझा जाय रख दिया जाया करे जिसमें से जब कभी दावे में देना हो दे दिया करें। प्रतिवर्ष दावे के भुगतान में जो रुपया देना पड़ता है इसके लिये कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे जो बुक एडजस्टमेन्ट होता है इसमें लाखों रुपया का हेर फेर होता है। इसलिये एकाउन्टिंग सिस्टम को बदलना होगा। अतः मेरा सुझाव है कि माननीय वित्त मन्त्री जी वित्त सचिव, और महालेखापाल का इसमें ज्यादा दोष है नहीं, भारत के जो कमप्ट्रोलर और आडीटर जनरल हैं, उनसे परामर्श करना होगा, जिससे बुक ऐडजस्टमेन्ट ठीक तरह से हो सके और अधिक व्यय रुक सके।

बहुत से अनुदान ऐसे हैं जिनमें अगर ४९ रुपया है तो उसको हम बढ़ाकर १०० रुपया नहीं ले सकते हैं, उसको जीरो दिखाना पड़ता है। तो जहां ५० रुपये से आधे या चौथाई से ज्यादा लिया जाता है इस प्रकार का आइटम हाउस में नहीं आयेगा। पब्लिक ऐकाउन्ट्स कमेटी में अभी इस पर विचार हुआ है–इसलिये मैं कहूंगा कि ४९,३९,१९ रु० का जो ऐक्सेस होता है यह रेगुलेराइज हो सके और सतांश के रूप में हो सके, इसका वह प्रबन्ध करेंगे।

एक चीज यह है कि हम चार्ज्ड ऐक्सपेन्डिचर को रेगुलराइज कर सकते हैं या नहीं। इस सम्बन्ध में संविधान की धारा २०५ और २०४ को थोड़ा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। वैसे कह देते हैं कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के ऐक्सेस को रेगुलराइज कर लिया जाता है। लेकिन इसमें शंका होती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मन्त्री जी इस सम्बन्ध में परामर्श करके इस प्रकार की कोई सलाह दें जिससे आर्टिकिल २०४ और २०५ के अनुसार चार्ज्ड एक्सपेंडिचर को भी रेगुलराइज करने की किसी प्रकार से व्यवस्था हो सके। जैसा मैंने कहा, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की सिफारिश को मानना चाहिये। इसलिये हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। अगर भविष्य में इस प्रकार अनआथोराइज्ड एक्सेस होती रही तो फिर हाउस को सख्त होना पड़ेगा और जिस प्रकार हाउस आफ कामन्स में होता है किसी न किसी एक मद को हमें अस्वीकार करना पड़ेगा ताकि एक्सेस एक्सपेंडिचर की जो भावना विभागों में आ गई है उसको रोका जा सके। अतः मुझे आशा है कि मन्त्री जी अपने विभाग को आदेश देंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई आवश्यकता न पड़े।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट––अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मुझे यह कहना है जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से सिफारिशें आई हैं, देखा यह गया कि प्रायः उन पर या तो विचार बहुत कम हो रहा है या बहुत देर में होता है। इस तरह की कई सिफारिशें की गई थीं सरकार से, जैसा एक उदाहरण मैं देता हूं। लीसा के सिलसिले में लोक लेखा समिति ने कहा था, जहां तक मुझे याद है, कि फारेस्ट विभाग का ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट लीसा की पूरी कीमत दिखाये क्योंकि फर्क यह होता है कि रा-मैटीरियल की कीमत कम दिखा करके उद्योग विभाग टर्पेटाइन कम्पनी में झूठमूठ कुछ अपना नफा दिखा देता है। यद्यपि दोनों विभाग सरकार के हैं लेकिन उसमें चीज यह रहती है किऔर हम कच्चे माल की की मत सही दिखायें जितने में बाजार में खरीदा जाता है तो हमें एक सही पिक्चर मिल सकती है कि उसके शोधन होने के बाद हमें नफा है या नुकसान, यद्यपि सारे सरकारी खजाने में इससे कुल रुपये में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं लेकिन यह पता लगेगा कि आया यह इन्डस्ट्री वाकई प्राफिट में चल रही है या नहीं।

मुकदमे की जो बातें आईं, उनके डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा लेकिन इतना कहूंगा कि मुकदमों की पैरवी करने में ५–५ महीने की देरी हुई और उसमें हजारों रुपये सिर्फ कास्ट के दूसरी पार्टी को सरकार को देने पड़े। यह बात P.A.C. ने पहले ही बताई थी। अगर पहले ही जो खामियां रह गई थीं उन्हें पूरा कर दिया जाता तो ऐसी बात नहीं होती।

माननीय खाद्य और रसद मन्त्री ने कहा कि खर्चा हमारा इसलिये बढ़ गया क्योंकि हमने grain को subsidize किया है। श्रीमन, कानपुर गोदाम की जो सितम्बर, ५५ में चेकिंग हुई तो उसमें १,५१,१४८ मन की कमी निकली। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ऐसे लासेज थे जिनको राइट आफ कर देना चाहिये था मगर नहीं किया लेकिन ३,९४,२०१

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

रुपये का हिसाब अब तक नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि सब्सिडाइज्ड ग्रेन देते हैं केवल इसलिये लास नहीं हुआ।

इसके अलावा चना, गेहूं, वगैरह साफ करने में जो परसेंटेज होना चाहिये उससे चौगुना पंचगुना परसेंटेज इनका छीजन निकलता है। कभी कहा जाता है कि चूहे खा गये। तो यह तो पता है नहीं कि चूहे ५ फीट के थे या कितने बड़े थे। मन्त्री जी ने कहा कि कुछ अप्रत्याशित कारणों से यह हुआ। यह ग्रांट ८,८९,४२,००० रुपये की है। उनकी रांग बजटिंग इतनी होती है कि फरवरी में १,८९,४२,००० रुपये वापस कर देते हैं जिसकी वजह से एक्सेस हुआ। माननीय मन्त्री जी यह भी देखने की तकलीफ गवारा नहीं करते हैं कि उस पर रेलेवेंट लिट्रेचर क्या है और यहां जवाब दे देते हैं। यह ठीक है कि उनके साथ बहुमत है और जो वे कह देंगे वोट तो उनको मिल ही जायेंगे, लेकिन एक समुचित उत्तर जनता को मिलना चाहिये।

एक आइटम सिंचाई के निर्माण कार्य वाला है। इसमें मैं कह दूं कि एक ठेकेदार को २,८२,००० क्यूबिक फीट मिट्टी भरने का एक्स्ट्रा पेमेन्ट कर दिया गया। यानी एक्सेस इसलिये हुआ कि किसी के ऊपर विशेष कृपा की गई।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, दो एक सजेशन्स दिये गये हैं, मुझे उन्हीं के मुताल्लिक अर्ज कर देना है। जहांतक यह तजवीज है कि जो अदालत की डिग्री वगैरह होती हैं उनके लिये एक अलग फंड रहे और उस फंड से रुपया दिया जाया करे, तो एक कंटिंजेन्सी फंड सूबे का ४ करोड़ रुपये का रहता है और इस तरह के एखराजात जो पहले से फोरसी नहीं किये जा सकते हैं या जिनका प्राविजन बजट में नहीं होता है उनका पेमेन्ट उस फंड से किया जाता है और फिर उसको रिकूप करने के लिये सप्लीमेन्टरी डिमांड वगैरह की शक्ल में हाउस की मन्जूरी ले ली जाती है। तो वह आइटम तो एक अलग है। बहरहाल, वह एक चार्ज्ड आइटम होता है, उसके ऊपर कोई सवाल वोटिंग वगैरह का नहीं होता है। वह इत्तला के लिये और मंजूरी के लिये हाउस में आता है और जहां तक इस सजेशन का ताल्लुक है, उसके बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि इसकी जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने दो-तीन सजेशन बताये। उन पर गौर किया जायगा और जो मुनासिब होंगे उनपर अमल किया जायगा। एक बात और कही गई कि जहां तक मेरा कहना यह है कि बड़े बजट में ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो ऐसी कोई चीज हो जाय कि हमेशा के लिये एक तरीका बना दिया जाय। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह चीज नहीं है कि महज कहने से ज्यादा खर्चा हो जाया करता है या होने लगता है। हम कोशिश करते हैं कि जितना बजट में प्राबीजन हो उसी के अन्दर रहा जाय।

नारायणदत्त जी ने यह भी कहा कि बजट शुरू में डेफीसिट होता है, लेकिन बाद में जाकर सरप्लस हो जाता है इसलिये रुपया ज्यादा खर्च नहीं होता है। लेकिन बाज—बाज हेड्स ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा रुपया खर्च हो जाता है और जैसा मैंने कहा कि इतने बड़े बजट में अगर कुछ पया ज्यादा खर्च हो जाय तो ऐसी खास बात नहीं है। इसमें देखने की जरूरत है कि अगर लापरवाही की वजह से ज्यादा खर्चा हुआ है तो डिपार्टमेन्ट की जिम्मेदारी है और उसने बजट बनाने में गलती की या और कोई चीज है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज हो जो अनफोरसीन हो और उसमें खर्च करने की जरूरत थी तब तो डिपार्टमेन्ट की मजबूरी थी और खर्च करना जरूरी था। बहरहाल, मैं यह चाहता हूं कि फायनेन्स डिपार्टमेन्ट की यह कोशिश होनी चाहिये कि एक्सेस डिमान्ड्स कम हों और अखराजात बजट के अन्दर रहा करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (Regularization of Excess, 1956-57) Bill, 1960]. पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६०

३१ मार्च, १९५७ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों की बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

यह इष्टकर है कि ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशि को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था की जाय,

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतन्त्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षक नाम

१––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की १९५६-५७ की संचित निधि में से ५१,४३,३२० रुपये का दिया जाना

२––उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियां जिनका कुल योग ५१,४३,३२० पया (केवल इक्यावन लाख तैंतालीस हजार तीन सौ बीस पया) होता है ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त उस वर्ष के लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दी तथा काम में लाई जा सकती है।

विनियोग

३––इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का अधिकार दिया जाता है उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त हुये वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	राजस्व व्यय			
८	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय ..	..	१,७७१	१,७७१
९	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	७,२३,८२७	..	७,२३,८२७
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय ..	..	५,५६८	५,५६८
१५	न्याय प्रशासन ..	.. १,७७,४८३	..	१,७७,४८३
१६	जेल	.. ५,४३,१८२	..	५,४३,१८२
१७	पुलिस ..	.. ८७,८८३	..	८७,८८३
२२	उपनिवेशन ..	.. ..	४९	४९
३१	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित)	९,०४,९२०	..	९,०४,९२०
३६	बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें ..	४,३०,४२०	८,९४४	४,३९,३६४
३९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	३,१८,१८७	..	३,१८,१८७
	राजस्व व्यय का योग ..	३१,८५,९०२	१६,३३२	३२,०२,२३४
	पूंजी व्यय			
४४	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	..	३४	३४
५०	राज्य व्यापार की योजनायें ..	१९,४१,०५२	..	१९,४१,०५२
	पूंजी व्यय का योग ..	१९,४१,०५२	३४	१९,४१,०८६
	कुल योग ..	५१,२६,९५४	१६,३६६	५१,४३,३२०

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (Regularization of Excess, 1956-57) Bill, 1960] पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६० [The U. P. Appropriation (Regularization of Excess, 1956-57) Bill, 1960] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद विधेयक, १९६०

खंड १८ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद विधेयक, १९६०, पर विचार प्रारम्भ होगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उप-खंड (१) के भाग (९) के पश्चात् भाग (१०) निम्नलिखित रूप से जोड़ा जाय:--

'भाग (१०) जिले के भारत सेवक समाज की ओर से एक प्रतिनिधि जिला परिषद का एक सदस्य होगा ।'

अध्यक्ष महोदय, भारत सेवक समाज एक ऐसी संस्था है जो किसी पार्टी विशेष की नहीं है। यह एक सोशल संस्था है और जिसने जन्म से ही विभिन्न अवसरों पर बहुमुखी देश की सेवा की है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस संस्था की ओर से एक सदस्य का आना इसलिये आवश्यक है कि सार्वजनिक और सोशल मामलों में इसके प्रतिनिधि द्वारा सहायता मिलती रहेगी, और वह सामाजिक क्षेत्र में भारत सेवक समाज का प्रतिनिधित्व करता रहेगा और इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में जिले में जन-जाग्रति बनी रहेगी। मैं आशा करता हूं कि इस अच्छे संशोधन को माननीय मन्त्री जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रखा गया है वह श्री प्रताप सिंह के तथा मेरे संशोधन के आधार पर रखा गया है। यदि श्री प्रतापसिंह तथा मेरा नं० ८९ का संशोधन मन्जूर हो जाता है तब इसकी जरूरत पड़ती है। यदि नहीं मन्जूर होता है तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिये मैं उपस्थित तो कर दे रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उप-खंड (२) के भाग (२) को निकाल दिया जाय। उपस्थित तो हम कर दे रहे हैं मगर उसी संशोधन के आधार पर वापसी, न-वापसी का सवाल रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि यदि ऐसा अमेन्डमेन्ट रखा गया है कि हरिजनों के स्थान सुरक्षित कर दिये जायं तो हम मान लेंगे। अगर मन्त्री जी इस बात को मानते हैं तो इस उप-धारा की कोई जरूरत नहीं रह जाती है और जब हरिजनों के लिये संविधान में स्थान संरक्षण करना निश्चित है तो उनका रिजर्वेशन जरूरी है तब इस खंड के जरिये कोआप्शन की क्या जरूरत थी? बल्कि संविधान के अनुसार उनकी जगहें सुरक्षित करनी चाहिये थीं। लेकिन खेद है कि इस विधेयक के अन्दर उनका स्थान रिजर्व न करते हुये कोआप्शन द्वारा उनकी सीट निर्धारित की गई परन्तु कोआप्शन में जितने

---

†७ सितम्बर, १९६० की कार्यवाही से।

[श्री अमरनाथ]

हरिजन सदस्यों की तादाद रखी गई है वह बहुत कम है। ऐसी सूरत में यह हमारा अमेंडमेन्ट है। यदि प्रतापसिंह जी का और मेरा नम्बर ८९ का अमेन्डमेन्ट मन्जूर हो जाता है तो इस अमेन्डमेन्ट की जरूरत पड़ती है कि इस भाग को निकाल दिया जाय। यदि प्रताप सिंह जी का और मेरा नम्बर ८९ का अमेन्डमेन्ट नहीं मन्जूर होता है तो हम इस अमेन्डमेन्ट को उस सूरत में वापस ले लेंगे क्योंकि इसके निकाल देने से हरिजनों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं रह जायगा। प्रतापसिंह जी का संशोधन जन संख्या के आधार पर है। इसलिये हम चाहेंगे कि जन संख्या के आधार पर हरिजनों को सीटें सुरक्षित की जायं। इन शब्दों के साथ में अपना अमेन्डमेन्ट कन्डीशनल रख रहा हूं।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी नारायण बंसल, पीठासीन हुये।)

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मेहरोत्रा जी की ओर से जो संशोधन रखा गया है कि भारत सेवक समाज का प्रतिनिधि होना चाहिये मैं उनकी पवित्र भावना को समझते हुये भी इस संशोधन का विरोध करता हूं। वह इसलिये कि आज प्रदेश में बहुत सी संस्थायें हैं। अगर भारत सेवक समाज का प्रतिनिधित्व होगा तो कल को समाजवादी युवक सभा कहेगी कि हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये। मैं मेहरोत्रा जी की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि वह इस तरह का संशोधन वापस लेलें। भारत सेवक समाज पर सर्वदलीय आस्था नहीं है। जिस संस्था को सर्वदलीय आस्था प्राप्त हो उसे लेने का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश के भारत सेवक समाज के जितने सुनियोजक हैं क्या वह कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं? अगर कांग्रेस पार्टी के हैं तो सीधी-सीधी कांग्रेस पार्टी की संस्था है। वर्मा जी बड़े सरल स्वभाव के हैं, उनसे रिटायरिंग रूम में यदि बात कर लें तो वह मान भी लेते हैं, वह हां कर देंगे। लेकिन यहां तो ट्रेजरी बेंचेज की बात है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा भाषण की बात है नहीं। मंशा यही है कि इस तरह की संस्थाओं का कोई प्रतिनिधि नहीं होना चाहिये।

हां, उस प्रकार की संस्था कोई हो जिसमें कि भारत का हर नागरिक आस्था रखता हो तो उसके लिये हम मानने को तैयार हैं। भारत सेवक समाज का बाहर का जामा तो एक नान-पोलिटिकल पार्टी का जरूर है, लेकिन होता क्या है? चुनाव के दौरान में भारत सेवक समाज का एक-एक नवजवान कांग्रेस पार्टी का प्रचार करता है और अगर उसके प्रतिनिधि को जिला परिषद् का सदस्य बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो बात है उसमें वही राजनीति शुरू हो जायगी जोकि भारत सेवक समाज करता है। हम यह नहीं कहते कि भारत सेवक समाज में सभी लोग ऐसे ही हैं। जरूर उसमें कुछ अच्छे आर्गेनाइजर भी हैं, लेकिन वह क्या करें? ऊपर से तो वहां भी वही रूलिंग पार्टी है। उस को ग्रांट मिलती है गवर्नमेन्ट से, जो जिसका भत्ता खाना उसके गीत गाना। गवर्नमेन्ट की तारीफ तो वह करेंगे ही। इसलिये उनको जिला परिशद् का सदस्य बनाना जनतांत्रिक सद्धान्तों का हनन करना होगा। अन्त में मैं इसका विरोध करता हूं, चाहता हूं कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिये और इस प्रकार की किसी भी संस्था के प्रतिनिधित्व की बात मन्त्री जी के सामने भी आवे तो उसका घोर विरोध वह भी करें।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मन्त्री जी, आपको श्री नागेश्वरप्रसाद जी के संशोधन के पेश किये जाने में कोई आपत्ति तो नहीं है?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:--

"खंड १८ के उप-खंड (१) की मद (४) और (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(४) जिला कोआपरेटिव फेडरेशन का एक प्रतिनिधि तथा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का एक प्रतिनिधि जिन्हें नियत शर्तों के अधीन नियत रीति से चुना जायगा,

(५) जिले की ऐसी संस्थाओं के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा चुना एक सदस्य जो राज्य सरकार की दृष्टि में समाजोत्थान का काम कर रही हों।"

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--श्रीमन, यह किस नम्बर पर है ऐजन्डे में?

श्री अधिष्ठाता--यह अभी नया पेश हुआ है। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री को उसके पेश होने में एतराज नहीं था, इसलिये मैंने उसकी इजाजत दे दी है।

श्री नागेश्वरप्रसाद--मान्यवर, यह संशोधन जो मैंने उपस्थित किया है उसकी मंशा यह है कि अभी तक खंड १८ के उप खंड (१) की मद (४) और (५) में अलग-अलग यह रखा गया था कि कोआपरेटिव फेडरेशन का प्रतिनिधि और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि जो नियत रीति से चुने जायं, उनको रखा जाय। लेकिन बहुत से सदस्यों की भावना देखी गई और मैं भी इसको उपयुक्त समझता हूं कि अगर चुनाव होता है तो बहुत सी संस्थायें ऐसी हैं सारे प्रान्त के भीतर जिले-जिले में जोकि सार्वजनिक कामों में, समाजोत्थान के कामों में, बड़ी दिलचस्पी लेती हैं और उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन उनके प्रतिनिधियों को इसमें रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर सरकार हमारे संशोधन को स्वीकार कर लेती है तो ऐसी संस्थाओं के भी प्रतिनिधि आ सकेंगे और साथ ही कोआपरेटिव फेडरेशन और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैन्क के भी प्रतिनिधि नियत शर्तों के अधीन और नियत रीति से चुन करके आ सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को रखना बहुत जरूरी है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर ज्यादा न कहकर के मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री भीखालाल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अभी संशोधन पेश हुआ है, उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। संशोधन इस प्रकार है कि कोई भी सामाजिक संस्था जो समाजोत्थान के काम में लगी हो उसका कोई प्रतिनिधि सरकार नियत रीति से चुन ले। यह संशोधन पहले से नहीं आया था। अभी-अभी माननीय सदस्य ने इसे पेश किया है और माननीय मन्त्री जी ने इसके पेश करने पर कोई आपत्ति नहीं की लेकिन जिस रूप में यह संशोधन है वह इतना गोल है कि उसका कोई भी मतलब किसी भी वक्त निकाला जा सकता है।

मान्यवर, मुझे बड़ा भय मालूम होता है। अभी तक का अनुभव यह बताता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन १२,१३ साल से टालना और फिर उसके बाद उसको इस तरह से करना, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। कांग्रेस पार्टी आज यह समझती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उसका बहुमत नहीं हो सकता। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने इस बात को अवाइड किया है कि डाइरेक्ट चुनाव कराये। इनडाइरेक्ट चुनाव से अपने आदमी वहां भेज कर जिला परिषद् में सरकार चाहती है कि अपना बहुमत कर ले। इस संशोधन का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी संस्था जिसको सरकार समझे कि समाज के उत्थान के लिये है उनके प्रतिनिधि नियत रीति से चुन लिये जायें। मैं नहीं समझता कि कौन सी ऐसी संस्था हमारे प्रदेश में है जो समाज के उत्थान में न लगी हो। बहुत सारी संस्था आज समाज के उत्थान के कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन सरकार की नजर में कौन सी संस्था आयेगी जिसको यह समाजोत्थान के लिये समझे? किसी भी संस्था का नाम नहीं बताया गया। अभी दूसरे संशोधन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखालाल]

में भारत सेवक समाज का नाम बताया गया, लेकिन यहां पर किसी अन्य संस्था का नाम नहीं लिया गया है। आज बहुत सी संस्थायें ऐसी हैं लेकिन इस संशोधन में भारत सेवक समाज के जरिये से आदमी रखना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के पैमाने पर और सूबे के पैमाने पर भी किसान सभा जैसी बहुत सी संस्थायें हैं। यह सब समाजोत्थान के कामों में लगी हुई हैं। यह समाज को पीछे गिराने के लिये नहीं हैं। इस प्रकार से गोलमोल शब्दों को रखना मैं कोई महत्व की बात नहीं समझता हूं। सरकार को ऐसा अधिकार नहीं देना चाहिये कि जिसको चाहे वह उस संस्था के प्रतिनिधि के रूप में लेले। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, अभी जो प्रस्ताव सरकार की ओर से पेश हुआ है मैं उसका विरोध करता हूं। अभी तक सरकार को यह अधिकार था कि जो बोर्ड के बजाय जिला अन्तरिम परिषद् बनाने का रूप दिया है, उसमें जनता के आदमी रखे मगर उसने अपने सब आदमियों को लिया और अपने ढंग से लिया और प्रजातन्त्र की हत्या की। अब यहां भी आप वही करेंगे? सरकार के कामों पर मेरा विश्वास नहीं है। इसलिये यह सरकार जो कुछ कर रही है वह गलत ही कर रही है।

इस सम्बन्ध में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि किसी भी संस्था का कोई आदमी नहीं होना चाहिये, और अगर हो तो हमारी भी संस्था का हो। हमारी भी एक संस्था है, प्रजा समाजवादी पार्टी, उसका लीजिये। जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी का भी सदस्य लीजिये। कांग्रेस पार्टी का ही सिर्फ क्यों लिया जाय? आप यह कह सकते हैं कि यह कांग्रेस पुरानी जमात है जिसने देश की आजादी में हिस्सा लिया इसलिये उसके आदमी लिये। अगर ऐसे ही आप कहते तो मान लेते लेकिन आप धोखा क्यों देते हैं? यह चालें तो सरकार की बहुत देख चुके हैं। अब कोई सरकार की इस चाल में फंसना नहीं चाहता है। आपकी बहुमत की पार्टी है और आप अपना ही प्रतिनिधि रखना चाहते हैं, तो उसमें हमारा भी प्रतिनिधि लीजिये। सब पार्टियों का सब जमातों का एक-एक प्रतिनिधि उसमें रखिये। एक जंगल के पक्षियों का भी प्रतिनिधि रखिये, एक बैलों का एक पशुओं का और कीड़ों का। इनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सरकार की निन्दा करता हूं।

श्री अमरनाथ—अधिष्ठाता महोदय, श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। इस संशोधन के जरिये से मेहरोत्रा जी जिला परिषद् में एक और सदस्य बढ़ाना चाहते हैं, भारत सेवक समाज का। यह संस्था ऐसी है जिसको यह कहा जाय कि इसमें कांग्रेस के लोग ही अधिक हैं और खासतौर से कांग्रेस के समर्थन में यह संस्था बनाई गई है तो कोई गलत बात नहीं होगी। हम उचित नहीं समझते कि कोई जिला परिषद् का सदस्य भारत सेवक समाज का व्यक्ति बनाया जाय और इसके बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है। इस तरह से सदस्य उसमें भेजने का केवल मतलब यह है कि अपने पार्टी के आदमी वहां भेजने की बात की जाय जिससे शासक पार्टी का बहुमत हो और इसी कारण यह संशोधन लाया गया है। इससे यह चाहा जा रहा है कि शासक पार्टी के लोग उसमें अधिक आ जायें। अगर ऐसी ही संस्थाओं को जगह दी जाय तो ऐसी बहुत सी संस्थायें हैं, उनका प्रतिनिधि रखना जरूरी होगा। हम कहते हैं कि ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि रखे जायेंगे तो परिषद् की संख्या बहुत बढ़ जायगी और वहां पर बैठने की जगह भी नहीं रह जायगी और इस तरह का बड़ा बोर्ड बनाना बहुत अनुचित बात होगी। इस कारण भारत सेवक समाज का कोई व्यक्ति उसमें नहीं होना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—मुझे सिर्फ इसी के बारे में कहना है या सब के....

श्री अधिष्ठाता—आप जैसा चाहें।

श्री जयराम वर्मा—इस खंड के अन्दर जितने संशोधन पेश हुये हैं अभी किसी के बारे में कोई जवाब मैंने नहीं दिया। तो क्या आप सब के बारे में कहने देंगे?

श्री अधिष्ठाता—आप सब पर कह लीजिये।

श्री जयराम वर्मा—अगर अब कोई संशोधन मूव न होने को हो तो मैं शुरू करूं?

श्री अधिष्ठाता—जितने मूव हो चुके हैं उन पर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन, मुझे दो मौके मिल सकते हैं, एक इन्टर्वेन्शन का और एक बाद में। समय का सवाल बाद में पैदा हो सकता है कि कितना समय मुझे मिलेगा। इन संशोधनों की संख्या करीब १०० के है ; अगर कुछ समय मुझे ज्यादा दिया जाय तो मैं एक साथ ही सबके बारे में कह दूं।

श्री अधिष्ठाता—नहीं, यह तो आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं। बीच में बोलना चाहें तो बीच में बोल सकते हैं, इस वक्त, चाहे बाद में।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन, मैं चाहता था कि अगर मुझे इधर सात मिनट मिलने वाला हो.....

श्री अधिष्ठाता—आपके लिये समय का बन्धन नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। जितने भी संशोधन आये हैं उनके जवाब में मन्त्री जी बीच में इन्टरवीन करते रहे हैं। क्या अब दुबारा इन्टरवीन करने का हक देना उचित है ?

श्री अधिष्ठाता—वह इन्टरवीन कर सकते हैं और फाइनल रिप्लाई भी दे सकते हैं क्योंकि वह सब संशोधनों पर नहीं बोले हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—मैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—क्या वह आपने भेज दिया है ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी—आप की इजाजत हो तो पेश कर दूं, बाद में लिख कर भेज दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, पहले जितने संशोधन पेश हुये हैं उन पर जवाब हो जायें। बाद में पूछूंगा कि मन्त्री जी को आपके संशोधन लेने पर कोई एतराज तो नहीं है। लिहाजा पहले आप उनको लिखकर भेज दीजिये। अगर उनको एतराज नहीं होगा तो इजाजत मिल सकती है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—बाद में भेज दूंगा, इस वक्त तो मन्त्री जी को एतराज नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, जब तक संशोधन मेरे सामने न हो, तो मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं कह तो रहा हूं कि बाद को लिख कर भेज दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन उसके बगैर मालूम कैसे पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं? पहले आप लिख कर भेज दीजिये। अगर उनको कोई एतराज नहीं होगा तो मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री जयराम वर्मा—तो, श्रीमन्, मैं सभी संशोधनों पर बोल सकता हूं न ?

श्री अधिष्ठाता—जिन पर आप नहीं बोले हैं उन पर आप बोल सकते हैं।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, जो संशोधन माननीय नागेश्वर द्विवेदी जी द्वारा उपस्थित किया गया है.....

श्री अमरनाथ—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । क्या माननीय मन्त्री जी इन्टरवीन कर रहे हैं या इन संशोधनों का जवाब दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—वह इन्टरवीन कर रहे हैं ?

श्री अमरनाथ—पूरे पर ?

श्री अधिष्ठाता—जिन पर नहीं बोले हैं उन पर ।

श्री जयराम वर्मा—खंड १८ के उप-खंड (१) की मद (४) और (५) में जिला कोआपरेटिव फेडरेशन और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैन्क के एक-एक प्रतिनिधियों की व्यवस्था इसमें की गई थी। अब द्विवेदी जी का जो संशोधन है उसकी मंशा यह है कि यह (४) और (५) मदें एक कर दी जायें, यानी मद (४) कर दी जाय कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैन्क का एक मेम्बर होगा और जिला कोआपरेटिव फेडरेशन से एक मेम्बर होगा और मद (५) में यह लिखा जाय कि जिले के अन्दर जितनी संस्थायें हों जो राज्य सरकार की दृष्टि में समाजोत्थान का काम कर रही हों उनमें से राज्य सरकार द्वारा चुना हुआ एक सदस्य रखा जाय। जैसा कि द्विवेदी जी ने बताया, जिलों में ऐसी संस्थायें होती हैं जो समाज कल्याण और समाज उत्थान का काम करती हैं और वह चूंकि राजनीति में शरीक नहीं होती हैं इसलिये उनके एलेक्शन से लड़ कर आने की कोई गुन्जाइश यहां नहीं रहेगी। ऐसी संस्थायें जो सामाजिक हैं वह एलेक्शन में खड़ी नहीं होना चाहेंगी और ऐसी संस्थाओं के लिये यहां एक व्यवस्था की गई है। भीखालाल जी ने इसका बहुत सख्त विरोध किया और उन्होंने ही एक संशोधन दिया है ८४ नम्बर पर, जिसमें है कि श्रमिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि जिसे नियत शर्तों के अधीन तथा नियत रीति से चुना जायगा। यह उनका मंशा था और वह चाहते थे कि सरकार इसको मान ले और इसको सीमित कर दे श्रमिक संस्थाओं तक। हमने तो जिले में कोई भी संस्था जो सामाजिक उत्थान का काम कर रही हो, उनके बीच से एक आदमी लेने की व्यवस्था की है और सरकार को अधिकार होगा कि उनमें से किसी एक को चुन ले। इसलिये यह कहना कि दूसरे तरीके से यह कोई दूसरी बात की जा रही है, ठीक नहीं है।

जब मैंने माननीय सदस्यों की बातों को सुन कर उनकी भावनाओं की कद्र करते हुये एक माननीय सदस्य द्वारा उपस्थित संशोधन को स्वीकार करना चाहा तो उस समय दूसरी तरह की बात कही जाने लगी। हम उसको किसी एक खास संस्था तक सीमित नहीं करना चाहते। वह संस्था भारत सेवक समाज हो सकती है, स्काउटिंग की संस्था हो सकती है, या और कोई दूसरी संस्था हो सकती है, जिसको सरकार समझती है कि उसके प्रतिनिधि के जिला परिषद् में आने से अच्छी सेवा हो सकेगी, उस आदमी को वह जिला परिषद् में स्थान देगी और उसकी सेवा का उपयोग करेगी। इसीलिये इस प्रकार की व्यवस्था यहां की गई है।

श्रीमन्, यह जो खंड १८ है, जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये उनसे प्रकट होता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है । बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये और जिन-जिन ने अपने संशोधन इसमें उपस्थित किये उन के विचार में अगर उनका संशोधन मान लिया जाय तो यह विधेयक और अच्छा हो जायगा। और उनकी राय ऐसी भी रही कि अगर उनका संशोधन मान लिया जाय तो सचमुच में विकेन्द्रीकरण भी हो जायगा और जो हम अपेक्षा करते हैं वह पूरी हो सकेगी। लेकिन उनकी राय यह भी रही है कि अगर उनका संशोधन किसी तरह से न माना गया तो वह सारी चीज ही खत्म हो जायगी जिसको लेकर हम चलना चाहते हैं और विकेन्द्रीकरण नहीं होगा।

अब जिन संशोधनों को उपस्थित किया गया है उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर एक माननीय सदस्य एक बात चाहते हैं तो दूसरे सदस्य अपने संशोधन

में उसके विरुद्ध दूसरी बात चाहते हैं और सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि उनका संशोधन बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में जब माननीय सदस्यों के संशोधनों में एक दूसरे में विरोध हो, एक-एक बात चाहते हैं और दूसरे दूसरी बात, तो उनको मान लेना कहां तक सम्भव होगा? और सचमुच अगर सब के संशोधनों को उनके महत्व देने के अनुसार स्वीकार कर लिया जाय तो यह विधेयक, विधेयक तो नहीं रह जायगा बल्कि चूंचूं का मुरब्बा जरूर बन जायगा और उसके माने कुछ नहीं रहेंगे।

एक माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोआपरेटिव का कोई प्रतिनिधि न रहे, कुछ चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधित्व में कमी है, उसे और बढ़ाया जाय। कई माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसमें विधान परिषद् के सदस्य जरूर रहें, राज्य सभा के सदस्य, लोक सभा के सदस्य जरूर रहें, कुछ चाहते हैं कि हरगिज न रहें। तो इसी तरह पर यह संशोधन एक दूसरे के विरोधी हैं और उनको मान लेने से क्या परिणाम हो सकता है, इसे माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मैं एक सूचना चाहता हूं। अभी मन्त्री जी ने जो कहा है कि कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि उसमें सदस्य जरूर रहें, तो क्या वह बतला सकते हैं कि इतने दिन की डिबेट में किसने कहा कि माननीय सदस्य इसमें जरूर रहें?

श्री अधिष्ठाता—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, वह पहले अपनी तरफ के सदस्यों से तो पूछ लें कि वे चाहते हैं या नहीं। मैं नाम किसी के नहीं बतलाना चाहता, मगर उधर के भी लोग चाहते हैं इसको।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मान्यवर, इस हाउस की यह परम्परा रही है कि किसी पर आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। जब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इधर के लोग चाहते हैं और उन्होंने कहा कि पहले हम अपने बड़ों से पूछ लें, तो यह गलतफहमी पैदा करने वाली बात है और उनको नाम बताना चाहिये। मैं कहता हूं कि इधर के किसी भी सदस्य ने ऐसा नहीं कहा।

श्री अधिष्ठाता—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और न ही किसी पर आक्षेप है।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा था कि बड़ों से पूछ लें, मैंने यह कहा था कि माननीय सदस्यों से पूछ लें।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी तरफ के ही लोगों के संशोधन आये कि जो एम० पी० और एम० एल० एज हैं उनको अध्यक्ष होने से न रोका जाय, किन्तु हमने इसकी छूट नहीं रखी है।

अब, श्रीमान् जी, खंड १८ के उपखंड (१) की जो मद (१) है उसके बारे में तो किसी को कोई विरोध नहीं है। अब जो इसकी मद (२) है जिसमें यह है कि—प्रत्येक क्षेत्र समिति द्वारा नियत रीति से अपने सदस्यों में से चुने गये उतने व्यक्ति (यदि कोई हों) जिनका निर्देश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा करे—इसके संबंध में लोगों को कुछ आपत्ति जरूर है। कुछ लोगों को तो यह आपत्ति है कि इसमें किस तरह से चुनाव होगा, इसकी प्रणाली की कोई व्यवस्था नहीं है। वे चाहते हैं कि यह एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा हो। तो अगर इसकी व्यवस्था एक जगह की जाती है, यानी मद (२) में, तो फिर सभी जगह यही व्यवस्था करनी होगी। इस तरह की चुनाव प्रणाली बड़ी मुश्किल है। इसमें बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

[श्री जयराम वर्मा]

कुछ माननीय सदस्यों ने और आपत्तियां भी की हैं । वे चाहते हैं कि इसके साथ यह भी जोड़ दिया जाय कि उसमें अनुसूचित जाति के सदस्य भी होंगे । उनके बारे में तो हमने अलग व्यवस्था की है और किस तरह से हम उन्हें लेंगे, उसके बारे में मैं आगे चल कर बताऊंगा ।

कुछ माननीय सदस्य यह भी चाहते हैं कि टाउन एरिया के चेयरमैन और नोटीफाइड एरिया के प्रेसीडेंट इसकी जगह पर रख दिये जायं । (किसी सदस्य के कुछ कहने पर) यह, श्रीमान् जी, उधर के ही सदस्यों का संशोधन है । उनके लोगों की यह राय है कि जो खंड और खंड के सदस्य हैं वे जो चुन कर भेजते हैं और इसके लिये जो व्यवस्था है उसको हटा दिया जाय । वे यह चाहते हैं कि टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया जिनकी आबादी केवल ५–६ हजार होती है, उनके चेयरमैन जिला परिषद् के मेम्बर हो जायं और उनके चेयरमैन भी हो जायं । श्रीमन्, इतनी छोटी आबादी के लिये इतना बड़ा प्रतिनिधित्व दे देना किसी तरह से भी उचित नहीं है और हम इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं । जो माननीय सदस्य यह एतराज़ करते रहते हैं कि यह पदेन या इंडायरेक्ट तरीके से चुने हुए सदस्यों को क्यों रखा गया है, वह खुद ही इस तरह का संशोधन देते हैं कि वह इंडायरेक्ट तरीके से इसमें रख दिये जायं और फिर शिकायत करते हैं कि वह तो उधर से यह चीज हो रही है ।

कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना था कि इसको बिलकुल निकाल दिया जाय, यानी ब्लाक कमेटी के सदस्य जो अपने में से चुन कर भेजने वाले हैं वह भेज न सकें । इसकी व्यवस्था इसी वास्ते की गयी है कि जो जिले ऐसे हैं जहां पर ब्लाकों की संख्या बहुत कम है इसलिये यह तय किया गया कि जिला परिषद् की संख्या पूरी हो सके इसलिये क्षेत्र समिति प्रमुख के अलावा भी अपने में से जो संख्या निश्चित की जाय—एक या कहीं दो—वह चुनकर भेज सकेगी । इसलिये उसमें से निकालने से कोई लाभ नहीं होने वाला है । एक माननीय सदस्य २० की जगह ४० चाहते हैं, तो यह और जरूरी हो जाता है । अगर यह व्यवस्था नहीं करते हैं तो यह संख्या पूरी नहीं होगी । इसलिये ब्लाक कमेटी के सदस्य जो जनता के चुने हुए आदमी होंगे वह अपने में से कुछ प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे । श्रीमन्, इसके खंड १८ के उप खंड (१) की मद ३ में यह जो व्यवस्था की गयी है कि नगरपालिका का प्रेसीडेंट जिला परिषद् का सदस्य होगा, वह इसलिये की गयी है कि जिले के कोई एनक्लेव्स ऐसे न छूट जायं जहां का प्रतिनिधित्व जिला परिषद् में न हो और जिनका प्रयोग हम जिले के काम को बढ़ाने में न कर सकें । इसलिये नगरपालिका के प्रेसीडेंट को जिला परिषद् का सदस्य माना गया है ।

इस संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने यह संशोधन रखा है कि इसको हटाकर यह कर दिया जाय कि जिला परिषद् के अध्यापकों के प्रतिनिधि उनकी जगह पर आयेंगे । उनका उस जगह पर कोई संबंध नहीं जुड़ता, लेकिन ऐसा संशोधन उपस्थित किया गया । एक माननीय सदस्य ने यह संशोधन किया है कि हर नगरपालिका का प्रेसीडेंट इसका प्रतिनिधि न हो, बल्कि कुछ आबादी तय कर दी जाय कि कितनी आबादी पर एक प्रतिनिधि होगा, तो जिले के अन्दर जितनी नगरपालिकाएं हों, आबादी के हिसाब से उनका जितना नम्बर आता हो उतना नम्बर उन प्रेसीडेंटों में से चुन लिया जाय । इससे एक और दिक्कत हो सकती है कि जो बड़े बड़े जिले हैं, जैसे गोरखपुर है, जहां पर एक प्रतिनिधि रखा है वहां एक की जगह दो देने पड़ेंगे और जो छोटी छोटी नगरपालिकाएं हैं जहां पर ३०,००० की आबादी है, अगर ७०–७५ हजार की आबादी पर प्रतिनिधि रखा जाय तो वहां पर कोई प्रतिनिधि नहीं मिल सकेगा । इसलिये ऐसी व्यवस्था की गयी है कि हर नगरपालिका की सेवा हम इस काम में ले सकें, इसलिये ऐसा किया गया ।

अब अध्यापकों के प्रतिनिधित्व की बात कही गयी है । यहां पर भी कहा गया है, आगे भी कहा गया है । एक नया खंड १० जोड़ करके उनके प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की बात कही गयी है । उस संबंध में अच्छा होगा कि यहां पर ऐसा संशोधन आया है इसलिये मैं कुछ निवेदन कर दूं । श्रीमान् जी, हमारे यहां सिर्फ यह विधान परिषद् है जहां अध्यापकों के प्रतिनिधि आते हैं । वह एक सरकारी संस्था है । वहां पर जो प्रतिनिधि आते हैं, जो अध्यापक सरकारी सेवा में

हैं उनके प्रतिनिधि नहीं होते बल्कि जो सरकारी सेवा के बाहर हैं उनके प्रतिनिधि वहां आते हैं । वह इस आधार पर किया गया है कि जिसकी संस्था हो—सरकार की संस्था है तो जो अध्यापक सरकार की सेवा में हैं उनको इंडायरेक्टली अलग से अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न हो । जो उसके बाहर हैं उनको अधिकार है । इस तरह से उस नियम को जिला परिषद् में लागू किया जाय । जो अध्यापक जिला परिषद् में हैं, उसी नियम के हिसाब से उनको जिला परिषद् का मेम्बर होने का अधिकार नहीं होना चाहिये । इसी नियम को सामने रखकर जिला परिषद् के अध्यापकों का कोई प्रतिनिधि यहां पर नहीं रखा गया क्योंकि वह नियम के विरुद्ध पड़ता है । इसलिये यहां पर जो ऐसा संशोधन किया गया है या बाद में इस प्रकार के संशोधन करने का प्रयत्न किया गया हो उसको मानने की गुंजायश नहीं है ।

अब श्रीमान् जी, ४, ५ और ६, इन तीन मदों में, कोआपरेटिव संस्थाओं के प्रतिनिधि जिला परिषद् में आ सकें, इसकी व्यवस्था है । खंड ४ में व्यवस्था है कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का एक प्रतिनिधि आयेगा, ५ में यह व्यवस्था है कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का एक प्रतिनिधि आयेगा और ६ के अनुसार जिले की जितनी क्रय विक्रय समितियां होंगी उनका एक प्रतिनिधि आयेगा । श्रीमान् जी, उधर बैठने वालों में तीन तरह के लोग हैं । एक दल तो वह है जिसके कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री बलदेव सिंह आदि हैं जो आज मौजूद नहीं हैं । उनका संशोधन तो यह है कि जिला परिषद् में जिला कोआपरेटिव बैंक या फेडरेशन का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आना चाहिये । पता नहीं उनको इन सस्थाओं से क्यों इतनी नाराज़गी है । जिला परिषद् के कामों में, क्षेत्रिय समितियों के कामों में और गांव सभाओं के कामों में हम सहकारी संस्थाओं से बड़ा काम लेंगे और इस समय भी ले रहे हैं । खेती का उत्पादन बढ़ाने में और साधन जुटाने में और दूसरे बहुत से इन्तज़ाम करने में सहकारी समितियों से पूरा कार्य कराने और उनका सहयोग लेकर जिलों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जायगी । इसलिये जब हम इतना काम लेना चाहते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व भी रखा गया है, लेकिन उनको यह नापसन्द है । खैर, उनकी तरफ से ऐसा कहे जाने पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जब भारतीय जी की तरफ से ऐसा कहा गया तो मुझे अवश्य आश्चर्य हुआ । माननीय भारतीय जी चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक या फेडरेशन का ही कोई प्रतिनिधित्व न हो अपितु क्रय-विक्रय समितियों का भी कोई प्रतिनिधित्व न हो ....

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—वह मैंने इसलिये कहा कि वह प्रायः सब कांग्रेस के नामजद व्यक्ति हैं ।

श्री जयराम वर्मा—अगर माननीय सदस्य इसलिये ऐसा चाहते हैं तब शायद वह देश में बालिग मताधिकार भी नहीं चाहेंगे क्योंकि देश में ज्यादातर बालिग लोग कांग्रेसी हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय—वह तो १९६२ में स्पष्ट हो जायगा कि जनता किसके साथ है ।

श्री जयराम वर्मा—वह तो स्पष्ट होगा ही । जनता जो मुनासिब समझती है वह करती है । वह करके पहले भी दिखा चुकी है और आगे भी दिखावेगी, इसमें कहने की कोई बात नहीं है ।

तो श्रीमान् जी, इसमें कुछ लोग चाहते हैं कि कोआपरेटिव संस्थाओं के प्रतिनिधि हों और कुछ उसको बढ़ाना भी चाहते हैं । माननीय गेंदासिंह जी उनका प्रतिनिधित्व चाहते हैं, लेकिन एक शर्त लगाते हैं—मुझ को दुख है कि वह इस समय यहां मौजूद नहीं हैं—उनकी शर्त है कि डिस्ट्रिक्ट बैंक का जो प्रतिनिधि हो वह वार्षिक अधिवेशन में साधारण सभा द्वारा चुना जाय । इसी तरह से जिला कोआपरेटिव फ़ेडरेशन में और क्रय-विक्रय समितियों में हो ।

इस प्रकार कुछ अदृश्य कठिनाइयां हमारे सामने आ सकती हैं और उनमें से एक यह भी है कि कोआपरेटिव संस्थाओं के वार्षिक चुनाव, कैसे दिसम्बर में हों । हम नियम बनायेंगे कि

[श्री जयराम वर्मा]

कहां चुनाव होगा, कौन लोग वोट देंगे, किस तारीख को चुनाव होगा, आदि । उस समय तक निश्चित है कि बहुत से जिला कोआपरेटिव बैंक्स के सालाना जलसे हो चुके होंगे और किसी किसी क्रयविक्रय समिति के सालाना जलसे भी हो चुके होंगे । अगर यह शर्त लगाई जाय कि सालाना जलसे ही में चुने जावेंगे तो जिसका सालाना जलसा हो गया दिसम्बर तक किसके हुक्म से और किस नियम से फिर फरवरी में उसका सालाना जलसा हो सकेगा ? जलसा हो सकता है लेकिन सालाना तो नहीं होगा....

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—सालाना शब्द निकाल कर मंत्री जी मंजूर कर लें ।

श्री जयराम वर्मा—पहले उसे तो देख लीजिये । इसका नतीजा यह होगा कि कोआपरेटिव संस्थाओं के प्रतिनिधि नहीं आ सकेंगे । इसलिये जिला परिषद् की स्थापना नहीं हो सकती है । तो फरवरी में चुनाव होना भी असंभव हो जायगा । एक जिले में १०, १२ क्रय-विक्रय समितियां हो सकती हैं । जब तक हम सबका सालाना जलसा एक निश्चित समय पर न करावें तब तक कैसे उनके प्रतिनिधि आ सकते हैं ? इसलिये यह असंभव बात है । अभी विधान परिषद् में भी हमको जाना है और मालूम नहीं वहां भी क्या क्या कठिनाइयां हमारे सामने उपस्थित की जावें । इसलिये इसमें हम सबका सहयोग चाहते हैं ।

तीन प्रतिनिधि हमने सहकारी संस्थाओं के रखे हैं । माननीय मोहनलाल वर्मा जी का सुझाव है कि एक एक प्रतिनिधि केन सोसाइटी और केन परिषद् का भी हो । बजाय ३ के ५ हो जाते हैं । गांवों में जहां क्रय-विक्रय समितियां होती हैं वहां केन सोसाइटीज़ भी हो सकती हैं । जिला फ़ेडरेशन के लोग केन परिषद् में हो सकते हैं । तो कई संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देने में बड़ा रिपीटीशन हो जायगा । कुछ माननीय सदस्य तो ३ भी नहीं रहने देना चाहते हैं । इसलिये वह बीच का रास्ता अपनावें, यानी ३ पर ही सन्तोष कर लें ।

मदन गोपाल जी वैद्य ने संशोधन रखा है कि खंड १८ के उपखंड (१) के मद (४) के प्रारम्भ में "जिला" शब्द बढ़ा दिया जाय । यह नम्बर ८० पर है । यह शब्द छूट गया था और मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

द्विवेदी जी ने संशोधन रखा है कि खंड १८ के उप खंड (१) की मद (७) में शब्द "प्रत्येक खंड" के स्थान पर "प्रत्येक खंड अथवा खंडों के समुदाय" रख दिये जावें । इसमें यह रखा गया है कि प्रत्येक खंड द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित उतने व्यक्ति जितने राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे । इसमें इनडाइरेक्ट चुनाव की व्यवस्था है, एक खंड से उतने प्रतिनिधि चुने जावेंगे जितनी संख्या नियत की जाय । द्विवेदी जी चाहते हैं कि इसमें जहां प्रत्येक खंड है उसके आगे "अथवा खंडों के समुदाय" और बढ़ा दें, यही उनका आशय है । यह संशोधन नम्बर ८७—क पर है । इसको मैं स्वीकार करता हूं ।

डाइरेक्ट चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिये, उनकी जन-संख्या के अनुपात में संख्या सुरक्षित कराई जायगी । इसलिये हर खंड से अलग अलग चुनाव नहीं होगा । जहां उनके लिये रिज़र्व सीट होगी वहां दो खंडों को मिलाना होगा । यही इस संशोधन को स्वीकार करने का कारण है ।

कुछ संशोधन और भी आये हैं इसी मद (७) के लिये । एक तो माननीय श्री नन्दरामजी का है । उसकी मंशा यह है कि जितने सदस्य सीधे चुनाव से चुने जावेंगे, बालिग मताधिकार से, उनमें ६० फ़ीसदी स्थान अनुसूचित जातियों के लिये, महिलाओं के लिये और पिछड़ी जातियों के लिये सुरक्षित कर लिये जावें । भारत का संविधान में माननीय सदस्य ने देखा होगा सिर्फ़ अनुसूचित जातियों के लिये संरक्षण की बात कही गई है । महिलाओं के लिये कोई संरक्षण की बात हमारे संविधान में नहीं है । अन्य पिछड़ी जातियों के लिये भी कोई संरक्षण की व्यवस्था नहीं हैं । इसलिये मेरी समझ में नहीं आता, श्रीमान् जी, कि माननीय नन्दराम जी कैसे इस

संशोधन के स्वीकार किये जाने की आशा करते हैं । हम संविधान के अनुच्छेदों के विरुद्ध नहीं जा सकते । इसलिये मेरी मजबूरी है कि मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं । हम संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहते हैं और चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं । वह चीज आगे जाकर फेल हो जायगी । तो मैं उनके इस संशोधन को अस्वीकार करता हूं और आशा करता हूं कि वह मेरी मजबूरी को समझेंगे । ऐसी परिस्थिति में मेरा उनसे यह आशा करना निरर्थक नहीं होगा कि वह कृपाकर अपने संशोधन को वापिस ले लें ।

इसमें एक संशोधन इस तरह का आया है कि इस मद में हरिजनों को जिले में उनकी जन संख्या के अनुपात में रखा जाय । यानी कुल सदस्य जिला परिषद् के जितने हों उनमें जन संख्या के जितने का अनुपात में उनका स्थान जितना आये उतनी संख्या में उनको रखा जाय। यह भी संभव नहीं है। क्योंकि बालिग मताधिकार से जो लोग चुने जायेंगे उनमें ही अनुसूचित जातियों को जन संख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किये जा सकते हैं उससे ज्यादा नहीं किये जा सकते । इसलिये कठिनाई है कि इसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । मैं इस बात को मानता हूं कि अभी हमारे अनुसूचित भाइयों की ऐसी स्थिति नहीं है कि हर जगह पर दूसरों के साथ बराबरी का मुकाबला करके चुनाव में आ सकें । इसलिये ऐसी व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है कि वे लोग भी इसके सदस्य बन सकें और उनकी सेवाओं से भी लाभ उठाया जा सके । इसके लिये अलहदा से व्यवस्था कर दी गयी है ।

वह व्यवस्था इस प्रकार की है कि जितने डायरेक्ट चुनाव होंगे उनमें जनसंख्या के अनुपात से वह चुने जायंगे । इसके अतिरिक्त जो लोक सभा या विधान सभा के सदस्य होंगे उनमें भी जन संख्या के हिसाब से उनका संरक्षण विद्यमान है। अब रहे बाकी सदस्य । वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जायेंगे । उनमें कोई इस तरह का संरक्षण संभव नहीं है। जहां चुनाव इन्डायरेक्ट होते हैं वहां के लिये संविधान की मंशा भी ऐसी नहीं है। इसीलिये विधान परिषद् में चूंकि सदस्य इन्डायरेक्टली चुन कर आते हैं अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था नहीं है।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए ।)

अब रही यह बात कि बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो सारे प्रदेश में जिला परिषद् और क्षेत्र समितियां बनायी जा रही हैं उनके अनुसार भी अनुसूचित जातियों के लिये जन संख्या के आधार पर संरक्षण है या नहीं । तो उस कमेटी ने भी यह सिफारिश की थी कि जिला परिषद् में केवल २ सदस्य शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के कोआप्ट किये जायं । इस सिफारिश के अनुसार आंध्र प्रदेश और राजस्थान में अनुसूचित जातियों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये व्यवस्था की गयी है। माननीय माता प्रसाद जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वह जरा इस बात पर गौर कर लें कि इस तरह की व्यवस्था अगर संभव होती तो जरूर की जाती । आंध्र का मैंने जिक्र किया यह चीज उस वक्त हुई जब कि वहां के मुख्य मंत्री वह थे जो आज के कांग्रेस प्रेसीडेंट हैं । उन मुख्य मंत्री के जमाने में ऐसी व्यवस्था हुई जो कि आज कांग्रेस के प्रेसीडेंट हैं । इसलिये उनके दिमाग में कोई ऐसी बात आ गयी हो कि जो कांग्रेस की नीति है, जो कांग्रेस की मंशा है उसके खिलाफ हम करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती, अगर इनडाइरेक्ट चुनाव की दशा में संरक्षण की गुंजायश होती, तो आंध्र में यह जरूर हुआ होता, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ है ।

अब जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था चूंकि इनडाइरेक्ट चुनाव . . . .

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—पहले आप बैकवर्ड क्लास की मीटिंग में क्या कहा करते थे और अब क्या कह रहे हैं, इसके बारे में भी तो कुछ बतलाइये ।

श्री जयराम वर्मा—माननीय सदस्य उस वक्त मौजूद नहीं थे, मैं तो पहले ही कह चुका हूं ।

[श्री जयराम वर्मा]

श्रीमान् जी, मैं यह कह रहा था कि जो इनडाइरेक्ट चुनाव होगा उसमें जन संख्या के अनुपात से हमारे अनुसूचित जाति के भाई न आ सकेंगे इसलिये उनके लिये अलग से व्यवस्था की गयी है। खन्ड १८ के उपखन्ड (१) की मद १ से मद ९ तक में जिला परिषद् की रचना का विधान किया गया है। उपखन्ड (२) के मद (१) में महिलाओं के कोआप्शन की बात है, अगर दोनों उप खन्डों में कुल मिलाकर अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या उस संख्या से कम हो जो उस जिले के लिये सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाय तो अनुसूचित जाति के लोगों में से इतने व्यक्ति कोआप्ट किये जायेंगे जिससे उनकी संख्या वह हो जाय जो उस जिले के लिये निर्दिष्ट की गयी है और जो संख्या निर्दिष्ट की जायगी वह कम से कम ५ और अधिक से अधिक १० होगी। इसकी व्यवस्था हम कुछ संशोधनों द्वारा करने जा रहे हैं और इस संबंध में श्री रामेश्वर प्रसाद का एक संशोधन है. . . .

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्री संजीव रेड्डी, कांग्रेस प्रेसीडेंट के कहने के अनुसार न चल कर आप उल्टा कैसे चल रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—शायद माननीय सदस्य समझ नहीं पाये। एक तो उनका संशोधन नं० १००-क पर है जिसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। और दूसरा उनका संशोधन है नं० ९७-ककक, इसको भी मै स्वीकार कर रहा हूं, इसी मंशा के अनुसार जो कि मैंने अभी सदन के सामने बतलायी है। और श्रीमान जी, कुछ संशोधन ऐसे आये हैं मद ८ और ९ के बारे में कि ये दोनों मदें निकाल दी जायं। यानी विधान सभा के सदस्य, लोक सभा के सदस्य, विधान परिषद् के सदस्य और राज्य सभा के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य न हों।

श्रीमान् जी, इसके संबंध में पिछले खन्डों पर विचार होते समय मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि हमने यह सोचा कि ये माननीय सदस्य जिला परिषद् के कामों के लिये काफी उपयोगी होंगे, उनको काफी दिलचस्पी है, उनकी दिलचस्पी का उनकी सेवाओं का, उनकी जानकारी का और उनके प्रभाव का हम उपयोग करना चाहते हैं।

श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)—यह तो आप कई बार पहले कह चुके हैं, फिर दोबारा कह रहे हैं।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, माननीय सदस्यों को कभी-कभी यह एतराज होता है कि जो हमारी क्षेत्र समितियां है वहां पर . . .

श्री उपाध्यक्ष—वर्मा जी, आपके दो तीन मिनट ही हैं।

श्री जयराम वर्मा—तो खत्म कर दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, तीन चार मिनट में अपनी स्पीच सम अप कर दीजिये।

श्री अमरनाथ—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। अभी अधिष्ठाता महोदय ने व्यवस्था दी थी कि मंत्री जी उन्हीं संशोधनों पर इंटरवीन करेंगे कि जिन पर अभी तक नहीं किया है। जो दफा १८ की मद ८–९ पर वह इंटरवीन कर रहे हैं उस पर पहले बोल चुके हैं, इसलिये अब वह नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अधिष्ठाता ने जो व्यवस्था दी उसको रिवाइज करने का मुझको अधिकार नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे संशोधन हैं, जितना ही भार हल्का हो जाय उतना ही अच्छा है, बाद में कम बोलना पड़ेगा और आप लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी।

श्री जयराम वर्मा—माननीय सदस्य का यह खयाल सही नहीं है कि इस संबंध में मैं एक बार इंटरवीन कर चुका हूं। जब क्षेत्र समितियों के बारे में विचार हो रहा था वहां पर जो प्रश्न आया था तो मैंने अपनी राय जाहिर की थी, यहां पर दूसरी बात है।

श्रीमन्, मैं अभी कह रहा था कि कभी-कभी लोगों को ऐसा खयाल हो जाता है कि हमारे सरकारी अधिकारी जो वहां पर होंगे वह कुछ बड़ा प्रभाव डाल लेंगे और वहां पर जो चुने हुए सदस्य आयेंगे वह उनके प्रभाव में पड़ जाएंगे। अगर यह आशंका है तो जब हमारे आदरणीय सदन के सदस्य वहां पहुंचेंगे और पार्लियामेन्ट के सदस्य पहुंचेंगे तो यह शंका दूर हो जाएगी।

एक शंका और हो सकती है कि सेकिन्ड लीडर शिप की ग्रोथ का पूरा मौका नहीं होगा। इसके लिये यह व्यवस्था की गई है कि एम० एल० ए० और एम० पी० परिषद् के अध्यक्ष नहीं हो सकेंगे।

श्रीमान् जी, एक संशोधन यह आया है —मेरा खयाल है भारतीय जी का है—कि वही एम० एल० ए० इस परिषद् के सदस्य माने जायं जो ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आये हैं.....

श्री देवनारायण भारतीय—मेरा ऐसा संशोधन नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—चाहे आपका हो या अवस्थी जी का हो, लेकिन इस तरह का एक संशोधन है। इस तरह की बात भी हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं। सभी विधान सभा के सदस्यों को हमने परिषद् का सदस्य माना है चाहे वह शहर से हों या देहात से हों।

श्रीमान् जी, नम्बर ७ में मैंने एक संशोधन ऐक्सैप्ट किया है जो नागेश्वरप्रसाद द्विवेदी जी का है। उसके फलस्वरूप एक आनुवंगिक संशोधन इसके दूसरे प्रतिबन्ध में है जो ९६ पर है उसको भी म स्वीकार करता हूं।

श्रीमान् जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इसका प्रथम प्रतिबन्ध है, इसके बारे में भी कई संशोधन आये हैं। किन्हीं माननीय सदस्य का खयाल है कि ३–४ कर दिया जाय, किन्हीं का खयाल है कि २–३ कर दिया जाय। मैंने इसमें नागेश्वर प्रसाद द्विवेदी का संशोधन मान लिया है जिसमें "की आधी" निकाल दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मद ७ के अन्दर जो डायरेक्ट चुने हुए होंगे उनकी संख्या कम से कम मद १ और २ के जोड़ के बराबर होगी। यह संशोधन मैंने मान लिया है।

श्रीमान् जी, कुछ संख्या के बारे में कहा गया है। कम से कम संख्या की व्यवस्था तो है कि वह २० होगी लेकिन एक माननीय सदस्य इसको बढ़ाना चाहते हैं, जिसके बढ़ाने की गुंजायश नहीं है, हम यही संख्या रखना चाहते हैं। एक माननीय सदस्य का खयाल है कि कम से कम और अधिक से अधिक संख्या भी मुकर्रर कर दी जाय। कम से कम हमने मुकर्रर कर दी कि २० होगी, लेकिन अधिक से अधिक करना संभव नहीं है। इसलिये संख्या में तब्दीली करने के जो संशोधन आये हैं मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि जिन संशोधनों को मैंने स्वीकार करने की बात की है उनको माननीय सदन स्वीकार करे और बाकी माननीय सदस्य अगर कृपा करें तो अपने-अपने संशोधनों को वापस ले लें। लेकिन अगर वह वापस नहीं लेते हैं तो माननीय सदन उनको अस्वीकार कर दे।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसा मंत्री जी ने कहा जिला परिषदों के संगठन को सुन्दर बनाने के लिये वह भारत सेवक समाज के एक प्रतिनिधि को लेना चाहते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या जिला परि[illegible] के संगठनों को अति सुन्दर बनाने के लिये पिछड़े वर्ग संघ के प्रतिनिधि को भी लेने की [illegible]पा करेंगे?

श्री जयराम वर्मा—मैंने भारत सेवक समाज नहीं कहा। मैंने तो कहा जिले में जो संस्थायें समाजोत्थान का काम कर रही हैं उनमें से एक आदमी चुना जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—काफी संशोधन माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं। जाब्ते से तो मुझे हर सदस्य को फिर से उत्तर देने का मौका देना चाहिये। लेकिन अगर ऐसा किया जायगा तो मैं समझता हूं जितनी कार्यवाही अब तक हुई है उससे दुगनी हो जायगी। तो ऐसी हालत

[श्री उपाध्यक्ष]

में स्वतन्त्र रूप से कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल लें। काफी वादविवाद हो गया। अतः मैं समझता हूं कि अगर खन्ड १८ को आज ले लें तो आगे बोलने की गुंजायश हो जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय—मान्यवर, मैं भाषण नहीं देना चाहता। समय को बचाने के लिये मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी मंत्री जी ने प्रथम प्रतिबन्ध में एक संशोधन स्वीकार किया "प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि खन्ड (७) के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यथासंभव, खन्ड (१) तथा (२) के अधीन सदस्यों की कुल संख्या की आधी से कम न होगी।" मैं स्पष्टीकरण यह चाहता हूं कि यह खन्ड १८ का उपखन्ड (१) या (२) है, या उपखन्ड (१) की मद (१) या (२) है?

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के रूप में तो वह मद है लेकिन ऐक्ट के रूप में खन्ड है। उसके बीच के कोई शब्द तब्दील नहीं किये जाते हैं, 'उसी' रूप में रह जाते हैं। इसलिये जब ऐक्ट बन जायगा उसको दृष्टि में रखते हुए १ और २ को खन्ड कहा गया है। जब ऐक्ट बन जायगा तो १८ धारा हो जायगी और (१) उपधारा हो जायगी और मदें खन्ड हो जायंगी। इसलिये ऐसा किया गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मान्यवर, एक एक पार्टी से एक एक आदमी को ५, ५ मिनट का समय दे दें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है एक एक पार्टी के एक एक सदस्य को ५, ५ मिनट का समय दे दूंगा।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी**—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत विधेयक के खंड १८ के उपखंड (१) के उपभाग (६) के आगे एक नया उपखंड ६-अ निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय :—

"६-अ—जिला भू-दान यज्ञ का एक प्रतिनिधि जिसका चुनाव भू-दान समितियों द्वारा किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार यह विधेयक है यह भानमती का पिटारा तो होगा ही और जैसा कि अभी तक संशोधन नागेश्वर प्रसाद जी का है, संभव है मंत्री जी उसको स्वीकार कर लें। उनका मन्शा है कि इस प्रकार के संगठन जो जिले में समाज का कार्य करते हों या जिनका कार्य अच्छा हो उनका एक प्रतिनिधि ले लिया जाय। जो भावी जिला परिषद् होगा उसका कार्यक्षेत्र कुछ बढ़ रहा है और उसमें यदि भू-दान यज्ञ का भी एक प्रतिनिधि ले लिया जाय तो उसके द्वारा शिक्षा, कृषि, विकास, यातायात आदि कामों में सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही कृषि के काम में उससे विशेष सहयोग मिलेगा क्योंकि भू-दान यज्ञ का खास काम है गरीबी दूर करना। फिर इसमें यह भी है कि सरकार के बनाये हुये नियमों के मुताबिक उसका चुनाव न हो बल्कि उसके सम्मेलन द्वारा हो ताकि उनको भी जो कठिनाइयां महसूस हों उनको जिला परिषद् के द्वारा हल करा सकें। आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि विरोधी दलों की प्रत्येक पार्टी के एक-एक माननीय सदस्य को मैं ५-५ मिनट दूंगा और उस बीच में माननीय मंत्री जी अपना उत्तर तैयार करेंगे और उनके भाषण के बाद सब समाप्त कर दिया जायगा।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से खंड १८ पर जो संशोधन पेश हुये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। ये ऐसे संशोधन हैं जो इस बिल की जान कहे जा सकते हैं। १३ वर्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाद माननीय मंत्री जी यह बिल लाये हैं और इसके संबंध में वे बराबर यही कहते रहे कि हम जिला परिषद् के लिये एक बिल लाने वाले हैं उसके बाद चुनाव करायेंगे। इसके पहले एक बिल १३ वर्ष बाद लाखों रुपये खर्च करने के बाद माननीय मंत्री जी लाये थे लेकिन यह कह कर उसे वापस ले गये कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गयी है, हम और ज्यादा अख्तियारात ग्राम सभा, क्षेत्रीय समिति आदि संस्थाओं को देना चाहते हैं। तो इतने इंतजार के बाद यह बिल आया है। मगर इसके देखने के बाद मुझे जितनी मायूसी हुई है उतनी मायूसी शायद किसी बिल पर हुई होगी। इतने दिन तक आशा लगाने के बाद जो बिल मंत्री जी लाये हैं और जो जवाब संशोधनों को काट-काट कर वे दे रहे हैं उससे मालूम यह होता है कि जो बिल लाखों रुपया बरबाद करने के बाद वापस ले लिया गया था वह महज इसलिये वापस लिया गया था कि उनके अफसर लोग उससे संतुष्ट नहीं थे और अब इस किस्म का बिल लाया गया है कि किसी तरह से भी जनप्रतिनिधियों का वह परिषद् नहीं होगा बल्कि उसमें इनके रखे हुये आदमियों का बहुमत होगा और परिषद् पर इनके अफसरों का आधिपत्य होगा और इनके अधिकारियों का आधिपत्य होगा। उस जिले के लोगों का आधिपत्य नहीं होगा।

मान्यवर, मंत्री जी ने हरिजनों के संरक्षण के विषय में बड़े सुन्दर ढंग से जवाब दिया है। कोआपरेटिव फेडरेशन के लिये जो संशोधन रखे गये हैं उनके लिये उन्होंने जवाब दिया है कि कब बैठक होगी और कैसे चुनाव होगा। अगर मंत्री जी संशोधनों को मानने के लिये तैयार होते तो बीसों रास्ते निकल सकते थे। लोगों को कोआप्ट करके अपना बहुमत कायम करना प्रजातांत्रिक नहीं है और इससे देश का, प्रदेश का कल्याण नहीं होगा बल्कि इससे अहित होगा। श्रीमन्, अगर इन संशोधनों में कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसे ठीक कर लिया जाता और अगले साल कोआप्ट कर लेते और जैसे उनके मंत्री और प्रेसीडेंट का चुनाव होता है उसी के साथ-साथ जिला परिषद् के लिये प्रतिनिधि का भी चुनाव हो जाता। इसमें कोई पहाड़ नहीं टूट जाता जिससे मंत्री जी इतना घबराते हैं और कहते हैं कि यह नामुमकिन है, नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि इस खंड में जितने संशोधन हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो इस बिल की जान हैं। अगर आपने उनको नहीं माना और वही ढंग रहने दिया और जिला परिषदों में अपने लोगों को भर दिया तो चुने हुये लोग बेकार हो जायेंगे और जो आपके कोआप्टेड मेम्बर्स आयेंगे वह आदमी आपके या सरकार के होंगे। आपकी नीति साफ झलक जाती है कि ४ और ५ के चुनने के बाद क्षेत्र समिति के सभापति को रख दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र समिति से एक आदमी आयेगा। फिर भी अब यह खंड १८(५) ला रहे हैं और इसकी मंशा यह है कि अगर आपकी मैजोरिटी उस परिषद् में नहीं होगी तो क्षेत्र समितियों से अपने दुलारों को चुन लेंगे और जिला परिषद् में आधिपत्य के रूप में इनको स्थापित कर देंगे और जिला परिषद् उनके हाथ में पंगु बनकर रह जायेंगे। अगर इस बिल की मंशा यह है कि इस तरह की गुटबन्दी बनाकर जिला परिषदों में आधिपत्य कायम किया जाय तो खुलकर कहिये कि हमारी मंशा यह है। नौकरशाही के बल पर जो आप यह कह रहे हैं इससे फायदा नहीं होगा देश का, प्रदेश का और जिले का। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उपमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन सब बातों पर विचार करके ऐसे संशोधन जो जनतांत्रिक समता ला सकें उनको मंजूर कर लें।

*श्री रूर्मसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खंड १८ में ऐसी व्यवस्था की है जिससे जनतंत्र पर आघात होता है। अगर हम लोगों में हिम्मत होती तो इसका जबर्दस्त विरोध करना चाहिये था और इसका बायकाट करना चाहिये था क्योंकि इसके द्वारा जनता के बुनियादी अधिकार पर हमला किया गया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें एक संशोधन बहुत बढ़िया है जो हमारे साथी माननीय नन्दराम जी ने पेश किया है। आज देश की गरीब और दबी हुई जनता को, जिसके जीवन का चिराग बुझ चुका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूमसिंह]

है, उठाने के लिये इस विधेयक में व्यवस्था की जाती तो वह देश और प्रदेश के अन्दर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होता और उस जनता में जान आती। लेकिन वह इस बात को नहीं [illegible] वह पिछड़े वर्ग में जाकर इस बात का उन लोगों के ऊपर असर डालते हैं कि सरकार तुम्हारे लिये बहुत कुछ कर रही है। लेकिन जहां तक उनके अधिकारों की रक्षा करने का सवाल है वह चुप्पी साध लेते हैं और कभी संविधान की चर्चा करते हैं कि गुंजाइश नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह इस किस्म की चीज लाते रहे और वह आगे चलकर नामंजूर हो जाती, लेकिन उससे हमारे दिल के अरमान तो पूरे हो जाते। हम चाहें तो संविधान भी बदला जा सकता है।

इस तरीके से संविधान की दुहाई देकर, बलवन्त राय मेहता कमेटी की दुहाई देकर, इस विधेयक के अन्दर क्या आपने रखा है? उनके वोटों को आपने छीना है, प्रजातंत्र पर आपने एक जबरदस्त हमला किया है। हो सकता है कि हम लोगों में और जनता में हिम्मत आये और वह इस विधेयक को समझे। इसका हम जनता में जबरदस्त प्रचार करें और जनता में जो आपने यह भ्रम फैला रखा है कि पिछड़े वर्ग के लिये सरकार बहुत कुछ कर रही है, पिछड़े वर्ग के कुछ मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर बना दिये हैं, और उस आधार पर जिस तरीके से मछली मारने वाला कांटे में मांस डाल कर मछली को फांसा करता है, उसी तरह से पिछड़े वर्ग को फांसने के लिये कई आदमियों को नामजद कर दिया है। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम नन्दराम जी गुप्त ने जो संशोधन पेश किया है, उसको कम से कम जरूर मानना चाहिये।

सवाल क्या है? सवाल यह है कि हम गरीब जनता को उठायें, जनता की तरक्की करें, और जिन लोगों में असंतोष हो, उस असंतोष की भावना को खत्म करें, जिनका प्रतिनिधित्व न हो उनको प्रतिनिधित्व दें। आपने विधेयक में व्यवस्था यह कर रखी है कि एम०एल०ए० और एम०पी० सदस्य होंगे। मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि आपने आगे इस विधेयक में यह भी रखा है कि तीन महीने में एक मर्तबा मीटिंग होनी चाहिये। तो हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू भी जिला परिषद् की बैठकों में शरीक होंगे, माननीय सम्पूर्णानन्द भी जिला परिषद् की मीटिंगों में शरीक होंगे। अगर शरीक नहीं होते हैं तो अपने बनाये हुए कानून को खुद तोड़ते हैं। तो इस बात की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी कि जिस समय विधान सभा और संसद की बैठकें हों उस समय जिला परिषद् की बैठक न बुलायें। इस विधेयक द्वारा जनतंत्र की हत्या की जा रही है हम को सचेत होना चाहिये। जनता भी सचेत हो रही है इसलिये हम लोगों ने इस विधेयक के पेश होने पर अविश्वास का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हमारी शक्ति नहीं थी, इतने आदमी खड़े नहीं हो सके कि हम इस चीज को लेकर इस विधान सभा में बहस करते। हम को इतने आदमी नहीं मिल सके। इसमें इसी चीज की चर्चा होती कि आज कांग्रेसी सरकार जो महात्मा गांधी ने हमको एक हथियार दिया था, उस वोट को छीनने के लिये बराबर प्रयत्नशील है।

श्री उपाध्यक्ष--उसके ऊपर बहस नहीं हो सकेगी जिस पर अनुमति नहीं दी गयी है।

श्री रूमसिंह--उसी पर कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--उसके ऊपर नहीं कह सकते।

श्री रूमसिंह--खंडों पर ही बोल रहा हूं। क्रय-विक्रय समितियां हैं या कोआपरेटिव फेडरेशन है--इनमें कौन लोग हैं? इनमें पैसे का लेन-देन होता है। जो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की खुशामद में रहते हैं वही इन तमाम संस्थाओं में आते हैं। वही जिला परिषद् में चुन कर आयेंगे। इसी तरह से क्षेत्र समितियों की ओर से आयेंगे। इस प्रकार जनता के वोटों को छीना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि मंत्री जी को बहुत

अफसोस है क्योंकि मंत्री जी पर सरकार की ओर से बड़ा जबरदस्त दबाव पड़ा कि इसका १९६२ के चुनाव में इस्तेमाल होना चाहिये और मंत्री जी शायद इस मंत्रिमंडल में भविष्य में रहने के लिये तैयार न हों।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के खंड १८ को देखने की कोशिश करें तो ज्ञात होगा कि इसकी शक्ल क्या है? इसमें ऐसा किया गया है जिससे सरकारी खुशामदी लोग बढ़ें और सरकार की हर चीज का समर्थन करें।

श्री भीखालाल--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत करते समय एक सीधा सवाल माननीय मंत्री जी के सामने रखा था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर मुझे नहीं दिया। वह यह था कि वह आश्वासन जो माननीय मंत्री जी ने दिया था कि दो तिहाई डाइरेक्ट एलेक्शन से आयेंगे और एक तिहाई इनडाइरेक्ट एलेक्शन से आयेंगे, वह आश्वासन किन परिस्थितियों में तोड़ा गया, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला।

उस दिन बोलते समय मंत्री जी ने एक बात कही थी और उन्होंने शंका उत्पन्न की थी कि आज अगर हम उस आश्वासन की बिना पर दो तिहाई डाइरेक्ट रखते हैं और एक तिहाई इंडाइरेक्ट रखते हैं तो परिषद् बहुत बड़ी हो जायगी। उसकी संख्या बहुत बढ़ जायगी। आज माननीय मंत्री जी ने एक दूसरी शंका प्रकट की। उन्होंने कहा कि मद (१) के जरिये से क्षेत्रीय कमेटियों के प्रमुख आवेंगे और मद (२) के जरिये से क्षेत्रीय कमेटियों से कुछ चुने हुए सदस्य आवेंगे जिनको हटाने की मांग की गई तो उसके संबंध में माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसलिये इसको रखा है कि अगर किसी परिषद् में सदस्यों की संख्या २० से कम हो तो बढ़ायी जा सके। तो एक तरफ उनको यह विचार है कि संख्या बढ़ानी होगी और दूसरी तरफ उनको यह शंका है कि संख्या ज्यादा हो जायगी। यह दो परस्पर विरोधी भावनायें मैं समझ नहीं पाया।

माननीय उप मंत्री जी कहते हैं कि मद २ में हम इसलिये रख रहे हैं कि २० की संख्या पूरी न हुई तो उससे पूरी हो जायगी। मैंने रखा था कि अगर २० की संख्या पूरी नहीं होती है तो जो आदमी आप मद (२) से लेना चाहते हैं उनको क्यों नहीं आप डाइरेक्ट तरीके से लेते। वह एक आदमी जो आप क्षेत्रीय समितियों से चुनकर लेना चाहते हैं वह क्यों नहीं क्षेत्र के आधार पर डाइरेक्ट चुनाव से लेते हैं जिससे कि जो संख्या के कम होने की बात आपकी है वह पूरी हो सके। लेकिन असल में तो सरकार को भय दूसरा है। इंडाइरेक्ट तरीके से अपना बहुमत किसी न किसी तरह से कायम करने के लिये वह इस चीज को लादना चाहते हैं क्योंकि पूरे सदन ने इसका बहुत जोरों से विरोध किया है। इसलिये माननीय मंत्री जी ने इतना तो माना कि डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट दोनों तरीकों से जो लोग आयें उनको बराबर रखेंगे। हम समझते हैं कि सदन की भावनाओं का यह अच्छा असर पड़ा है लेकिन हमें इससे संतोष नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं हुआ है।

दूसरा मैंने संशोधन रखा था कि श्रमिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि जिला परिषद् में रखा जाना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने उसका औचित्य समझा और वह यह चाहते हैं कि ऐसी संस्थाओं को स्थान मिले। लेकिन उस श्रमिक संस्था को न रखकर के जो एक संशोधन माननीय मंत्री जी ने मंजूर किया है वह बहुत ही गोल शब्दों में है कि जो संस्थायें सामाजिक उत्थान के काम में लगी हों उनका एक प्रतिनिधि रखा जाय। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मेरे संशोधन को माननीय मंत्री जी ने क्यों नहीं माना? यह श्रमिक संस्थायें जो हैं वह किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के जरिये से आर्गेनाइज होती हैं और उन्हीं के जरिये से चलायी जाती हैं। माननीय मंत्री जी को शंका है कि अगर कोई श्रमिक संस्था ऐसी हुई जो किसी जिले में कांग्रेस पार्टी से न चलायी जाती हो तो वैसी हालत में उनका आदमी नहीं आ पायेगा। इसलिये उन्होंने कहा कि एक गोल शब्द रखो। जिस जिले में ऐसी श्रमिक संस्था हो जिसमें कि उनका बहुमत न हो उस जिले में भारत सेवक समाज से ले लें या स्काउटिंग

[श्री भीखालाल]

में से ले लें ताकि कांग्रेस का समर्थक ही वहां आ सके। वरना उसका कोई और औचित्य नहीं था। कहा जाता है कि कानून जो हम बनायें वह बहुत साफ होना चाहिये, लेकिन यहां इस तरह की गोल बातें रखी जाती हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी का उत्तर संतोष-प्रद नहीं है।

तीसरी बात जो हरिजनों के संरक्षण के संबंध में है उसके बारे में भी माननीय मंत्री जी के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हुये। क्या संविधान ने कहीं हम पर यह रोक लगायी है कि अगर इस तरह से कुछ डाइरेक्ट तरीके से एलेक्शन हो और कुछ इंडाइरेक्ट तरीके से तो उसमें १८ प्रतिशत का रिजरवेशन नहीं रखा जा सकता? आपने कोआप्शन रखा और कुछ और तरीका रखा तो उसमें १८ प्रतिशत जो हरिजनों का संरक्षण है वह क्यों उसमें पूरा नहीं किया जा सकता? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बाधा इससे पड़ती है। यह महज ऐसी बातें हैं कि जो स्वस्थ परम्पराओं के बिलकुल ही प्रतिकूल हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने पिछड़े वर्ग की भी बातें उठाईं। बिलकुल सही बात है पिछड़े वर्ग को भी कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व ना ही चाहिये और माननीय उपमंत्री जी तो पिछले वर्ग की संस्थाओं को चलाने में अगुवा रहे हैं। उनके जरिये से जब ऐसी बात होती है तो उससे हमें और भी दुख होता है और हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद अब उनको पिछड़े वर्ग की संस्थाओं को आगे चलाने की जरूरत नहीं रही जो कि साल भर पहले थी। इस वजह से वह भूल गये हैं क्योंकि अब वह जरूरत पूरी हो गई जिसके लिये उन्होंने पिछड़े वर्ग की संस्था बनाई थी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय मित्रों की बहस सुनी। उधर से जो बातें कही गईं कि हमने एम०एल०ए० और एम० एल०सी० को जिला परिषद् में इसलिये रखा है कि उनका जो दीर्घकालीन अनुभव है उससे लाभान्वित हो सकें तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या गांवों में और ऐसे अनुभवी लोग नहीं होते? क्या हम यह समझें कि एसेम्बली से बाहर ऐसे पढ़े-लिखे लोग नहीं मिलेंगे जो वहां का शासन चला सकें। क्या एम०एल०सी० और एम०एल०सी० के पास ही सारी काबिलियत है? क्या आप यह समझते हैं कि जो यहां पर चुनकर आ गये हैं, उनसे जो बाहर रह गये हैं वह कम काबिल लोग हैं? क्या आचार्य नरेंद्रदेव इस काबिल नहीं थे जो सुचारुरूप से काम कर सकते? जो उनको हराकर चुनकर यहां आये वह काबिल थे? कांग्रेस के नाम पर लोगों ने उनको वोट देकर यहां भेजा था। उस समय पंत जी ने कहा था कि यदि कुत्ते की दुम पर भी कांग्रेस का टिकट बांध दिया जाय तो वह भी चुनकर आ सकता है। इसलिये यह कहना कि कोई व्यक्ति जो यहां पर छांट कर आये हैं वही काबिल हैं और दूसरे लोग नहीं हैं, गलत बात है।

जो एम०एल०ए० और एम०एल०सी० यहां पर आते हैं उनके पास ही अकल का ठेका है और बाकी लोग बेवकूफ हैं, यह कहना मेरी समझ में नहीं आता। मेरा निवेदन यह है कि हर पार्टी के बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं और यहां पर जीत कर भी नहीं आते हैं। उनके ऊपर हमको भरोसा रखना चाहिये। कांग्रेस पार्टी के लोग भी बाहर हैं जो अच्छा काम जनता में करते हैं उनकी अक्ल पर भी कांग्रेसी विधायक भरोसा करें और उनके ऊपर विश्वास करें। उनको भी विकास के कार्य में मौका देना चाहिये। यह नहीं कि जो हम लोग यहां पर बैठे हैं वही प्रांत का काम करते रहें और हम ही सारी कमेटीज में रहें। स्वशासन का मतलब यह है कि वह लोग खुद अपना शासन करें। इस प्रदेश का शासन चलाने के लिये गांव वाले हमको यहां पर भेजते हैं और यहां बैठकर हम उत्तर प्रदेश का शासन करते हैं। अगर हम ही स्थानीय निकायों में चले गये तो उसको स्वशासन नहीं कह सकते हैं। जो यहां पर नहीं हैं उनको वहां की प्रगति में भाग लेना चाहिये बल्कि मैं तो कहता हूं कि उनकी हुकूमत ही वहां पर होनी

चाहिये। यदि एम०एल०ए० और एम०एल०सी० वहां पर दखल दें और वहां की कमेटी को गवर्न करें तो यह कहां तक उचित है? माननीय मंत्री जी ने जो पहला बिल पास किया था उसमें यह बात नहीं थी। उसमें एम०एल०ए० और एम०एल०सी० को उसका सदस्य बनाये जाने की बात नहीं थी। आज कल तो एम०एल०ए० कहलाने में भी शर्म लगने लगी है कि जिस प्रकार की खबर अखबारों में आने लगी है कि एक कांग्रेसी सदस्य ने २९८ टिकटों के लिये चौथाई पैसा झूठमूठ हरिजन किसान बताकर यह रियायत ली तो उससे कुछ लाभ उठाया। आज भी एक प्रश्न आया था कि सीतापुर के एक कांग्रेसी सदस्य जिलाधीश से यह कह आये कि फलां-फलां जाति के लोग इस डकैती के जुर्म में हैं तो इन पर कोई कार्यवाही न करना। उनके बयान को टेप रिकार्ड कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद उसको मिटा दिया गया। यह बात नहीं होनी चाहिये। मैं यह कहता हूं कि बाकी लोग जो बाहर हैं वे अच्छे नहीं हैं और हम ही लोग जो यहां पर आये हैं अच्छे हैं, यह बात गलत है।

अब आप देखें कि जो नीचे से आयेंगे वे १८ अनुमेलित सदस्य, ३ सहकारी संस्थाओं से आयेंगे और एम०एल०ए० और एम०एल०सी० भी तो इतने लोग क्षेत्र समितियों के मेम्बर होंगे ये लोग मतदान में भी भाग लेंगे। खंड १८(२) के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र समिति द्वारा नियत रीति से अपने सदस्यों में से चुने गये उतने व्यक्ति जिला परिषद् में आयेंगे। एम०एल०ए० और अनुमेलित व्यक्ति कम से कम २१ व्यक्ति क्षेत्र समिति को अपने सदस्यों में से आदमी छांटकर भेजेंगे। यह किस किस्म का अनुमेलन हो रहा है? एक तरफ तो यह कहना कि जिला परिषद् में सीधे निर्वाचित जनता के नुमाइंदे होंगे और कोआप्शन नहीं होगा और दूसरी तरफ इस तरह से उसमें रखना दोनों एक दूसरे की विरोधी बातें हैं। माननीय मंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि हरिजनों के लिये व्यवस्था हो तो वह होनी चाहिये। जब मंत्री जी स्वयं यह स्वीकार कर चुके हैं और औरतों के लिये रिजर्वेशन की व्यवस्था रख चुके हैं तो अच्छा किया, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। अगर आप औरतों को रिजर्वेशन से ला सकते हैं तो जो पिछड़ा वर्ग है उसने क्या बिगाड़ा है जो उनको नहीं ला सकते हैं, यद्यपि हम किसी जाति या धर्म के लिये रिजर्वेशन के विरोधी ह। उनको भी आप ला सकते ह लेकिन दुनिया का यह सिद्धांत है कि जिस सीढ़ी से कोई ऊपर चढ़ता है उसी को फिर नीचे फेंक देता है। यह तो कोई नयी बात नहीं है। मंत्री जी भी वही कर रहे हैं।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राजनीति से भरा हुआ बिल है। कांग्रेस की मैजारिटी हो जाय चाहे जिस तरीके से हो, गलत सही जैसे भी, हो जाय। हमारे पर्वतीय प्रदेश में एक कहावत है। अंग्रेजों के पहले वह कसूरी राजा के अधीन देश था। उन्होंने बड़े अत्याचार किये। उनको यह डर था कि लोग हमको मार डालेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो कुली थे उनको आज्ञा दी और जो उनके कंधे की हड्डियों के नीचे छेदकर उसमें कड़े पहनवा दिये जिनसे सवारी की डांडी रस्सियों से बांध दी जाती रही ताकि उन्हें रास्ते में नीचे गिरा न दें। लेकिन जब उन कुलियों से न चला गया तो उन्होंने उस पालकी की समेत खड्ड में कूद कर अपनी जानें दे दीं लेकिन साथ साथ राजा को भी ले गये। तो आप चाहे जितनी भी कोशिश करें कि कांग्रेस चिरंजीवी हो लेकिन आप वक्त को नहीं रोक सकते। लेकिन यह बिल आपका अप्रजातांत्रिक है, नाटकीय है और स्वशासन का गला घोंटने वाला है। अगर इस तरह का प्रतिबन्ध रखा गया तो सिवाय सत्यानाश के और कुछ नहीं होने वाला है।

***श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब एक संशोधन देखा कि हरिजनों के लिये इतनी सीट्स रिजर्व कर दी जायं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बड़ी गलत चीज है। इसी लखनऊ में सन् १९१६ में एक गलती हो गयी पृथक् निर्वाचन की। वह बढ़ते-बढ़ते यहां तक बढ़ा कि मुल्क बंट गया और मुल्क के बंट जाने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

बाद भी परेशानी दूर नहीं हुई बल्कि बढ़ती जा रही है। लोगों का खयाल था कि पाकिस्तान बन जाने के बाद लोग अच्छे तरीके से रहेंगे लेकिन पाकिस्तान में तो जनतंत्र खत्म हो गया और यहां भी शिकायत बढ़ती जा रही है। पहले हिन्दू मुसलमान का भेद हुआ, उसके बाद हिन्दुओं शिड्यूल्ड कास्ट, फिर बैकवर्ड क्लास और आपको जानकर दुख होगा कि हरिजनों में भी यह सवाल है कि फलां जाति के हरिजन ले लिये गये और फलां के छोड़ दिये गये।

कुछ सदस्य—गलत है। कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल—इस तरह से दिन को रात कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आप कहें तो कल प्रदर्शन करवा दूं कि फलां आदमी फलां फलां जाति के लिये गये और फलां फलां जाति के लोग नहीं लिये गये। वाक्यात से आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। हरिजनों में आप देख रहे हैं, हिन्दुओं में सिक्खों का सवाल आया है। सिखों के अन्दर भी हरिजन सिख का सवाल पेश हो रहा है, मुसलमानों के अन्दर भी जुलाहे, धुनिये का सवाल पेश हो गया। यह जाति-पांति का सवाल हमको कहां से कहां ले जायगा। मैं मुबारकबाद देता हूं गवर्नमेंट को कि इसी लखनऊ में जो एक गलती हुई थी उसी लखनऊ में आपको उसको सुधारने का भी खयाल आया और आपने इस प्रकार का संशोधन नहीं माना। जो ठीक बात होगी उसकी तारीफ करनी चाहिये। मैं कहता हूं कि जो लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं वे अपनी जाति का नुकसान कर रहे हैं। अगर इस तरह से जातियों का सवाल उठेगा तो कितनी जातियों के लिये सीटों का आप इंतिजाम करते जायेंगे। एक क्षेत्र में तो अच्छे आदमी मिलते नहीं अगर उनको कस कर देखा जाय।

मैं एक कहानी आपके सामने कहना चाहूंगा जो बहुत कुछ सबक देगी। एक मौलाना साहब के पास एक आदमी आये जो छः महीने पैदल चलकर उनके पास आये थे। लोगों के अन्दर जाकर कहा कि मौलाना साहब फलां साहब आये हैं जो ६ महीने पैदल चलकर आपके पास आये हैं। मौलाना साहब ने कहा कि बहुत अच्छा बैठिये हाजिर होता हूं। जब वह चलने लगे तो बच्चा रोने लगा। उन्होंने उससे कहा कि बैठो, मिठाई लेने जा रहा हूं। उसको बैठाकर बाहर निकले। मौलाना साहब बातें करने लगे। इतने में बकरी आयी। बकरी को हाथ दिखाया। वह पास आयी तो उसका मुंह पकड़कर बांध दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं जाता हूं। मौलाना साहब ने उनसे कहा बैठिये साहब, आप ६ महीने तक पैदल चलकर मिलने और बातें करने आये हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस काम के लिये आये थे वह काम हो गया। बहुत कहा लेकिन उन्होंने यही कहा कि जिस काम के लिये हम आये थे वह हो गया। आखिर बात क्या है? मुझसे कोई गलती हुई। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि आपका कुछ दिमाग खराब है। ६ महीना चलने के बाद तो आप मिले और अभी मुलाकात हुई नहीं कि जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग खराब नहीं है। माफ करें, आप तो झूठ बोलते हैं। बच्चे को धोखा दिया कि मिठाई लेने जा रहे हैं, बकरी को धोखे से पकड़ लिया, तो आप मुझे क्या सिखलायेंगे। एक क्षेत्र में एक अच्छा आदमी नहीं मिलता और आप एक-एक जाति में ढूंढेंगे? अच्छा आदमी किसी भी जात का होगा, अगर बैठेगा तो सब का फायदा होगा और बुरा आदमी बैठेगा तो हर एक का नुकसान होगा। अच्छा आदमी ऐसा कि जो सच्चरित्र हो, विद्वान हो, वक्ता हो, लेखक हो, सूझ-बूझ का हो। अच्छा आदमी चमकता है सूरज की तरह।

इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको ला कर आपने बहुत अच्छा किया। हरिजन भाई इसमें क्यों चिल्लाते हैं। अभी शाहजहांपुर में एलेक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस हार गयी, लेकिन हरिजन कांग्रेसी जीत गया। तो जो अच्छा होगा वह जीतेगा और जो बुरा होगा वह हारेगा। इसलिये काबिलियत की कदर होनी चाहिये तभी हमारा कल्याण संभव है। मैं गवर्नमेंट को इसके लिये मुबारकबाद देता हूं और इसका स्वागत करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लारी साहब अपना उपदेश दे कर चले गये और अब मेरी प्रार्थना सुनने के लिये मौजूद नहीं हैं। इसका मुझे दुख है। वह इस तरह की बात कर रहे थे कि जिससे मालूम पड़ रहा था कि कोआप्शन और नामिनेशन में कोई फर्क वह समझते ही नहीं हैं। क्योंकि वह कह रहे थे कि सरकार कोआप्ट कर के अपना अधिकार जिला परिषद् में जमाना चाहती है। कोआप्ट तो करेंगे जिला परिषद् के सदस्य जो चुन कर आयेंगे, चाहे वह प्रमुख हों चाहे माननीय सदन के सदस्यगण हों या कोआपरेटिव संस्थाओं के प्रतिनिधि हों, वे सब लोग इकट्ठा हो कर कोआप्ट करेंगे। सरकार कोआप्ट नहीं करेगी। सरकार को बेकार उसमें डाल देना अनुचित है और अन्याय करना है।

इसके अतिरिक्त वे कह रहे थे कि कोआप्शन उनका होगा जिनकी पहुंच सरकार तक या सरकारी अधिकारियों तक होगी। मुझे दुख है कि अगर इस तरह का फर्क न किया जाय और कंफ्यूज कर दिया जाय तो क्या बात कही जाय। इसके अलावा उनका कहना है कि सब संशोधन ठीक है, मान लिये जायं। संशोधन तो ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के विरोधी हैं। एक माननीय सदस्य कुछ कहते हैं। दूसरे सज्जन कुछ कहते हैं और अगर सब को जोड़ दिया जाय और सब को मान लिया जाय तो यह विधेयक बेमानी हो जायगा। तो क्या माननीय सदस्य ऐसी गलती करने के लिये यहां तैयार हैं कि इस विधेयक को अर्थहीन ही बना दें? हम तो ऐसी गलती करने को तैयार नहीं हैं। कोआप्ट वह किये जायेंगे जो कमजोर हैं, जो सीधे चुनाव में दूसरों का मुकाबला कर के नहीं आ सकते। उनके लिये कोआप्शन की व्यवस्था की गयी है, जैसे महिलायें। महिलायें किसी भी वर्ग की हों, पिछड़ी हुई हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)—हम लोग ताकतवर हैं, कमजोर नहीं।

(तालियां)

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—बस्ती जिले में सबसे तगड़े आदमी से मेरा मुकाबला था जिसको हरा कर मैं यहां आयी हूं?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपको इजाजत नहीं दी थी। आप बैठें।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान जी, मैं इस बात को मानता हूं कि माननीया सदस्यायें यहां बैठी हैं, वे चुन कर ही आयी हैं, चुनाव में जीत करके आई हैं, किन्तु इसमें व्यवस्था इसलिये की गयी है कि अगर किसी जिले में हमारी बहनें चुन कर न आ सकें तो उनके लिये कोआप्शन की व्यवस्था हो। अगर वे इतनी ताकतवर हैं कि वे चुन कर आ सकती हैं तो वे कोआप्ट नहीं होंगी। यह व्यवस्था तो उनके लिये है जो इतने ताकवर नहीं हैं कि चुनाव लड़ कर आ सकें। विधान परिषद् में खास तौर से इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाओं के लिये इस तरह की व्यवस्था हो। इसके अलावा यही व्यवस्था अनुसूचित जाति के भाइयों के लिये भी की गयी है। अगर किसी कारण वश वे चुन कर नहीं आ पाते हैं तो वे कोआप्ट किये जा सकते हैं। फिर यह कोआप्ट तो वही लोग जो चुन कर आयेंगे, करेंगे। अगर उसमें कांग्रेस के लोग चुन कर आयेंगे तो वे अपने आदमियों को कोआप्ट कर लेंगे और अगर उस तरफ के लोग आयेंगे तो वे अपने लोग रखेंगे। तो इस तरह से बहुमत की संख्या भी तो बढ़ सकती है।

श्रीमन्, एक संशोधन माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी का है। उसके द्वारा वे यह चाहते हैं इसमें भूदान यज्ञ के व्यक्तियों को भी रखा जाय। हमारा संशोधन इस तरह का है कि जिले की ऐसी संस्थाओं के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा चुना एक सदस्य जो राज्य सरकार की दृष्टि में समाजोत्थान का काम कर रहा हो। इस तरह का हमारा संशोधन है। इसका अर्थ है कि जितनी भी संस्थायें इस तरह की हो सकती हैं जो समाज सेवा का काम कर रही हैं। उसमें चाहे भूदान यज्ञ हो, भारत सेवक समाज हो, या कोई भी संस्था हो, उन्हीं में से एक सदस्य चुनने की व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—सदन में अशान्ति बहुत हो रही है । कृपया शांत रहें ।

श्री जयराम वर्मा—इसलिये, श्रीमन्, यह जो एतराज किया गया है कि इस तरह का भी संशोधन हो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है । माननीय तिवारी जी ने अपना संशोधन रख कर इसकी उपयुक्तता को साबित कर दिया है और उसका समावेश हमने कर ही दिया है । इसलिये उनके संशोधन को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता ।

अब श्रीमन्, एक बात और कही जा रही है कि इसमें कुछ महिलाओं के लिये और पिछड़ी हुई जातियों के लिये संरक्षण हो । इसके लिये मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अगर हमारे संविधान में इस तरह का कोई संरक्षण होता, तब तो हम भी कर देते , किन्तु जब तक हमारे संविधान में इस तरह का कोई संरक्षण नहीं है, हम उसको कैसे कर दें । यह हमारी समझ में नहीं आता । संविधान के खिलाफ हमको कोई संरक्षण नहीं कर सकते । हम उसके बाहर कोई काम नहीं कर सकते ।

अब दूसरी बात यह है कि हमारे उधर के भाइयों ने, गोविन्दसिंह विष्ट जी तथा अन्य साथियों ने जो कहा यहां सदन में, उससे ही केवल महिलाओं या पिछड़ी हुई जातियों के साथ हमदर्दी नहीं हो सकती है, हमदर्दी काम से होती है लेकिन बेकायदा काम से नहीं हो सकती, कायदे के अन्दर हो सकती है । यहां की हमदर्दी से काम नहीं चलेगा, बाहर चल कर हमदर्दी दिखलाइये तो मालूम हो कि माननीय सदस्य कितनी हमदर्दी करते हैं । हमदर्दी तो तब जाहिर हो जब माननीय सदस्य उनको ही चुनकर अपनी पार्टी की ओर से भेजें और उनकी तरफ से जितने खड़े हों वह महिलाओं में से और पिछड़ी जातियों में से खड़े किये जांय, तभी सहानुभूति मालूम होगी । ऐसा करने से माननीय सदस्य को कोई रोकने वाला नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बार-बार व्यवधान करना ठीक नहीं है । वह तो उसी प्रकार भाषण कर रहे हैं जैसे मोतीलाल जी कर रहे थे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—पिछड़े वर्ग के नेता थे, अब पिछड़ा वर्ग छूट गया ।

श्री उपाध्यक्ष—आर्डर, आर्डर । कृपया शान्त रहें ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—आपके द्वारा कुछ पूछना चाहता हूं उनसे ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये । स्वायत्त शासन उपमंत्री अपना भाषण जारी रखें ।

श्री जयराम वर्मा—जहां तक एम० एल० ए० और एम० पी० की बात कही गयी, आपको भी खयाल होगा और माननीय गोविन्दसिंह विष्ट को भी कि मैंने कहा था कि उनके अनुभव का लाभ हम उठाना चाहते हैं । गोविन्दसिंह जी ने कहा कि क्या बाहर वालों में बुद्धि नहीं है, वह पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो मैंने न बुद्धि वाली बात कही, न पढ़े-लिखे होने की बात कही । मैंने कहा कि जो माननीय सदस्य आते हैं उनको काम करने का अनुभव है, उससे हम लाभ उठाना चाहते हैं, उसके लिये हम उनको जिला परिषद् में रखना चाहते हैं । यह नहीं कहते हैं कि उनके अतिरिक्त कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, बुद्धिमान नहीं है । जिस तरह का अनुभव यहां रहकर माननीय सदस्यों को है वह उनको नहीं है जो इस तरह की सेवा में नहीं हैं । इसलिये जिनको अनुभव है उनको किसी तरह से अलग करना मुनासिब नहीं है ।

अब कहा यह गया कि मद २ में जो खंड से लोग चुनकर आवेंगे इसकी क्या जरूरत थी । मैं उनकी जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि बहुत से जिलों में केवल ४ खंड हैं तो ४ प्रमुख आयेंगे और मुश्किल से दो-तीन एम० एल० ए० होंगे, तो इतनी संख्या कम होगी जिसे बढ़ाना पड़ेगा । इसलिये जो कम से कम २० संख्या रखी है वह जरूर पूरी हो जाय, इसीलिये मद २ में यह व्यवस्था की गयी है । बड़े जिलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने वाली है, छोटे जिलों के लिये ऐसी

व्यवस्था है । इसलिये लिखा गया है कि 'यदि कोई हो' । बड़ा जिला बस्ती है, वहां ३२ खंड हैं । ३२ तो खंड से ही आयेंगे और २०-२२ एम० एल० ए० और एम० पीज० हो जायेंगे । इसी तरह से ३२ कम से कम चुने हुये आ जायेंगे । तो और आ जाने से तो बहुत बड़ी संख्या हो जायगी, इसलिये और बढ़ाने की गुंजायश नहीं है ।

हम तो मानते हैं कि इस सदन के सदस्य चुने हुये हैं, वह क्यों मान लेते हैं कि वे जनता के प्रतिनिधि नहीं रह गये हैं ? अपने ऊपर उनको इतना विश्वास नहीं रह गया है कि वह अपने को जनता का प्रतिनिधि मानने को तैयार हों । हम तो उनको जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि मानते हैं और उनकी सेवाओं से लाभ उठाना चाहते हैं, इसीलिये उनको रखना चाहते हैं । तो इस तरह की एक दूसरे से विरोधी बातें कुछ समझ में नहीं आतीं ।

श्रीमन् जी, माननीय भीखालाल जी कह रहे थे कि संस्थाओं को स्थान नहीं दिया गया । तो एक संस्था को अलग स्थान नहीं दिया गया है । ऐसी व्यवस्था हमने की है कि जितनी सामाजिक संस्थायें हैं जो समाजोत्थान का काम कर रही हैं उनमें से एक आदमी चुना जाय । वह कोई भी संस्था हो सकती है, लेकिन वह राजनीतिक संस्था नहीं होनी चाहिये । श्रीमानजी, यही दो चार बातें थीं जिनका मैंने जवाब दिया । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि कि इस बिल के सुधार के लिये जिन संशोधनों को स्वीकार करने की बात मैंने कही है उनको वह स्वीकार करें और बाकी संशोधनों को, यदि माननीय सदस्य उनको वापिस लेने की कृपा न करें, अस्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं एक-एक करके संशोधनों को ले रहा हूं । आपको मालूम हो जायेगा कि कौन-कौन से वह मानते हैं, जरा सजग होकर आप देखते जाइये । सबसे पहले गेंदासिंह जी का संशोधन लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (२) के आखिर में निम्न शब्द जोड़ दिये जांय--

"प्रतिबन्ध यह है कि इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, ७५ नं० पर जो मेरा संशोधन है उसको मैं सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के प्रकाश में वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रघुवीरसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन जो संख्या ७५-क पर है, वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) का भाग (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (२) तथा (६) निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---अब नागेश्वर द्विवेदी जी का संशोधन मैं लेता हूं ।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) की मद (४) और (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(४) जिला कोआपरेटिव फेडरेशन का एक प्रतिनिधि तथा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का एक प्रतिनिधि जिन्हें नियत शर्तों के अधीन नियत रीति से चुना जायगा ।

(५) जिले की ऐसी संस्थाओं के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा चुना एक सदस्य जो राज्य सरकार की दृष्टि में समाजोत्थान का काम कर रही हो" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन क्रमांक ७७-क वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन क्रमांक ७७-कक वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) का भाग (३) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--श्री नागेश्वर द्विवेदी के संशोधन के स्वीकार हो जाने के बाद संशोधन संख्या ७९, ८० और ८१ बेकार हो गये हैं । श्री देवनारायण भारतीय के ८२ नंबर के संशोधन में से यह भाग कि उपखंड (८) निकाल दिया जाय, इसको लिये लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड १८ का उपखंड (८) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब इसी तरह से ८३ नंबर पर श्री गेंदासिंह जी का संशोधन है वह भी नागेश्वर द्विवेदी जी के संशोधन के स्वीकृत हो जाने के कारण निरर्थक सा हो गया है । अतः मैं अब ८४ को लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि भाग (६) के अन्त में शब्द "श्रमिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि जिसे नियत शर्तों के अधीन तथा नियत रीति से चुना जायगा" जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (६) के शब्द "जिसे नियत शर्तों के अधीन तथा नियत रीति से चुना जायगा" के स्थान पर निम्न प्रकार रख दिया जाय :

"जिसे वार्षिक साधारण सभा चुनकर भेजेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब श्री ब्रजनारायण तिवारी का संशोधन लिये लेता हूं । वह इस प्रकार है--

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के उपभाग (६) के आगे एक नया उपखंड ६ (अ) निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय--

"६-(अ)-जिला भूदान यज्ञ का एक प्रतिनिधि जिसका चुनाव भूदान समितियों द्वारा किया जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (७) को निकालकर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"अप्रत्यक्ष रूप से चुने गये जिला परिषद् के सदस्यों से दूने सदस्य मताधिकार के निर्वाचित किये जायेंगे"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (७) को निकाल कर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"जिला अध्यापक मंडल का एक प्रतिनिधि जिसे मंडल नियत शर्तों के अधीन तथा नियत रीति से चुन कर भेजेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) की मद (७) में आने वाले शब्द "प्रत्येक खंड" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक खंड अथवा खंडों के समुदाय" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (७) तथा प्रथम द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिबन्धात्मक अंश के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(अ) बालिग मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा चुने हुये व्यक्ति।

(ब) परिषद् की कुल सदस्य संख्या कम से कम २५ तथा अधिक से अधिक ६४ होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) की मद ९ के बाद एक नयी मद (१०) इस प्रकार रख दी जाय--

"अनुसूचित जातियों के लिये संविधान के अनुसार जन-संख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (८) व (९) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (७) की प्रथम पंक्ति के शब्द "पर" तथा शब्द "निर्वाचित" के बीच के शब्द "गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (७) के आगे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"जिनमें ६० प्रतिशत हरिजन, पिछड़ी जाति, औरत तथा पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के प्रतिनिधि हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (८) की पंक्ति दो में शब्द "जिले" के स्थान पर शब्द "ग्राम क्षेत्र" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (९) के उपरान्त नये पैराग्राफ प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि में उल्लिखित "अधीन सदस्यों की कुल संख्या की आधी से कम न होगी" के स्थान पर "अधीन सदस्यों की कुल संख्या दो तिहाई से कम न होगी" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (९) के अन्त में निम्नलिखित नया भाग (१०) रख दिया जाय--

"(१०) प्रत्येक एक हजार अध्यापकों की संख्या पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ढंग से एक चुना हुआ प्रतिनिधि ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (९) के पश्चात् निम्नलिखित नया भाग (१०) रख दिया जाय--

"(१०) अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार, जिला में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करेगी, जिसकी पूर्ति खंड (७) में नियत रीति के अनुसार विभिन्न खंडों द्वारा की जावेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--श्री राम दुलारे मिश्र का ९४--कककक है ।

श्री रामदुलारे मिश्र--श्रीमन्, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (९) के अन्त में नया भाग (१०) निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"(१०) जिला परिषद् द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा नियत रीति से निर्वाचित दो प्रतिनिधि ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (९) के पश्चात् एक नया भाग (१०) इस प्रकार जोड़ दिया जाय--

"(१०) संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिये उनकी जन-संख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित कर दिये जांय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ में निम्नलिखित उपखंड (१०) उपखंड (९) के बांद बढ़ा दिया जाय--

"(१०) जिले के समस्त सरकारी विभागों के अध्यक्षगण किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर देंगे और जिला परिषद् की बैठकों के बाद विवादों में हिस्सा ले सकेंगे परन्तु किसी भी प्रश्न पर उन्हें मद देने का अधिकार न होगा" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—(श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा से) आप वापस ले रहे हैं ?

(कुछ रुक कर) प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय—

"खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (९) के पश्चात् भाग (१०) निम्नलिखित रूप से जोड़ा जाय—

"(१०)—जिले के भारत सेवक समाज की ओर से एक प्रतिनिधि जिला परिषद का सदस्य होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) का भाग (९) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के प्रथम प्रतिबंध को निकाल कर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जिला परिषद् के तिहाई सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से और दो तिहाई प्रत्यक्ष रूप से चुने जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ का प्रथम प्रतिबन्ध बदल कर इस प्रकार रख दिया जाय—

"प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि खंड ८ के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के दूने से कम न होगी और उनमें हरिजनों की संख्या इतनी होगी कि उपधारा (१) में उल्लिखित कुल सदस्यों की संख्या के १८ प्रतिशत के बराबर हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के प्रथम प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में कुल शब्द हटा कर उसके स्थान पर शब्द "बराबर होगा" रख दिये जायं।

नोट—खंड १८ के उपखंड (१) के प्रथम प्रतिबन्ध की पंक्ति का शाब्दिक सुधार अन्तिम शब्द "की" की जगह पर "की संख्या के" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२७
विपक्ष में—६४।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के प्रथम प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में शब्द तथा अंक "तथा (२)" को निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "लगायत तथा (६) (८) व (९)" रख दिये जांय और तीसरी पंक्ति में शब्द "आधी" को निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "दूने" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "खंड (१) तथा (२) के अधीन" निरसित किये जांय तथा इनके स्थान पर शब्द "इस धारा के अधीन निर्वाचित अथवा मनोनीत हुये समस्त" रख दिये जायं तथा तीसरी लाइन के शब्द "आधी" के स्थान पर शब्द "दूनी" रक्खा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के प्रथम प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में शब्द "संख्या की" के आगे शब्द "आधी" के स्थान पर शब्द "तीन चौथाई" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड की तृतीय पंक्ति में से शब्द "की आधी" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि जन-संख्या में अन्तर के आधार पर विभिन्न क्षेत्र समितियों के लिये खंड (२) के अधीन या विभिन्न खंडों अथवा खंडों समुदाय के लिये खंड (७) के अधीन सदस्यों की भिन्न-भिन्न संख्या निर्दिष्ट की जा सकती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड की दूसरी पंक्ति में शब्द "(२) या खंड" निरसित किये जायं तथा

चतुर्थ प्रतिबन्ध की चौथी पंक्ति में अंक "(४) व (७)" के स्थान पर "(३) व (६)" रक्खा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के तृतीय प्रतिबन्ध में शब्द "२०" के स्थान पर शब्द "४०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के अन्तिम प्रतिबन्ध के आगे छठवां प्रतिबन्ध निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय--

"पदेन सदस्यों को किसी भी प्रकार के मतदान में भाग लेने का अधिकार न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (१) व (२) सहित निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित नयी उपधारा (२) रख दी जाय--

"(२)--उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्य इस अधिनियम के अधीन जिला परिषद् संघटन या पुनस्संघटन करेंगे। यदि परिषद् में महिलाओं की संख्या पांच से कम हो तो परिषद् जिले में रहने वाली उतनी महिलाओं को अतिरिक्त सदस्यों के रूप में अनुमेलित करेगी कि उनकी संख्या कुल मिला कर पांच हो जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--मैं अपना संशोधन जो ९७-क नम्बर पर है वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) की मद (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(२)--यदि उपधारा (१) में उल्लिखित और इस उपधारा के खंड (१) के अधीन अनुमेलित सदस्यों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या ऐसी संख्या से कम हो जो राज्य

सरकार निर्दिष्ट करे और जो पांच से कम या दस से अधिक न होगी तो जिले में रहने वाले अनुसूचित जातियों के उतने व्यक्ति जिनसे उनकी संख्या कुल मिला कर निर्दिष्ट संख्या के बराबर हो जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) के आरम्भ के शब्द "उपधारा (१)" निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "उपधारा (१) का केवल भाग (७)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द तथा अंक "१८ प्रतिशत" रख दिया जाय, तत्पश्चात् अन्तिम पंक्ति में शब्द तथा अंक "पांच" के स्थान पर शब्द तथा अंक "१८ प्रतिशत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) के उपरान्त और खंड १९ से पहले निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों की ओर से प्रति सहस्त्र अध्यापकों पर एक प्रतिनिधि अनुमेलित किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नय उपखंड (३) तथा (४) के रूप में जोड़ दिये जायं--

"(३)--उपखंड (१) के भाग (७) के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों के कुल स्थानों में से अनुसूचित जातियों के लिये उतने स्थान रक्षित होंगे जिनका अनुपात उक्त कुल स्थानों के साथ यथासंभव वही हो जो सेन्सस ऐक्ट, १९४८ के उपबन्धों के अधीन पिछली जनसंख्या में अवधारित उस जिले के खंडों की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उक्त खंडों की कुल जनसंख्या के साथ हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड की कोई बात अनुसूचित जातियों के सदस्यों को अरक्षित स्थानों के लिये खड़े होने से न रोकेगी।

(४) अनुसूचित जातियों के लिये उपधारा (२) तथा (३) की व्यवस्था केवल उस दिनांक तक प्रभावी रहेगी जब तक कि 'भारत का संविधान' के अधीन इन जातियों के लिये रक्षण विद्यमान रहे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात उपर्युक्त दिनांक की सीमा की समाप्ति पर किसी रक्षित स्थान पर निर्वाचित सदस्य अथवा अनुमेलित सदस्य पर प्रभाव न डालेगी जब तक कि किसी ऐसे सदस्य के स्थान की पूर्ति के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या नया निर्वाचन या अनुमेलन करने का प्रश्न उत्पन्न न हो जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अमरनाथ--श्रीमन्, मैं अपने संशोधन को जो १०१ पर छपा है वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

१९—(१) प्रत्येक जिला परिषद् में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा, जिनका निर्वाचन जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा ऐसी रीति से किया जायगा जिसकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय और उन नियमों में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन से सम्बद्ध शंकाओं तथा विवादों के निवारण की भी व्यवस्था की जायगी।

(२) कोई भी व्यक्ति तब तक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के लिये अर्ह न होगा जब तक कि वह जिला परिषद् का सदस्य न हो या धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (७) के अधीन सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिये पात्र न हो।

(३) अध्यक्ष, जो अन्यथा परिषद् का सदस्य न हो, उसका पदेन सदस्य होगा।

(४) उपाध्यक्ष परिषद् के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायगा और उस दशा में पदासीन न रहेगा जब वह परिषद् का सदस्य न रहे या उपाध्यक्ष होने के लिये अन्य प्रकार से अनर्हित हो जाय।

(५) पूर्ववर्त्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी संसद् अथवा राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं किया जायगा।

(६) यदि धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (१) या (३) में उल्लिखित सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाय, तो किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुये भी वह उस पद पर न रहेगा जिसके आधार पर वह जिला परिषद् का सदस्य बना था परन्तु उन सदस्यों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख धारा १८ में है ,वह पदेन जिला परिषद् का सदस्य बना रहेगा और उसके द्वारा रिक्त किये गये स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति, यथास्थिति पूर्वोक्त खंड (१) या खंड (३) के अधीन जिला परिषद् का सदस्य होगा।

(७) अध्यक्ष उस दशा में उस पद पर न रहेगा जब वह परिषद् के रूप में निर्वाचित होने के लिये या अध्यक्ष होने के लिये अनर्हित हो जाय।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "तथा एक" और शब्द "उपाध्यक्ष" के बीच "ज्येष्ठ व लघु" रख दिये जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में केवल एक ही उपाध्यक्ष रखा गया है । ऐसे अवसर आ सकते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों न हों तो जिला परिषद् के काम में गड़बड़ी हो सकती है। हमारे विधान मण्डल में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और अधिष्ठाता मंडल हैं। यह केवल इसीलिये है कि जो काम अध्यक्ष के सुपुर्द किया गया है वह खूबी के साथ किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में भी पहले चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन और जूनियर वाइस चेयरमैन थे । इसीलिये मेरा प्रस्ताव है कि 'लघु उपाध्यक्ष' और रख दिया जाय जिससे काम में सुविधा होगी। मैं आशा करता हूं कि स्वायत्त शासन मन्त्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—कितने लघु उपाध्यक्ष होने चाहिये, यह आपने नहीं बताया।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—श्रीमन्, मुझे आप का संशोधन स्वीकार है और दो उपाध्यक्ष मान लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर वह आवश्यकता न समझें तो ऐसे संशोधनों को छांट लें जो पेश न करने हों। प्रथा वही रहेगी कि तमाम संशोधन एक साथ पेश कर दिये जायं।

***श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति में "जिनका निर्वाचन" के पश्चात् के समस्त वाक्यांश को पृथक किया जाय और उनके स्थान पर "वयस्क मताधिकार के आधार पर सम्पूर्ण जिला से होगा" शब्द रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हम जिला परिषद् का कम्पोजीशन देखते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है। हमारी सरकार जिला परिषद् के विधेयक को बार-बार टालने के बाद ऐसा विधेयक लाई है जो बड़ा नामुकम्मिल है। यह देख कर हमें बड़ी निराशा होती है। सरकार चाहती थी कि यह विधेयक ऐसा हो कि जहां तक हो सके इसके जरिये डेमोक्रेसी कायम कर सकें। अब सवाल यह है कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं और कैसे कायम की जा सकती है। मैं इसकी बहस में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन डेमोक्रेसी वह है जिसमें प्रजा को ज्यादा से ज्यादा हक हासिल हों और जिसमें लोगों को अख्तियार हो कि वह अपने नुमायन्दों को चुन सकें। हम देखते हैं कि हमारे सामने जो चीज आती है वह ऐसी है कि जिस सूरत से यह अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहते हैं, उससे हमें बड़ी हैरत होती है और बड़े अफसोस की बात है। कहा यह जाता था कि हम ऐसी हुकूमत बनायेंगे जिसमें पब्लिक का हाथ ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन जब हम इस विधेयक को देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यह तरमीम सरकारी पक्ष को तकलीफ देने के लिये रखी गई है। अगर गौर किया जाय तो इसके स्वीकार न करने से सरकार को बड़ा अफसोस होगा।

आज जिला परिषद् के जो सदस्य होंगे उनके लिये ९ बातें रखी गई हैं। सब से पहली बात तो यह है कि क्षेत्र समितियों के प्रमुख होंगे और उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद क्षेत्र समिति के वह सदस्य होंगे जिनको राज्य सरकार मुकर्रर करे, वह जिला परिषद् में आयेंगे। इसके बाद म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेंट होंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह से जिला परिषद् बनेंगे और जिला परिषद् का एक अध्यक्ष होगा। इनके चुनाव में इस बात का कोई लिहाज नहीं किया गया है कि अध्यक्ष को लोगों की राय का ऐतमाद हासिल है या नहीं, उस पर बालिग लोग भरोसा करते हैं या नहीं। इस सूरतेहाल से मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आज सरकार का जरा भी भरोसा अवाम पर नहीं रह गया है। शुरू से आखिर तक इस विधेयक में ऐसी चीजें हैं जिनमें अवाम को अपने अख्तियारात का जरा भी इस्तेमाल करने का हक हासिल नहीं है।

आज हालत यह है कि हम अध्यक्ष का, जिसकी बड़ी जबर्दस्त जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर बड़े-बड़े काम रखे गये हैं, चुनाव किस तरह से कराते हैं। इस चीज को जब हम देखते हैं तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि हमारी सरकार के दिमाग में यह है कि किसी भी सूरत से जिला परिषद् का जो अध्यक्ष बने वह कांग्रेस का हो। क्योंकि आप देखें कि अभी-अभी माननीय वर्मा जी ने एक तरमीम मंजूर की थी कि जिला परिषद् के कम्पोजीशन में खंड १८ के उपखंड (१) की मद (७) में कितने लोग डायरेक्ट इलेक्शन से आयेंगे तो आपने कहा है कि जितने क्षेत्र समितियों के प्रमुख होंगे और जो अन्य क्षेत्र समितियों के लोग होंगे, उनके बराबर हो सकते हैं, यह भी मान लिया जाय तो १ और २ जोड़ कर इतने आदमी हो सकते हैं और फिर भी (६) सब सेक्शन बाकी रह जाता है। बाज-बाज जिलों में एम०एल०एज०, एम०एल०सीज० और एम० पीज० वगैरह २० के करीब हो जाते हैं तो किस सूरत से होगा। इसके लिये वह कहते हैं कि रूल्स लायंगे और उसमें तय होगा कि किस तरह से चुनाव किया जाय।

अब यह भी देखने की बात है कि अध्यक्ष का चुनाव वही लोग करेंगे जो जिला परिषद् के मेम्बर्स हैं। जो पब्लिक से डायरेक्ट चुनकर आये हैं उनकी तादाद न के बराबर है और जहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजबहादुर]

पर ज्यादा बहुमत एम० एल० एज० और एम० पीज० का होगा, जहां सरकारी पक्ष के एम० एल० एज० और एम० पीज० की संख्या ज्यादा है। तो ऐसी सूरत में कोई ज्यादा बहस की गुंजायश नहीं है। इससे साफ है कि इसमें ज्यादातर हर जगह बहुमत के लोग चुनकर आयेंगे। अभी थोड़े दिन पेश्तर जो एलेक्शन हुआ था उन लोगों से हुआ था जो म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर थे। लेकिन कौन से मेम्बर थे? जिनको पब्लिक ने चुना था, हालांकि वह भी ग़लत था। इससे पेश्तर जो चुनाव हुआ था वह बालिग मताधिकार के जरिये से हुआ था। आज जिला परिषद् के चेयरमैन को चुनने का अधिकार पब्लिक के हाथ से छीना जा रहा है। इस युग में जहां डेमोक्रेसी की दुहाई दी जाती है, महात्मा गांधी की दुहाई दी जाती है, इस वक्त बड़ा जरूरी है कि हम सोचें कि किस तरफ हम डेमोक्रेसी को लिये जा रहे हैं। इसके लिये जरूरी है कि इनडाइरेक्ट तरीके से ताकत को अपने हाथ में रखने के बजाय, पब्लिक के हाथ में एलेक्शन को छोड़ दिया जाय जिससे पब्लिक का विश्वास चेयरमैन के ऊपर हो और वह सही तरीके से जिला परिषद् की नुमाइंदगी कर सके। वरना अगर इस वजह से जिला परिषद् की नुमाइन्दगी नहीं हुई तो जिला परिषद् का केवल तमाशा बन कर रह जायगा। इसमें इतने जबरदस्त खतरे पैदा होंगे जिसको आगे चल कर महसूस करेंगे।

उम्मीद ऐसी थी कि एक लम्बे अर्से के बाद यह बिल आया है इसमें जो बातें होंगी देश को आगे ले जाने वाली होंगी। लेकिन बड़ा अफसोस है कि पहले जो वादा सरकार किया करती थी, उन बातों को बार-बार फरामोश करती जाती है। इससे एक खास तौर से डिक्टेटरशिप की झलक मालूम पड़ती है। इसमें सत्ता को हाथ में रखने की झलक मालूम पड़ती है। ऐसी सूरत में बड़ा जरूरी है कि लोग इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा—वह डेमोक्रेसी और गांधी जी के बहुत करीब हैं। वह महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। अगर सही मानी में गांधी जी के उसूलों को देखा जाय या कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावों को देखा जाय तो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर डाइरेक्ट इलेक्शन के बजाय इनडाइरेक्ट इलेक्शन किया जाता है और वह भी इस तरह से चुना जायगा जिसमें सरकार का बहुमत हो, यह निहायत गलत है। सरकार इससे गुरेज करे और इस संसोधन को मंजूर करे।

श्री देवनारायण भारतीय—मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "निर्वाचन" से तथा तीसरी पंक्ति में शब्द "जिसकी" तक के शब्द निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"क्रमशः बालिग मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा तथा परिषद् के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होगा।"

मेरे संशोधन के साथ खंड १९ के उपखंड (१) का यह रूप हो जायगा—

"प्रत्येक जिला परिषद् में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा, जिनका निर्वाचन क्रमशः बालिग मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा तथा परिषद् के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होगा जिसकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय और उन नियमों में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन से सम्बद्ध शंकाओं तथा विवादों के निवारण की भी व्यवस्था की जायगी।"

मैं इस संशोधन के द्वारा यह चाहता हूं कि जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के द्वारा न कराया जा कर आम जनता से बालिग मताधिकार के द्वारा कराया जाय। १९४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव इसी रूप से करवाया गया था। मैं समझता हूं कि उसका हमारे प्रदेश में बड़ा अच्छा परिणाम निकला। जो भी जिला बोर्डों के अध्यक्ष उस समय चुने गए उन्होंने इत्मीनान से काम किया। लेकिन अविश्वास की जो धारा तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में थी उनसे उन अध्यक्षों के काम करने में बाधा पड़ी और अधिकांश जगह पर ऐसा भी हुआ कि उनके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आये। मैं चाहता हूं कि वही प्राविधान आज भी रहे

और अविश्वास के प्रस्ताव को लाने में कुछ रुकावटें डाल दी जायें जिनसे कि विशेष स्थिति में ही अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता होता तो वह ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि सदस्यों के द्वारा आप अध्यक्ष का निर्वाचन करायें।

इसी प्रकार नगरपालिकाओं में भी सन् १९५४ में अध्यक्ष का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा कराया गया। जनता के गुप्त मतदान से उनका चुनाव हुआ। मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं में भी वह प्रणाली सफल रही और उस विधि से चुनाव करानें से हमारी जनतांत्रिक प्रणाली की मर्यादा बढ़ी, लोग जनतंत्र के महत्व को ज्यादा समझे।

अब एक ओर तो हमारी सरकार यह चाहती है कि वह नामजद व्यक्तियों को रखे कोआपरेटिव से, भूदान से, सर्वोदय से, और न जाने कहां-कहां से लाकर के जिला परिषद् में उनको भरे और फिर उनके द्वारा अध्यक्ष का चुनाव करायें। इसका परिणाम यह होगा मान्यवर, कि ग़लत आदमी अध्यक्ष चुने जायेंगे और यह जिला परिषदें एक प्रकार से हमारे विकेन्द्रीकरण का मखौल बन जायेंगी। मैं चाहता यह हूं कि जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव बालिग मताधिकार के द्वारा आम जनता से कराया जाय। लेकिन उपाध्यक्ष के लिये मैं यह ज़रूरी समझता हूं कि उसका चुनाव बैलट के द्वारा जो परिषद् के सदस्य हों वह कर लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। उनसे भी हाथ उठाकर चुनाव कराने से मैं समझता हूं कि ठीक चुनाव नहीं हो सकेगा। ठीक चुनाव तभी होगा जब कि बैलट के द्वारा गुप्त मतदान से उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यगण करें और वह ऐसे व्यक्ति को चुनें जो उपाध्यक्ष के पद की शोभा को बढ़ावे। मैं समझता हूं कि मेरा प्रस्ताव अपनी जगह पर बहुत सुन्दर और सही है और जनतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और सदन भी उसे स्वीकार करेगा।

*श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में "जिला परिषद् के सदस्यों" को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय—

"जिले के ग्राम क्षेत्र वयस्क मताधिकार"

मान्यवर, इस संशोधन का मंतव्य यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके खंड १९ में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुने जायेंगे वह जिला परिषद् के कथित सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे और इस बिल की जो मंशा है वह डेमोक्रैटिक डिसेंट्रलाइजेशन की मंशा है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की पिछले संशोधन में कि जो सदस्य जिला परिषद् के हों वह ज्यादा से ज्यादा जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनकर आयें और कम से कम अप्रत्यक्ष चुनाव से आयें। लेकिन माननीय मन्त्री जी ने और सरकार ने अपनी थम्पिंग मेजोरिटी के आधार पर उसको नहीं माना।

अब प्रश्न उठता है कि उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को किस प्रकार चुना जाय। हमने तो मान्यवर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पांच साल का टर्म रखा है। अध्यक्ष पांच साल के लिये चुना जाता है, तो उपाध्यक्ष भी पांच साल के लिये ही चुना जाना चाहिए। उपाध्यक्ष का प्रतिवर्ष चुनाव होना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम नया-नया जिला परिषद् कायम करने जा रहे हैं। यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इसके पहले था, लेकिन यह अपने ढंग की एक नयी चीज है और एक नया प्रयोग है, एक नया अनुभव इसका होगा। इसलिये हम चाहते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव ५ साल के लिये डाइरेक्ट जनता के द्वारा हो। हमने ग्राम शब्द इसमें इसलिये रखा है कि जिला परिषद् का ज्यादा सम्बन्ध गांव के रहने वालों से होगा, इसलिए गांव के लोगों को पूरा अधिकार मिलना चाहिये जिसमें कि वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन सकें जिनके द्वारा कि सारा का सारा कार्य-संचालन उनका होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

मान्यवर, जिला परिषद् में अंग्रेजों के जमाने में तो यह था कि अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष चुने जाते थे। लेकिन जब हमने स्वाधीनता प्राप्त की तो इन्हीं सामने बैठे हुये लोगों ने ही यह सोचा कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष किया जाय। और अंग्रेजो प्रणाली से जिस प्रकार पहले प्रेसीडेंट का चुनाव होता था वही अब भी होना चाहिये। आज हम उसी प्रणाली का समर्थन करने के लिये खड़े हुये हैं। यह बात दूसरी है कि यह संशोधन हमारी तरफ से आया है। अंग्रेजों के चले जाने के बाद जब राजसत्ता हमारे हाथ में आयी तो जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ करता था। सन् १९४८ में जिस समय फिर से जिला बोर्डों की रचना हुई तो उस समय भी जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट का चुनाव प्रत्यक्ष किया गया। अब अगर प्रेसीडेंट का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो प्रेसीडेन्ट स्वतंत्ररूप से अपनी राय नहीं रख सकेगा। बाज दफा यह होता है कि वह कोई विकास का कार्य करना चाहता है या जनता की भलाई का काम करना चाहता है तो अगर वह समिति के लोगों की राय से चुना जाता है और समिति के लोगों की स्वार्थ सिद्धि नहीं करता है तो अपनी कुर्सी पर ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकता।

जहां तक जनता द्वारा प्रेसीडेंट के चुने जाने की बात है, यह बात सही है कि उस को काम करने में कठिनाई होगी, लेकिन जनतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये यह परमावश्यक है कि प्रेसीडेंट का चुनाव प्रत्यक्ष हो। मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि दुनिया में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। हमारे सामने स्विटजरलैंड में डाइरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहां पर वह उसी रूप में पनप रही है। जब एक देश में डाइरेक्ट डेमोक्रेसी पनप सकती है तो जिले तो एक छोटी इकाई हैं वहां पर उसका प्रयोग हमें करना चाहिये। जिलों में अगर प्रत्यक्ष चुनाव करने में कोई कठिनाई होगी तो उसका प्रयोग हमें करना चाहिये। मैं शर्मा जी से कहूंगा कि आज हम एक नया तरीका ला रहे हैं और उस नये तरीके से जनता के हाथ में जनतांत्रिक और विकेन्द्रीकरण के रूप में शक्ति देना चाहते हैं तो वह तभी हो सकता है जब गांव की जनता को आप यह महसूस करायें कि उस को गांव में बैठकर बालिग मताधिकार की हैसियत से विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था के अन्तर्गत बड़े से बड़े आदमी को भी चुनने का अधिकार है। माननीय विचित्रनारायण जी उस व्यवस्था को ला रहे हैं और हमारा भी उसमें सहयोग है। यह तभी हो सकता है कि जब उसको सीधे प्रेसीडेंट के चुनने का अधिकार हो।

मान्यवर, हमने पहली दफा जिला परिषद् की रचना की और बहुत बहस की है। इसमें कोई सदस्य कोआपरेटिव सोसाइटी से आ रहा है, कोई कोआपरेटिव बैंक से आ रहा है और कोई क्षेत्र समिति से आ रहा है। किसी का भी सीधा सम्बन्ध नहीं है और ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आयेंगे जो देश के कल्याण का काम करती हैं। तो फिर इसका क्या आधार है कि इस तरह से वह बनेगी? जहां पर ऐसा गोलमाल हो और जहां पर ऐसी संस्थाओं के सदस्यों का पैमाना सरकार के हाथ में हो और जनता के हाथ में कोई पैमाना न हो कि किस संस्था के सदस्य किस आधार पर जनसेवी माने जायंगे तो उसका किसी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसी संस्थाओं के द्वारा प्रेसीडेंट चुना जायगा तो वह उनके ही स्वार्थ में रत रहेगा और वैसा ही वह काम करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो एक साल के भीतर ही अविश्वास का प्रस्ताव उसके प्रति आ जायेगा। इसलिये मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जनता को इस तरह का मौका दें। अगर वह प्रयोग असफल रहा तो मन्त्री जी फिर सदन के सामने आयेंगे और कहेंगे कि यह प्रयोग सफल नहीं रहा। तब हमको सन्तोष होगा कि हमारे कहने के मुताबिक सरकार ने काम किया। जब दूसरे मुल्कों को डाइरेक्ट डेमोक्रेसी पर पूरा विश्वास है, तो हमारे देश में जहां पर १२ साल से प्रजातान्त्रिक प्रणाली चलाने का प्रयास हो रहा है, इसके ऊपर लोगों की आशा लगी हुई है, वहां उसको चलाने का अवश्य प्रयास किया जाय। गांव वालों को इस बात का अहसास होगा कि देश के शासन में और विकेन्द्रीकरण में उनका हिस्सा है और यह तभी हो सकता है जब यहां की जनता को मत देने का अवसर प्रदान किया जाय।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (२) के आगे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"किन्तु पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार न होगा।"

यह जो कम्पोजीशन हमारे सामने रखा गया है उसमें आप ने देखा होगा कि ऐसे सदस्यों की संख्या काफी रखी गई है जो किसी तरह से चुन कर न आये हों, जो अपने पद के कारण इस जिला परिषद् के सदस्य स्वयं हो जायेंगे। यह जनतंत्र का एक बहुत माना हुआ उसूल है कि किसी भी पद और खास कर चुने हुये पद पर जाने के लिये ऐसे ही लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिये जो स्वयं अपनी योग्यता रखते हों। पद के द्वारा आये हुये जो लोग होंगे, हम समझते हैं, वह ईमानदार होंगे, लेकिन यह जनतंत्र का उसूल यहां तोड़ा जायगा अगर उनको हम अधिकार दे दें कि उसमें हिस्सा लें। उनको अगर उनकी योग्यता के अनुसार आवश्यक उसमें समझा गया है तो यह जरूरी नहीं है कि वह चुनाव में जब हिस्सा लेंगे तभी अपने कार्य का सम्पादन कर सकेंगे। वे अपने अनुभव से ऐसे कार्य कर सकते हैं जो परिषद् के लिये उपयोगी हों। हम यह बन्धन उनके लिये न रखें और चुनाव के झगड़े से उनको हटा लें, ताकि उनको उन कामों के कारण कोई दिक्कत न हो और पार्टीबाजी की कोई समस्या न खड़ी हो सके। यह बहुत छोटा सा सुझाव है और सुन्दर सा है। इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि हम किसी के अधिकार छीनना नहीं चाहते: सिर्फ इतना ही है कि जो पदेन सदस्य हों वह कम से कम चुनाव में हिस्सा न लें ताकि उनकी स्वतंत्रता दूसरे ढंग से भंग न की जा सके।

श्री रामदुलारे मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (२) को हटा दिया जाय तथा इसके स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय:—

"कोई भी बाहरी व्यक्ति, जो सदस्यता की योग्यता रखता हो और जो राष्ट्रभाषा हिन्दी में कार्य कर सकने की क्षमता रखता हो, अध्यक्ष-पद के लिये खड़ा हो सकता है।"

श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में मुझे अधिक निवेदन नहीं करना है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करते हुये विकेन्द्रीकरण की चर्चा की तो यह संशोधन भी उसी विकेन्द्रीकरण का द्योतक है। यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करने का मौक़ा दे सकता है, साथ ही उन लोगों की भी सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं जो अपनी सेवाओं और योग्यता के कारण जिले में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर और अपने अनुभवों के आधार पर इसे रखा है। मुझे भी देहातों में काम करने का मौका मिला है और ३० साल तक विभिन्न पदों पर देहातों में रहकर सेवा भी की है और कर रहा हूं। मुझे जिला बोर्डों का भी अनुभव है और वहां भी विभिन्न पदों पर रह कर काम करने का सौभाग्य रहा है। मैं सीनियर वाइस चेयरमैन बरसों तक रहा हूं, स्थानापन्न अध्यक्ष भी रहा हूं और जिला बोर्डों का मेम्बर तो पुराना हूं। मेरी इस बिल में दिलचस्पी है। मैं पहले सुना करता था कि जिला परिषद् बिल आ रहा है और इसमें बहुत ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं तो मेरी इच्छा थी कि अगर यहां मैं होता तो मैं भी अपने संशोधन पेश करता। लेकिन उन दिनों जब यह बिल वापस लिया गया था मैं इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं रखता था।

यह जो जिला परिषद् का बिल है इस पर मैंने बहुत सोचा और करीब-करीब सभी खंडों पर विचार किया है। अपने अनुभव के आधार पर मैंने प्रायः सभी खंडों में संशोधन प्रस्तुत किये हैं। अब भले ही समय की कमी के कारण या बाद में, क्या कहें वह तो बाद की चीज है इसलिये कि हम एक संगठन में बंधे हुये हैं और जो हमें हुकुम मिलेगा करना ही पड़ेगा, लेकिन जो हमने संशोधन पेश किया है समझ कर पेश किया है और इसलिये पेश किया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आयें और जो चुनाव के दलदल में नहीं फंसना चाहते, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामदुलारे मिश्र]

हैं जो अपनी योग्यता, कार्यक्षमता और अनुभव के कारण वे सर्वसम्मति से चुने जा सकते हैं, ऐसे लोगों को कार्य करने का मौका दिया जाय इसलिये मैंने बहुत सोच समझ कर अपना यह संशोधन प्रस्तुत किया है और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अमरनाथ—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ का उपखंड (४) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, जब अध्यक्ष के लिये कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि वह बाहरी व्यक्ति में से न हो सके तो उपाध्यक्ष के लिये इस प्रकार की कोई रोक लगा देना अनुचित बात होगी। अगर उपाध्यक्ष भी बाहरी व्यक्ति हो जाय तो ऐसी कोई बात नहीं हो जायगी और ऐसा भी नहीं है कि बाहर योग्य व्यक्ति नहीं मिल सकेंगे। मैं तो यह समझता हूं कि परिषद् में जो व्यक्ति चुने जायंगे वे योग्य होंगे और उपाध्यक्ष हो सकते हैं, इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों में भी ऐसे लोग मौजूद होंगे कि जो उपाध्यक्ष बन सकते हैं और पहले माननीय प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है, उसे मैंने भी रखा है और उसमें उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष का चुनाव वयस्क मताधिकार के अनुसार होना चाहिये, ऐसी हमारी मांग है और उनका कार्यकाल ५ वर्ष के लिये हो। पुराने जो जिला बोर्ड थे उनमें उपाध्यक्ष का चुनाव काफी समय के लिये होता था और ऐसा ही अंग्रेजों के जमाने में था, भले ही उपाध्यक्ष का कार्यकाल उन्होंने कम रखा हो, लेकिन वह ऐसा था कि वह अधिक समय के लिये उपाध्यक्ष हो जाता था। इसलिये यदि उपाध्यक्ष के लिये कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय तो वह उचित होगा। इसी कारण मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं ताकि बाहरी व्यक्ति भी उपाध्यक्ष हो सके और चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इसे स्वीकार करें।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—अध्यक्ष महोदय, अपना संशोधन पेश करने से पहले मैं विधेयक में जो खंड १९ का उपखंड (५) है उसकी दूसरी पंक्ति का शब्द "विधान मंमल" शुद्ध कर देना चाहता हूं। उसकी जगह शब्द "विधान मंडल" रख दिया जाय और मेरे संशोधन में, एजेन्डा में खंड १९ के स्थान पर खंड १८ छप गया है, इसे ठीक कर दिया जाय।

अब आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (५) की पंक्ति दो में शब्द "कोई सदस्य" तथा "अध्यक्ष" के बीच में शब्द "अथवा कोई नगरपालिका बोर्ड का प्रेसीडेंट" जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव को रखने का मतलब बिलकुल साफ है। मैं यह चाहता हूं कि जब जिला परिषद् का गठन होने लगे तो जैसे खंड १९ के उपखंड (५) में यह प्राविजन किया गया है कि राज्य विधान मण्डल के सदस्य, एम० एल० ए०, एम० एल० सी० या लोक सभा या राज्य सभा के सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं हो सकेंगे, उनके लिये रोक लगायी गयी है, वैसे ही उस जिले की नगरपालिका के जो अध्यक्ष होंगे, वह चूंकि जिला परिषद् के सदस्य होंगे, इसलिये उनके लिये भी मैं चाहता हूं कि यहां पर उसी तरह का प्राविजन कर दिया जाय। जैसे विधान मंडल के या लोक सभा या राज्य सभा के सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं हो सकते वैसे ही नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्षों को भी यह अधिकार न दिया जाय, क्योंकि मैं समझता हूं कि वह लोग खुद ही एक युनिट से चुने हुए स्वयं एक पद पर आसीन होते हैं और इस नाते उनका एक विशेष दिशा में कार्य होता है। मैं समझता हूं कि इसको और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है और सदन मेरे विचार को समझ कर इसको स्वीकार करेगा।

श्री रघुवीरसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (५) की तृतीय पंक्ति का शब्द "नहीं" निकाल दिया जाय और इस खंड के अन्त में शब्द "परन्तु निर्वाचन होने के पश्चात् उसे संसद अथवा राज्य विधान मण्डल से त्याग-पत्र देना होगा" बढ़ा दिया जाय। अब यह उपखंड इस प्रकार हो जायगा—

"पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी संसद् अथवा राज्य विधान मण्डल का कोई सदस्य....."

श्री अध्यक्ष—आप ने इसको अच्छी तरह से देख लिया न? कहीं ऐसा तो नहीं हो जायगा कि वह बगैर रजामन्दी के भी चुना जा सकता है, यानी बगैर उसकी मरजी के कोई अध्यक्ष उसको चुन दे या उपाध्यक्ष चुन दे?

श्री रघुवीरसिंह—ऐसी बात नहीं है, सरकार तो रोक लगा रही है।

श्री अध्यक्ष—उसकी कंसेंट लेने के बाद उसको चुना जायगा, ऐसा कहीं आप ने पास किया है? अगर ऐसा पास नहीं किया है तो उसको कोई भी बगैर रजामन्दी के चुन देगा और उसको अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप कहते हैं कि "परन्तु निर्वाचन होने के पश्चात् उसे संसद अथवा राज्य विधान मण्डल से त्याग-पत्र देना होगा" और मरजी के खिलाफ उसको चुन दिया तो इस कानून के हिसाब से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा?

श्री रघुवीरसिंह—जी नहीं, खड़ा होगा तभी तो चुना जायगा। उसके लिये प्रार्थना-पत्र देना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—यही मैंने पूछा था। तो फिर जारी रखिये।

श्री रघुवीरसिंह—तो अब वह इस तरह से हो जायगा—

"पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी संसद अथवा राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जायगा, परन्तु निर्वाचन होने के पश्चात् उसे संसद अथवा राज्य विधान मण्डल से त्याग-पत्र देना होगा।"

श्रीमन्, हमारे विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों के निरन्तर विरोध करने पर भी सरकार ने इस बात को कभी नहीं माना कि हम विधान मण्डल या संसदीय सदस्यों को जिला परिषद् की पदेन सदस्यता से अलग करें, बल्कि वह निरन्तर इस बात को कहते रहे कि ऐसे सदस्यों को हमें इसमें अवश्य रखना है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या बात है कि जब जिला परिषद् के सदस्य होना उनके लिये आवश्यक सरकार समझती है फिर उसके अन्दर के अधिकारों से क्यों उनको वंचित किया जाता है कि वह अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष न हो सकें? इसलिये मैं इस संशोधन को लाया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी संसद का सदस्य होने का अधिकारी है, अर्ह है, तो क्या अनर्हता हो जाती है कि वह अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष न हो सके? क्या ऐसा कर देने से उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा?

दूसरी बात यह है कि प्रायः ये लोग जब इन अधिकारों से वंचित कर दिये जायंगे तो प्रायः ये लोग ऐसी चेष्टा करेंगे कि अपने किसी आदमी को जिला परिषद् की चेयरमैनी के लिये खड़ा करेंगे। यदि किसी तरह वह उसमें सफल हो गये तो दो परिस्थितियों से लाभान्वित होंगे। यहां भी सम्पर्क बना रहेगा और वहां जिला परिषद् में भी उनके समर्थक बने रहेंगे तो वह अनुचित होगा। मैं इसीलिये संशोधन लाया हूं कि यदि कोई विधायक हों जो अपने आप जिला परिषद् के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष होने के लिये रजामन्द हों तो वह हो सकते हैं, लेकिन प्रतिबन्ध यह लगा दिया जाय कि अगर उसमें निर्वाचित हो जायं तो वह एक पद से इस्तीफा अवश्य दे दें। यही मुझे निवेदन करना था। मेरा संशोधन सीधा है, इसमें मंत्री महोदय की नीति को कोई धक्का नहीं पहुंच रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

***श्री शिवराजबहादुर**—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ का उपखंड (५) निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में लोकल सेल्फ कमेटी बनी और उसमें आटोनोमी पर बड़ा जोर दिया गया था। आज इस विधेयक में आटोनोमी ही सबसे ज्यादा खतरे में है। एम० एल० एज० और एम० पीज० क्षेत्र समितियों के सदस्य होंगे और जिला परिषद् में भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज बहादुर]

होंगे । उनको दोनों में राइट आफ वोट होगा । ऐसी सूरत में मैं यह चाहता हूं कि वे इन बाडीज के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी हो सकें । आज भी है कि एक सदस्य विधान सभा का और पार्लियामेंट का मेम्बर हो सकता है और यह बात उसके अधिकार में, छोड़ दी गई है कि वह किसे छोड़े । इस उपधारा में उनको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने से रोका गया है । जब वे मेम्बर हो सकते हैं तो कोई वजह नजर नहीं आती कि उन्हें इस तरह रोका जाय । अगर उनकी इमाल्यूमेंट्स का सवाल है तो उन्हें डिस्क्रीशन होगा और कानून के मुताबिक वह एक जगह रहना पसन्द करेंगे । इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार इस संशोधन को मान लेगी ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १९ के उपखंड (६) में प्रथम पंक्ति से शब्द तथा अंक "या (३)" निकाल दिये जावें और छठी व सातवीं पंक्तियों में शब्द "यथास्थिति" और शब्द तथा अंक "या खंड (३)" निकाल दिये जावें । मेरा यह प्रस्ताव पहले प्रस्ताव से सम्बन्धित है, उसमें मैंने यह कोशिश की है कि नगरपालिका के सदस्य जिला परिषद् के अध्यक्ष नहीं हो सकेंगे । इसीलिये यह संशोधन भी आवश्यक हो जाता है ।

श्री देवनारायण भारतीय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (६) को निकाल दिया जाय ।

उपखंड (६) इस प्रकार है :—"यदि धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (१) या (३) में उल्लिखित सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाय, तो किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुये भी वह उस पद पर न रहेगा जिसके आधार पर वह जिला परिषद् का सदस्य बना था परन्तु उन सदस्यों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख धारा १८ में है, वह पदेन जिला परिषद् का सदस्य बना रहेगा और उसके द्वारा रिक्त किये गये स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति, यथास्थिति पूर्वोक्त खंड (१) या खंड (३) के अधीन जिला परिषद् का सदस्य होगा ।"

इस उपधारा के द्वारा सरकार जो पदेन सदस्य हैं उन्हें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने जाने का अधिकार देती है, मैं इसका विरोध करता हूं । मैंने अभी एक दूसरा संशोधन पेश करते हुये यह कहा था कि पदेन सदस्यों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर निर्वाचित होना अच्छी जनतांत्रिक प्रणाली नहीं होगी । इससे जनतन्त्र का विकास नहीं होगा और विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा । या तो अध्यक्ष का चुनाव सीधे-सीधे जनता से बालिग मताधिकार द्वारा हो और यदि सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती है तो सदस्यों द्वारा उन्हीं व्यक्तियों में से किसी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जाय जो डाइरेक्ट इलेक्शन से चुनकर जिला परिषद् में आये हों । मान्यवर, मुझे सौभाग्य रहा है कि मैं सन् २१ से प्रायः अभी तक जिला बोर्डों का या जिला परिषद् का सदस्य रहा हूं ।

मैंने यह भी अभी कहा था कि मैंने सन् ४८ में उस चुनाव को भी होते देखा जो हमारी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में, जो सन् १९२१ में बना था, उसमें १९४७ में संशोधन करके कराया था, और अध्यक्ष का चुनाव डाइरेक्ट चुनाव से कराया था । मैं अपने पिछले अनुभव के आधार पर कहता हूं कि हमें अध्यक्ष का चुनाव कराते समय बहुत ही सतर्कता बरतने की जरूरत है । हमें वह पद किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे देना चाहिये जो उस पवित्र संस्था को या उस पवित्र पद को कलंकित करे । यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जाने का अधिकार न दें जो किसी संस्था के सदस्य की हैसियत से जिला परिषद् में पदेन सदस्य बन कर आया हो । ऐसा न करने से अध्यक्ष के अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है । इसलिये मैंने इस संशोधन के द्वारा यह प्रस्ताव किया है कि खंड १९ का उपखंड (६) निकाल दिया जाय ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन केवल शाब्दिक है। वह शायद छपने से रह गया है, या क्या बात है ? मैं चाहता हूं कि उपखंड इस प्रकार हो जाय कि अध्यक्ष उस दशा में उस पद पर न रहेगा जब वह पारिषद् के रूप में निर्वाचित होने के लिये या अध्यक्ष होने के लिये अनर्हित हो जाय। मैं चाहता हूं कि "परिषद्" शब्द के स्थान पर "पारिषद" रखा जाय। "परिषद्" तो एक संस्था होती है, किसी व्यक्ति के लिये "पारिषद" का प्रयोग उपयुक्त होगा।

श्री नागेश्वरप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, श्री मदन गोपाल वैद्य के नाम से जो संशोधन है वह मुझे पेश करने के लिये दिया है। यह संशोधन उसके साथ गलती से नत्थी हो गया। जिस रूप में संशोधन दिया गया वह गलत छाप दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (७) की पहली पंक्ति में शब्द "परिषद्" के स्थान पर शब्द "परिषद् के सदस्य" रख दिये जांय।

श्री अध्यक्ष—शब्द "परिषद्" की जगह "परिषद् के सदस्य" होना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—अगर आप बिल को पढ़ें तो उसमें परिषद् के सदस्य के रूप में नहीं है। यदि मंत्री जी उधर के ही संशोधन को मानना चाहते हैं तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष—आप इतनी कठिन संस्कृत इस्तेमाल कर रहे हैं कि 'पारिषद" शब्द किसी की समझ में नहीं आवेगा। उसकी व्याख्या करना मुश्किल हो जायगी।

श्री नागेश्वरप्रसाद—मैं चाहता हूं कि "परिषद् के सदस्य" होना चाहिये। "पारिषद्" शब्द बहुत स्पष्ट नहीं होता है। "पारिषद्" कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है और बड़ा भ्रामक हो जायगा। "परिषद् के सदस्य" विधेयक में जगह-जगह पर आया है, ऐसा रखने से स्पष्ट हो जायगा।

श्री माताप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड १९ में एक नया उपखंड (८) इस प्रकार बढ़ा दिया जाय—

'उपखंड (८)—किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि खंड १८ के उपखंड (३) के अनुसार जिला परिषद् के सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं किये जा सकेंगे'।"

मान्यवर, इस धारा में यह व्यवस्था की गयी है कि विधान मंडल के सदस्य या पार्लियामेंट के सदस्य जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं हो सकेंगे, लेकिन इसमें नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्डों के जो प्रेसीडेंट होंगे वे अध्यक्ष हो सकेंगे। मान्यवर, अगर इसमें इस प्रकार से संशोधन नहीं किया गया तो जिस जिले में एक ही नगरपालिका है और उसका प्रेसीडेंट यदि प्रभावशाली हुआ तो वह जिला परिषद् का भी प्रेसीडेंट चुन लिया जायगा। इस प्रकार से दोनों स्थानों पर एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित हो जायगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का संशोधन अवश्य कर दिया जाय।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं माननीय शिवराजबहादुर जी, प्रतापसिंह जी और नंदराम जी ने जो संशोधन उपस्थित किये हैं, उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी दृष्टि में इस विधेयक में बहुत से दोष हैं। अगर इन संशोधनों को मान लिया गया तो मेरा विचार है कि उन दोषों का शमन हो जायगा। माननीय शिवराज बहादुर जी और प्रतापसिंह जी के दो संशोधन हैं उनमें बहुत थोड़ा-सा अन्तर है। करीब-करीब दोनों एक ही हैं। माननीय नंदराम जी का जो संशोधन है वह यह है कि पदेन सदस्यों को वोट देने का अधिकार अध्यक्ष के चुनाव में न हो। यह जरूर विधेयक के दोषों को दूर करता है। हम पदेन सदस्य रहेंगे ही और सरकार हम को पदेन सदस्य बनाकर छोड़ेगी और हमको जिला परिषद् के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त रहेगा। अगर विचार विनिमय करने के लिये केवल रहें तो अवश्य जिला परिषद् को लाभ होगा और अध्यक्ष के लिये वोट देने का अधिकार न हो। इसीलिये माननीय नंदराम जी ने सुझाव दिया है कि अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने और मत देने का अधिकार न हो। इसमें हम लोगों का हित ही है। कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ये बहुत ही निर्दोष संशोधन हैं और सारे विधेयक की खामियों को दूर करने वाले हैं।

वयस्क मताधिकार के इलाज को सारी पोलीटिकल साइंस में महत्व दिया गया है। जनमत को प्राप्त करने के लिये यह सबसे अच्छा इलाज और आधार है। अब इसमें जो चुनाव वयस्क मताधिकार के अनुसार आप कर रहे हैं उसमें कोई नया ढंग अपनाने के लिये हम नहीं कह रहे हैं। इसके अलावा कोई नया काम करना नहीं होगा, कोई खर्चा सरकार का नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आखिर क्षेत्र समितियों के सारे जिले से तो कुछ सीधे चुन कर मेम्बर इन जिला परिषदों के होंगे ही। तो जिस वक्त प्रत्यक्ष चुनाव होने लगे उन सदस्यों का उस वक्त अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है बगैर किसी खर्च के और बगैर किसी झंझट के। और क्या दिक्कत खड़ी होगी सरकार के सामने कि जिसकी वजह से सरकार इसे मानने से इन्कार करे? मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं है, सिवा इस दिक्कत के कि इनडाइरेक्ट चुनाव में कुछ अधिक से से अधिक पेचीदगियां आती हैं, बहुत से चुनाव के झंझट होते हैं, वे झंझट दूर हो जायेंगे। श्रीमन्, आप इस बात पर विचार करें कि छोटे ओहदे पर नीचे के स्तर पर प्रधान या दूसरे लोग जो चुने जायेंगे उनमें इतनी खींचतान होगी उस बात को ध्यान में रख कर कि यही सदस्य आगे चल करके चुनने वाले हैं अध्यक्ष को। यह सारी खींचतान कम हो जायगी और फिर यह सारी खींचतान का सर्किल उससे हट कर जरा व्यापक हो जायगा। कुछ सदस्यों को प्रभावित करने की तथा कुछ सदस्यों को अपनी तरफ खींचने की चेष्टा होगी, वह चेष्टा न हो सकेगी बल्कि समूचे जिले की जनता जो है उसके लिये कुछ व्यक्तित्व सामने आवेगा और वह व्यक्तित्व सामने आ करके, बजाय पार्टी के सामने आने के, वह सारी जनता के सामने आवेगा। यह विकेन्द्रीकरण का एक सिद्धान्त जो इस जिला परिषद् के जरिये हम ले आना चाहते हैं उसमें श्रीमन्, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, माननीय शिवराजबहादुर तथा श्री प्रतापसिंह जी का डिसेंट्रलाइजेशन का पैमाना।

श्रीमन्, जरा आप इस पर गौर करें कि डिसेंट्रलाइजेशन की शक्ति किसी सदस्य के हाथ में नहीं जायगी, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन की शक्ति सीधे जनता के हाथ में जा रही है। कम से कम अपने जिले भर के अध्यक्ष को चुन कर वह रख सकेगी। जनता के हाथ में अपने अध्यक्ष को चुनने का अधिकार देकर हम इस विधेयक की बहुत सी खामियों को दूर कर देंगे और बहुत सी पेचीदगियों को दूर कर देंगे। (श्री विचित्र नारायण शर्मा से) आप कुछ कहना चाहते हैं मैं बड़ा बदकिस्मत आदमी हूं कि हमारे सब कहने के बाद फिर वही बात कि "धोया धाया सब....."

श्री अध्यक्ष—आप काहे को समझाने की कोशिश करते हैं, आप अपनी कहे जाइये तो ज्यादा अच्छा होगा। जब समझ में बात आती नहीं तो वे क्या करें?

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं बड़ी गुस्ताखी की बात कहने जा रहा था कि "धोया धाया सब, लेकिन फिर भी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रह गयी"।

इतना सब करने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं होती आगे बहस करने की। मैं जानता हूं कि सरकार जो है वह किसी भी अच्छे सुझाव को कम से कम इस विधेयक के सिलसिले में मानने को तैयार नहीं है और उसका अपना जो एक दृष्टिकोण है वही उसके सामने है। चाहे हम हजार बाजा बजायें, हजार कोशिश करें, लेकिन वह कोशिश कभी भी कारगर सिद्ध नहीं होगी।

मैं फिर एक बार यह दोहराना चाहता हूं और फिर एक बार अपील करना चाहता हूं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर अगर बिलकुल चुनाव नहीं होता, अगर सदस्यों का चुनाव भी उसके आधार पर कतई नहीं होता तो मैं श्री शिवराज बहादुर तथा श्री प्रतापसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता। लेकिन चूंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर कुछ सदस्यों का चुनाव होने जा रहा है इसलिये कोई विशेष झंझट सरकार के सामने आने वाला नहीं है और न कोई विशेष खर्च ही होने वाला है। लेकिन इससे बहुत से गुण आ जायेंगे और जो डिसेन्ट्रलाइजेशन के सिद्धान्त की बात कही जाती है उस सिद्धान्त का भी प्रतिपादन हो सकेगा। इन सब बातों को ध्यान में रख कर मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आज इस पर वोट नहीं हो पायेगा। मेरी प्रार्थना है कि इस पर वोट आज न कराया जाय, और इस पवित्र काम के लिये हाउस के बाहर भी जाकर कुछ सोचने और समझने की कोशिश की जाय और कल सुबह आकर सरकार अपनी तरफ से एक ऐसा संशोधन लावे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव किया जाय। अगर यह हो जायगा तो बहुत से दोष दूर हो जायेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने, श्री शिवराज बहादुर जी ने जो संशोधन पेश किया है उसके समर्थन में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कहीं। मान्यवर, सिद्धान्ततः तो उसमें कोई आपत्ति मुझे भी नहीं है, लेकिन माननीय गेंदासिंह जी की जो अच्छी बातें थीं उनको अगर मान लें तो आज जो हमारे सामने जिला परिषद् का रूप है उसके हिसाब से वह चीज व्यावहारिक नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करता हूं कि हमने यह माना है दफा १८ में कि इंडायरेक्ट तरीके से काफी संख्या में लोग उस जिला परिषद् के मेम्बर बन कर आयेंगे और अगर आप देखें तो बहुमत भी उन्हीं का होगा जो इंडायरेक्ट तरीके से आयेंगे, डायरेक्ट वालों का नहीं होगा। यह बात सही है कि अगर हम अध्यक्ष को डायरेक्ट चुन दें ऐडल्ट फ्रेन्चाइज के बेसिस पर तो उसमें एक दिक्कत यह होगी कि अध्यक्ष जो कि ऐडल्ट फ्रेन्चाइज के बेसिस पर चुनकर आयेगा, उसके खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव को मूव करने का अधिकार उन व्यक्तियों को होगा जिनमें बहुमत उनका होगा जो कि इंडायरेक्ट तरीके से आयेंगे। तो मैं समझता हूं कि वह एक बड़ी एनामली होगी। शायद माननीय गेंदासिंह जी भी इस बात से सहमत होंगे कि एक तरफ तो इतना बड़ा पद दें कि तमाम जिले से वह चुनकर आये और दूसरी तरफ यह कि उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आये और पास हो उन लोगों के द्वारा जो कि इंडायरेक्टली चुनकर आवें, तो वह बात मुनासिब नहीं होगी।

जहां तक विकेन्द्रीकरण की बात आई, मैं समझता हूं कि आपकी जो चुनाव की पद्धति है इससे कोई ज्यादा विकेन्द्रीकरण की बात नहीं आती। एक बात कह सकते थे, जिसको शायद शुरू में कहा भी, कि जो भी चुनाव हो वह ऐडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर हो और इंडायरेक्ट चुनाव को न माना जाय। मगर उस बात को तो हम लोग दफा १८ में मान चुके हैं। तो जब यह बात मान लो कि जिला परिषद् के निर्माण में बहुमत उन मेम्बरों का होगा जो कि इंडायरेक्ट तरीके से चुनकर आयेंगे.....

श्री गेंदासिंह—यह नहीं माना।

श्री नवलकिशोर—यह तो बिलकुल प्रत्यक्ष हो गया। एक और एक दो होते हैं। तो यह बात बड़ी अजीब सी मालूम पड़ती है कि अध्यक्ष को डायरेक्ट चुना जाय जबकि आधे से ज्यादा सदस्य इंडायरेक्टली आयेंगे।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो पदेन सदस्य हैं उनको वोट का अधिकार न हो। यह भी कोई बहुत बड़े उसूल की बात नहीं है। इसमें भी एक दिक्कत है। हम जनतंत्र की जितनी बात कहें हमें यह मानना चाहिये कि जनतंत्र भी अभी शैशव काल में है। या तो हम यह मान लें कि पदेन सदस्य नहीं रखेंगे और अगर उनका होना मानते हैं तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनको आप मत देने का अधिकार न दें। इससे उनकी जो स्थिति है उसको हम बहुत ज्यादा

[श्री नवलकिशोर]

कम्प्रोमाइजिंग कर देंगे जिला परिषद् के अन्दर। एक बात गेंदासिंह जी ने यह कही कि यदि ऐसा नहीं होगा तो जो क्षेत्र समिति का प्रमुख होगा वहीं से दलबन्दी की खींचातानी शुरू हो जायगी। मान्यवर, यह तो जो राजनीतिक दल हैं उनके सोचने की बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों में से हूं जो यह सही समझते हैं कि जो छोटी-छोटी क्षेत्र-समितियां हैं उनके अन्दर किसी राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक पार्टी की हैसियत से नहीं पड़ना चाहिये।

मान्यवर, हमारे गेंदासिंह जी भी एक बड़े उच्च कोटि के नेता हैं एक पार्टी के, यह बात तो उनके तय करने की है कि क्या होगा। लेकिन अगर सब पार्टियां पड़ेंगी तो दलबन्दी जरूर होगी, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। मैं यह जरूर चाहता हूं कि क्षेत्र-समितियां जिनका मुख्य काम विकास का होगा, दलबंदी में न पड़ें मगर जो तरीका उन्होंने बताया अगर उनको राइट आफ वोट न भी दें अध्यक्ष के चुनाव में तब भी जो उनको अंदेशा है दलबन्दी पैदा होगी, ऐसी बात नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा जब माननीय गेंदासिंह जी ने अपने आपको इतना रिकनसाइल किया है, वह इस बात को मानने को तैयार हो गये हैं कि वह पदेन सदस्य हों जिला परिषद् के तो उनको मत देने का अधिकार होना चाहिये। उनको मेम्बर बनाकर अगर आप डमी बना दें तो मैं समझता हूं यह उनकी शान और मर्यादा के खिलाफ है .....।

श्री गेंदासिंह---हम नहीं चाहते कि वह पदेन सदस्य हों।

श्री अध्यक्ष---इस तरह आप बोल कर बहस न बढ़ायें।

श्री नवलकिशोर---इसके अलावा एक बात और कही गई कि नगरपालिका के अध्यक्ष को जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं और उसका केवल एक कारण है। मैं वैसे तो इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं समझता था कि नगरपालिका के अध्यक्ष जिला परिषद् के मेम्बर हों, लेकिन सिर्फ इतना सोच कर कि जिले में एक ऐसी इकाई आपने बनायी है जो केवल जिला बोर्ड नहीं बल्कि विकास का काम भी करेगी। तो उसको एक इंटिग्रेटेड पिक्चर हमारे सामने है। हमने अधिकार दिया कि म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष मेम्बर हो जांय। परन्तु जिस प्रकार एम० पीज०, एम० एल० एज०, पर पाबन्दी है, मैं समझता हूं कि रामेश्वर प्रसाद जी का संशोधन बहुत उचित है कि म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्षों को जिला परिषद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---मैं कुछ थोड़ा-सा निवेदन कर दूं तो गलतफहमी दूर हो जायगी काफी हद तक।

श्री अध्यक्ष---सब संशोधन आपके सामने हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैं सब की बाबत तो नहीं, खास संशोधनों की बाबत कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---इतना तो आप कह सकते हैं कि कौन संशोधन आप मंजूर करते हैं और कौन-सा नहीं करते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वह तो मैं कह दूंगा। मैं चाह रहा था बाद में उप-मंत्री जी जवाब दे दें।

मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि बहुत जोर दिया गया कि डायरेक्ट चुनाव अगर हो जाय अध्यक्ष का तो वास्तव में विकेन्द्रीकरण सार्थक हो जायगा। श्रीमन्, जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसूली तौर से अगर देखा जाय तो हमको सारा पैटर्न बदलना पड़ेगा, खिचड़ी नहीं चल सकती है। क्योंकि अगर हम एक आदमी को चुनते हैं सारे जिले के अन्दर तो फिर उस आदमी को आपको प्रधानता देनी होगी। और जो आदमी चुन करके आयेंगे अगर आप सब को डायरेक्ट इलैक्शन से मान लें कि १०० आदमी चुन कर आते

हैं, माननीय नवल किशोर जी का कहना तो ठीक है ही, उसके अलावा भी मैं मानकर चलता हूं सब के सब चुनकर के आते हैं तो परिस्थिति और खराब हो जायगी क्योंकि जब १०० आदमी चुन करके आयेंगे, तो वह आदमी भी जनता के चुने हुये हैं, इसीलिये यह कहेंगे कि हम भी जनता के चुने हुये हैं तो हम १०० और यह अकेले १, किसके अन्दर शक्ति होनी चाहिये? आखिर आप शक्ति दे रहे हैं जिला बोर्ड को तो या तो अध्यक्ष को आप ऐसा बना दें कि वह नो कान्फीडेन्स में हट न सके, बजट पास न हो सके तो अध्यक्ष पास करा दे तब तो यह बात सही है कि आपने एक ताकत उसको दी जिससे वह फंक्शन कर सकेगा। आप उसको चुनवायें जनता से और हाथ पैर काट कर उसके रख दें, बजट पास न करा सके, कार्य-क्रम न पेश कर सके और १०० आदमी उसके खिलाफ रहें। वास्तव में यह प्रयोग हम लोगों ने किया, प्रदेश इस अनुभव को प्राप्त कर चुका है कि जो प्रेसीडेंट डायरेक्टली चुन कर आया वह अपना काम नहीं करा सका, बहुमत उसके खिलाफ हो गया और बहुमत सिर्फ सिद्धान्तों पर खिलाफ नहीं होता, दुर्भाग्य इन संस्थाओं का यह भी है कि पार्टी पालिटिक्स चलती है। आप यह नहीं कह सकते कि वहां पार्टी पालिटिक्स नहीं चलेगी। मान लीजिये कि ५ साल तक आप उसे रिमूव भी नहीं कर सकते, लेकिन जो १०० आदमी चुन कर आपने परिषद् बनाया है वे उसके खिलाफ हैं तो नतीजा यह होगा कि डेडलाक हो जायगा। तो या तो आप अमरीकन पद्धति कबूल कीजिये कि प्रेसीडेंट बहुत कुछ काम चला सके जबकि हाउस आफ दी पीपुल और सिनेट भी खिलाफ हो।

श्री प्रतापसिंह--खिलाफ तो इनडायरेक्ट चुने हुये भी हो सकते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसीलिये हम जनता से नहीं चुनवा रहे हैं नहीं तो इन सौ आदमियों को वहां पशु बनाने के लिये न बुलाइये। इसलिये आप साफ कर दीजिये कि अधिकार सदस्यों को चुनने का रहेगा और अगर आप अधिकार देते हैं तो यह मान लीजिये कि जनता से ही चुन कर आया है, नहीं तो सब बेकार हो जायगा, सारा कांस्टीट्यूशन ही बदलना पड़ेगा। दुर्भाग्य से सेंटर में हमारी पद्धति इंग्लैंड की है इसलिये अगर बीच में हम अमरीकन पद्धति को ले आयें तो वह बैठती नहीं है। वयस्क मताधिकार से चुन कर आये यह सुनने में बड़ा कर्ण प्रिय है, लेकिन यह तो सोचिये कि वह काम कर सकेगा या नहीं। आपको अपना सारा मस्तिष्क साफ करना होगा कि आप किस प्रकार का परिषद् चाहते हैं। अगर हम ज्यादातर मेजारिटी के हाथ में ताकत देना चाहते हैं तो वह प्रेसीडेंट प्रेसाइडिंग आफिसर की तरह से ही काम करने वाला हो सकता है और फिर यह इम्मेटीरियल हो जाता है कि चुनाव आप इतनी बड़ी जनता से करवायें या थोड़े से आदमी चुन दें। अगर हम यह कहते कि खर्च की वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनका आर्गूमेंट ठीक था। मगर हम कहते हैं कि यह उस स्कीम में फिट इन नहीं होता। भारतीय जी ने कहा कि यह बड़ी सुन्दर चीज है। मैं मानता हूं कि अपनी जगह पर बड़ी सुन्दर है, लेकिन दूसरी जगह पर बड़ी असुन्दर है इस वास्ते मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री देवीप्रसाद मिश्र**—श्रीमान्जी, मैं उन संशोधनों का समर्थन कर रहा हूं जिनमें मांग की गयी है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रमुख और उपप्रमुख का चुनाव होना चाहिये। अभी हमारे एक साथी ने उधर से व्याख्यान दिया था वह तो हमारी समझ में आ गया था कि जिला परिषद् का जो संगठन है उसका रूप ही ऐसा है कि यहां जनतंत्र के लिये अधिक गुंजायश नहीं है। सरकार का बहुमत होगा, वहां पर पदेन सदस्य होंगे, थोड़े से होंगे जो जनता से चुन कर आयेंगे, लेकिन वे माइनारिटी में होंगे। इसलिये इस बात को मानने के लिये मैं जरूर तैयार हूं कि जिला परिषद् का संगठन ही एक नया रूप ले लेगा अगर हम एक व्यक्ति को वहां ऐसा बैठा दें कि जो जनता से चुना हुआ हो। इस बात को हम तर्कसंगत मानते हैं जब सरकार यह समझती है कि प्रेसीडेंट भी उसी के अनुरूप होना चाहिये जिस रूप का जिला परिषद् बना हुआ है। सरकार ने प्रेसीडेंट को हटाने के लिये बहुत सुन्दर-सुन्दर और सरल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

तरीके निकाल रखे हैं। यह जरूर अनुचित बात मालूम होती है कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रेसीडेंट हो और सरकार उसके हटाने में इतनी आसानी बरते। इसलिये हम इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि ऐसा प्रेसीडेंट चुना हुआ नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह कही गई है कि जहां पर जनता से चुना हुआ प्रेसीडेंट आया है और सदस्य दूसरे ढंग से गये हैं वहां पर गड़बड़ियां हुई हैं। वह इसलिये कि कभी कभी एक पोलिटिकल पार्टी का प्रेसीडेंट होता था और सदस्य दूसरी पार्टी के हो जाते थे। इस दोष के निराकरण के लिये जो यह ढंग निकाला गया है कि एक ही पार्टी का प्रेसीडेंट हो और एक ही पार्टी का बहुमत रहे, इस दृष्टि से तो यह तरकीब ठीक है। लेकिन जनतंत्र के नाम पर यह काम नहीं दे सकती है। जनतंत्र के नाम पर इस तरकीब को नहीं लाना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने जो बताया था उसको हमने समझा है और अगर हम ठीक समझे हैं तो उनका कहना यह है कि जनतंत्र वहीं हो सकता है जहां कि एक व्यक्ति चुना जाय और वह बाकी लोगों को नामिनेट करे जैसे कांग्रेस में प्रेसीडेंट चुना जाता है और वह वर्किंग कमेटी नामिनेट कर देता है। हम समझते हैं कि जनतंत्र का आपको यह रूप मालूम है और इसी के अनुरूप आप इनको बनाना चाहते हैं। लेकिन श्रीमन्, हमने यह समझा है कि जितने आदमी हों वह सब जनता द्वारा चुने हुये हों—चाहे वह सदस्य हों, चाहे उपाध्यक्ष हों या चाहे अध्यक्ष हों। हम यह किसी भी दशा में मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि जनता से चुना हुआ अगर आदमी आयेगा तो गड़बड़ी जरूर होगी, हम ऐसा नहीं समझते हैं। आपको यह डर है और आप समझते हैं कि अगर अध्यक्ष चुना हुआ आयेगा तो वह अपनी मर्जी से काम करना चाहेगा और अगर प्रेसीडेंट को हटा नहीं सकेंगे तो गड़बड़ी होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि गड़बड़ी नहीं होगी। आपने अधिकार ले लिया है प्रेसीडेन्ट को हटाने का और आपने उसको हटाने की सुन्दर तरकीब बना ली है। उसके हटाने की तरकीब यह होगी कि पहले शिकायत होगी फिर सिफारिश होगी और वह आदमी हटा दिया जायगा।

यह सही नहीं है कि प्रेसीडेन्ट काम नहीं कर सकता है। वह काम कर सकता है और आपके ढांचे के अनुसार हो सकता है। आपका आदमी होगा तो ठीक है वरना हटा देंगे। इस समय आप इसको जनतंत्र के नाम पर न लायें और आप साफ-साफ बात समझाने के लिये तैयार हों कि आप जिला परिषद् में कोई खतरा नहीं लेना चाहते आगे के चुनावों में, जनतंत्र के किसी प्रयोग में आप कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं। एक ऐसा जनतंत्र हमारे सामने रखना चाहते हैं जो आपके लिये बिलकुल सुरक्षित हो। ऐसे आदमियों को वहां पर भेजना चाहते हैं जिनको कोई अधिकार न हो, जो कोई काम न करना चाहते हों। अगर ऐसे आदमी जायेंगे तो कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी, जिन दिक्कतों से आप डरते हैं वह पैदा ही नहीं होंगी। इस बात को मानने के लिये हम तैयार हैं। लेकिन एक बात की ओर ध्यान देना है। आपको, हमारी और देश की बुनियाद जनतंत्र पर रखी गयी थी। इतनी जल्दी जनतंत्र को भुला देना कि थोड़ी सी कठिनाइयां हमारे सामने आ गयी हैं, और हमने जनतंत्र को भुला दिया। जनतंत्र बहुत दिनों पर पनपता है। जिन मुल्कों में जनतंत्र स्थापित हुआ है, उन्होंने वर्षों तक तपस्या की है तब उनको जनतंत्र में सफलता प्राप्त हुई है। और उनको इस बात का गर्व है कि इतने वर्षों के प्रयत्न के बाद उनके यहां जनतंत्र को सफलता प्राप्त हुई है। इतनी जल्दी निराश हो कर जनतंत्र के प्रयोग की आप हत्या न कर डालें।

एक बात सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बार बार यह कहा गया कि आप पीछे मान चुके हैं कि मनोनीत और पदेन सदस्य होंगे। यह तर्क है कि आप पहले पास कर चुके हैं। आपने अधिक मतों के आधार पर एक चीज पास कर लिया और आप तर्क दे रहे हैं कि जो अल्पमत में मौजूद हैं, जो बार बार कहते हैं कि गलत है, लेकिन चूंकि ज्यादा वोट हमारे पास नहीं थे इस लिये आप कहते हैं कि हम मान गये, हमने उनको कभी नहीं माना है, न आज मानने को तैयार हैं। आप अपने बहुमत से पास कर लेते हैं, तो पास कर लें। आपका मतलब यह है, बहुमत ने जो तय कर दिया उसके खिलाफ अल्पमत को बोलने का कोई अधिकार नहीं है यह

नया जनतंत्र है, आप का। यह जनतंत्र हम नहीं मानते। हम तो यह मानते हैं कि अल्पमत वालों को अपना मत व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार किसी बहुमत द्वारा छीना नहीं जा सकता। अगर आप इसको नहीं समझते तो आप के ऊपर अफसोस है और दया भी है, लेकिन क्या करें आपकी अक्ल है। आपके ऊपर भविष्य निर्भर है, बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है, और आपका भी स्वयं अपने प्रति कर्त्तव्य है कि जनतंत्र में अगर थोड़ी सी कठिनाई भी पड़ी हो, थोड़े से कटु अनुभव भी हुये हों, तो कम से कम उसको भुला कर, इस जनतंत्र को आगे बढ़ने दीजिये। अगर हर सदस्य के ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर लागू रहने दीजिये।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं अभी जो मिश्र जी का व्याख्यान सुन रहा था तो मुझे यह आशा थी कि चूंकि वर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि वर्मा जी और मिश्र जी एक जान दो कालिब हैं तो वे कुछ सहमति प्रगट करेंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य इस बात को देख कर हुआ कि इस पर भी कोई सुरसुराहट उनको महसूस नहीं हुई। बहरहाल, मैं इस सम्बन्ध में कुछ बहुत लम्बी चौड़ी बातें नहीं कहना चाहता। माननीय विचित्र भाई जो इस समय स्वशासन मंत्री के रूप में यहां पर विराजमान हैं उन्होंने जो दलीलें इन संशोधनों के विरोध में दी हैं, उन्हीं के बारे में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि विचित्र भाई फिर सोचें....

श्री अध्यक्ष—यहां पर वह विचित्र भाई नहीं हैं, यहां वह श्री विचित्रनारायण हैं।

श्री मदन पांडेय—अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग हर मानी में शिरोधार्य है। अब मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी कहूंगा। उन्होंने जो दलीलें दीं उनमें कुछ दलीलें मुझे बहुत पसन्द आईं। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रत्यक्ष निर्वाचन का तजुर्बा अध्यक्ष के सम्बन्ध में यह सूबा कर चुका है और उसके ही आधार पर इस निर्णय पर माननीय मंत्री जी पहुंचे हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन अगर वह करायेंगे तो रोजाना एक वैधानिक संकट परिषद् में पैदा हो जाया करेगा।

उसके साथ-साथ उन्होंने इसका एक दूसरा हल भी हमें बता दिया। मैं नहीं कह सकता कि जानबूझकर बताया या गलती से बता गये, लेकिन उन्होंने हमें अमेरिकन पद्धति भी उसी के साथ साथ बतायी कि यदि उस पद्धति के आधार पर हम उस परिषद् का कांस्टीट्यूशन रखें, उसके अधिकारों को उसी के आधार पर रखें, तो यह समस्या हल हो सकती है। मैं उनको उन्हीं के शब्दों पर ले जाना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष के लोगों ने, जो पिछले खंड अभी तक पास हुये हैं उनमें, प्रत्यक्ष निर्वाचन पर बल देते हुये संशोधन दिये थे, उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिये था। लेकिन नहीं किया गया। अब इसके बाद भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। केवल १८,१९ खंड अभी पास हुये हैं। इसके बाद जो आगे आने वाले खंड हैं उन सबके ऊपर अब भी जनतंत्रीय अल्पमत की भावना का कुछ भी यदि आदर करना है तो मैं निमंत्रण देता हूं माननीय मंत्री जी को कि वह अब भी अल्पमत के लोगों की और उधर बहुमत के लोगों की एक छोटी सी कमेटी बनावें, बीच में दो, तीन दिन तक इसके ऊपर विवाद स्थगित रहेगा, उस कमेटी में हम लोग आगे की जो प्रणाली होगी उसके ऊपर विचार-विमर्श कर लें।

अगर यह भी रास्ता मंजूर न हो तो जो अमेरिकन प्रणाली उन्होंने कही है, मेरा खयाल है कि अल्पमत में जिनको बताया जा रहा है, जनतंत्रीय अल्पमत को उसमें भी कोई एतराज नहीं होगा, उस अमेरिकन प्रणाली को स्वीकार करने में। जनतंत्र की रक्षा अगर उससे होती है तो हमें एक विदेशी प्रणाली को भी अपनाने में कोई हर्ज नहीं मालूम पड़ता। परिषद् के चुनाव में हम अमेरिकन पद्धति अपनायें, उनमें हम अध्यक्ष को वह अधिकार दें, जिन अधिकारों के बल पर अमेरिका में आज २ सौ वर्षों से डेमोक्रेसी सक्सेसफुल ढंग से चल रही है। अगर यह नया तरीका माननीय मंत्री जी इंट्रोड्यूस करें तो यह यू० पी० के इतिहास में एक अभूतपूर्व बात होगी और माननीय मंत्री जी इसके लिये बधाई के पात्र होंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी

[श्री मदन पांडेय]

और उपमंत्री जी से माननीय देवी प्रसाद जी मिश्र, मेरी और माननीय गेंदा सिंह जी की ही नहीं बल्कि इसके पीछे प्रदेश की साढ़े छः करोड़ जनता की मांग है कि जिला परिषदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो और उस मांग को ध्यान में रखते हुये, उसके प्रति आदर दिखलाते हुये माननीय मंत्री जी इन संशोधनों को स्वीकार करें जिनमें कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग की गई है ।

श्री अध्यक्ष—अब यह विवाद सोमवार को जारी रहेगा ।

सरकार द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय जांच आयोग के निर्देश के पदों की सीमा बढ़ाने एवं व्यक्तियों में कोई परिवर्तन करने के विचार से संबंधित २६ अगस्त, १९६० के प्रश्न २ पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष—अब सरकार द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय जांच आयोग के निर्देश के पदों की सीमा बढ़ाने एवं व्यक्तियों में कोई परिवर्तन करने के विचार से संबंधित श्री गौरीशंकर राय के २६ अगस्त, १९६० के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ पर माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद जारी होगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी और मैं दोनों आदमी पांच, पांच मिनट इस पर बोलें तो प्रश्नों के लिये समय बच जायगा । पांच मिनट मैं बोलूं और पांच मिनट मंत्री जी ।

श्री अध्यक्ष—तो आप पांच मिनट बोलें पहले । अपनी तरफ से संक्षेप में बोलने का उदाहरण पेश कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता प्रदेश का जनमत और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की समस्याओं को देखते हुये और समय-समय पर इस सदन ने जो विश्वविद्यालय आयोग के सम्बन्ध में अपनी आकांक्षायें और इच्छायें जाहिर की हैं उनको देखते हुये, यह जो विश्वविद्यालय आयोग बना, और उसके टर्म्स आफ रेफ्रेंस बने, वह बड़े ही निराशाजनक रहे । निराशाजनक ही नहीं रहे, बल्कि शिक्षा शास्त्री और शिक्षा प्रेमियों की आशा पर तुषारपात हो गया ।

अध्यक्ष महोदय, अगर उस पूरे आयोग को देखा जाय तो उस पूरे आयोग में एक भी शिक्षा शास्त्री या शिक्षाविद् नहीं है । विश्व के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई विश्वविद्यालय का आयोग बना हो और उसमें एक भी शिक्षा शास्त्री या शिक्षाविद् न रखा गया हो । यह मैंने उस दिन भी कहा था । साथ ही उसके टर्म्स आफ रिफरेंस में रिसर्च की क्वालिटी और क्वांटिटी की मात्रा और गुण का मूल्यांकन की बात कही गयी । जब कोई शिक्षाशास्त्री या अनुभवी व्यक्ति जिसको रिसर्च गाइड करने का तजुर्बा हो, उसमें नहीं है तो वह असेसमेंट किस तरह से करेगा ? एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको विश्वविद्यालय का थोड़ा बहुत भी प्रशासन का कुछ दिनों का अनुभव रहा हो । उनमें से किसी ने विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं और न ऐडमिनिस्ट्रेशन किया । उस आयोग में इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका व्यक्तित्व और जिनका सम्पर्क कभी भी विश्वविद्यालयों को प्राप्त नहीं हुआ ।

आज की जो समस्या है उन समस्याओं का सम्बन्ध केवल पैसे से नहीं है । उसका सम्बन्ध अध्यापकों और विद्यार्थियों से है । उस समस्या का बहुत बड़ा भाग अध्यापकों और विद्यार्थियों के सम्बन्धों पर मुनहसिर करता है । इस सम्बन्ध में इस आयोग के किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है यह तो मैं कैसे कहूं लेकिन अनुभव नहीं है । यह सब से बड़ी बात हुई है कि जो कभी दुनिया में नहीं हुयी होगी । एक दिन उपमंत्री ने यह कह दिया कि मूथम कमीशन बनाया ।

हम लोग यह नहीं भूलें कि मूथम कमीशन नहीं था, वह मूथम कमेटी थी। कमीशन तो बहुत बड़ा हुआ करता है। इसलिये दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि कोई भी विश्वविद्यालय का आयोग बना हो जिसके अध्यक्ष कभी जज रहे हों। मैं समझता हूं यह सारे शिक्षा जगत का और विश्वविद्यालय जगत का अपमान है और शिक्षाजगत ने यह महसूस किया है कि ऐसे शिक्षा शास्त्री जो विश्वविद्यालयों में काम करते हों, इस सरकार के बनाये आयोग में नहीं हैं। इसलिये मैं इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से भी कि इस परसोनेल को बदलें।

सब से दुखपूर्ण जो अनुभव हमको हुआ है वह हमको वाराणसी विश्वविद्यालय का है कि जहां यह एक जजशिप को अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया। इससे बड़ा दुख का कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलेगा। उस आयोग ने स्थापित होने के बाद वहां के लब्धप्रतिष्ठित अध्यापकों को निकाल दिया और ये सब पार्टीबाजी के आधार पर निकाले गये।

श्री अध्यक्ष—पार्टी की बात सदन में नहीं उठानी चाहिये।

श्री गौरीशंकर राय—अब मैं थोड़ा बहुत टर्म्स आफ रिफ्रेंस के बारे में कहना चाहता हूं। उसमें आपको एक अक्षर भी नहीं मिलेगा जिसमें यूनिवर्सिटी की आटोनामी को अक्षुण्ण रखने के लिये कोई बात कही हो। १० वर्ष की पिछली सारी बातों की जांच करने की बात कही गई है। यह नहीं कहा गया है कि पिछले १० वर्षों में सरकार के इन्टरफियरेंस का विश्वविद्यालय के प्रशासन पर क्या असर पड़ा है, उसका भी असेसमेंट करे। यह कहीं नहीं है कि विश्वविद्यालय के अन्दर जो पार्टी बाजी होती है उसका क्या असर पड़ा है। इस सम्बन्ध में कहीं टर्म्स आफ रिफरेंस में नहीं लिखा गया है। यह नहीं कहा गया है कि पिछले १० वर्षों में विश्वविद्यालय के जो वाइस-चान्सलर रहे हैं वह उपयुक्त रहे हैं या नहीं। प्रशासन की योग्यता और अनुभव की योग्यता की दृष्टि से असेसमेंट करने के लिये उस टर्म्स आफ रिफरेंस में कहीं नहीं कहा गया है। यूनिवर्सिटी कौंसिल की नामजदगी जो होती रही है वह उचित हुई है या नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कहा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्टी बाजी के आधार पर नामिनेशन हुये हैं। एक या दो सज्जन शिक्षाविद् हो गये, लेकिन दूसरे सज्जन ऐसे ही हुये। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी जितने लोगों का नामिनेशन किया गया वे एक ग्रुप के हैं। उसमें कोई शिक्षाविद् नहीं है। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम करने का तो सुझाव मांगा गया है, लेकिन यह सुझाव नहीं मांगा गया है कि उन विद्यार्थियों को भेजा कहां जाय। इसकी टर्म्स आफ रिफ्रेंस में कोई चर्चा नहीं है। यह नहीं कहा गया है कि विश्वविद्यालय में टीचर और वायस-चांसलर पोलिटिशियन रहे हैं या विद्वान। इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। टर्म्स आफ रिफरेंस में सब से पहले यह बात लिखी गई है कि मूथम कमेटी की सिफारिश का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं। कोई भी आदमी समझ सकता है कि इम्प्लीमेंन्टेशन हुआ है या नहीं।

यह भी कहा गया है कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने जो सिफारिश की है कि ट्रेजरार की पोस्ट घटाई जाय तो उस बारे में भी कमीशन सुझाव दे। असलियत तो यह है कि ट्रेजरार को हटाने का मामला इसी बहाने टाला गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार जब ऐसे ऐतिहासिक निर्णय करें तो सरकार को अपने स्तर से ऊंचे उठकर राजनीतिक पार्टीबाजी से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश और शिक्षा जगत् की भलाई के लिये विश्वविद्यालय के नैतिक और शैक्षणिक मूल्यांकन के लिये और जनता के लिये इस प्रकार की बातें टर्म्स आफ रिफरेंस में न रखा जाय और इस प्रकार से इसको रखा जाय ताकि शैक्षणिक जगत उन्नति के पद पर प्रशस्त हो, ऐसे आयोगों के शिक्षा शास्त्रियों का प्राधान्य होना चाहिये ताकि प्रदेश के लिये कल्याणकारी निर्णय हो सके।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैं माननीय गौरीशंकर राय जी का कृतज्ञ हूं इस माने में कि उन्होंने एक ऐसे को प्रश्न उठाया जिसके सम्बन्ध में उनकी राय में लोगों

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

में बड़ा असंतोष है और बड़ी भ्रांतियां भी हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जो यह कमीशन बना है उससे शिक्षा का क्षेत्र हो अथवा सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले लोगों का क्षेत्र हो उसमें असंतोष हुआ हो। किसी प्रकार का कोई असन्तोष मुझे दिखाई नहीं देता, हां कुछ राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को भ्रांतियां हुई हों चाहे न हुई हों किन्तु उन्हें भ्रांतियां उत्पन्न करने का अवसर अवश्य मिला और वह चेष्टा अवश्य की जा रही है।

जहां तक इस कमीशन का सम्बन्ध है मैं समझता हूं और आपकी आज्ञा से दोहराना चाहता हूं कि इसकी एक आधारपीठिका है जिस भूमिका के आधार पर इस कमीशन की नियुक्ति हुई है। भूमिका यह है कि पहले साल डेढ़ साल के बीच में बार-बार इस सदन में भी, बाहर समाचार-पत्रों में भी, कभी-कभी शिक्षा के सम्बन्ध में होने वाले समारोहों में और आयोजनों में भी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में यह मांग की गयी है कि उसकी कार्यप्रणाली और कार्य करने का ढंग किस प्रकार का हो इसकी जांच की जाय। हमारे इस सदन में तो अनेक बार यह पूछा गया कि किस प्रकार नियुक्तियां हुईं, किस प्रकार इसमें पैसा खर्च हुआ, किस प्रकार विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं, किस प्रकार पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं होती, ज्ञानार्जन और ज्ञान का अनुशीलन वहां हो सके इसकी कोई चेष्टा नहीं होती। यह बराबर इस सदन में कहा गया। कहा यह गया कि टीचर जो हैं वह पालिटिक्स में अधिक भाग लेते हैं और पढ़ने-पढ़ाने का कोई कार्य नहीं करते और सारी यूनिवर्सिटी का ऐडमिनिस्ट्रेशन ढीले-ढाले ढंग से पठन-पाठन से अलग हो कर गुटबन्दी के आधार पर चल रहा है और मांग बारबार की गई कि इन चीजों की जांच हो। मान्यवर, इस कमीशन की नियुक्ति मुख्यतः इस लक्ष्य को लेकर हुई है।

इसमें कोई शिक्षा शास्त्री है या नहीं, मैं नहीं जानता कि गौरीशंकर राय जी की शिक्षा शास्त्री की क्या व्याख्या है। मैं समझता हूं कि शिक्षा शास्त्री को कोई डिग्री तो मिलती नहीं जैसे साइकालोजी में, फिलासफी में या हिस्ट्री आदि में मिलती है, एल०टी० या बी० एड० को जैसे मिलती है लेकिन मैं समझता हूं कि शिक्षा जगत् से जो संबंध रखते हैं वही शिक्षा शास्त्री हैं। यह शिकायत इसलिये भी है कि रिसर्च की क्वालिटी और क्वांटिटी का मूल्यांकन करने के लिये टर्म्स आफ रिफरेंस में रख दिया। मान्यवर, इसके टर्म्स आफ रिफरेंस को देखा जाय तो उससे प्रत्यक्ष है कि जो बराबर शिकायत होती रही है, शिक्षा से संबंध रखने वालों से रोज ऐसी शिकायत होती है, अभी आल इंडिया वाइस चांसलर्स की कांफ्रेंस हुई और उत्तर प्रदेश में वाइस चांसलर्स की कांफ्रेंस हुई, उससे भी ऐसी शिकायत हुई कि हमारी रिसर्च की क्वांटिटी बराबर धीरे-धीरे घटती चली जा रही है और रिसर्च इत्यादि के लिये जो वातावरण चाहिये, जो साधन चाहिये, लाइब्रेरी इत्यादि के लिये, पथप्रदर्शन के लिये, अन्य क्षेत्रों के लिये इन सबमें कमी होती चली जा रही है। यूनीवर्सिटी का खास काम बी० ए० और एम० ए० की डिग्री देना नहीं है बल्कि रिसर्च के काम में कितना उसका संबंध और योग रहा है, प्राध्यापक ऐसे रखे जाते हैं और वह ऐसे कार्य में लगे रहते हैं जिससे उस रिसर्च के कार्य में काफी कमी होती चली जा रही है, यह शिकायत बराबर की गयी।

अब देखना यह है कि हमारे यहां यह चीज होती है या नहीं। और अगर होती है तो हमारे यहां असंतोष है या संतोष है और अगर संतोष नहीं है तो क्यों नहीं है। विशेष विषयों का जो अनुशीलन होता है उस विषय विशेष को लेकर कितना उत्तम अनुशीलन हुआ है और उसका मूल्य क्या है उस विशेष क्षेत्र में, यही काम इस कमीशन का नहीं है, इस कमीशन का काम है कि वह प्रशासकीय, आर्थिक मामलों में, संगठनात्मक मामलों में, विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के मामलों में, वहां जो पैसा खर्च होता है उसके मामले में, जो साधन एकत्र किये जाते हैं उसमें और जो प्रोसीजर एडाप्ट किया जाता है, जो कार्यविधि अपनायी जाती है, उसका फंक्शन क्या है तथा साथ ही पठन-पाठन का काम कैसा होता है, ठीक ठिकाने से होता है या नहीं और जो उसके लिये साधन हैं वह ठीक हैं या नहीं, वह किस स्तर के हैं और किस स्तर के होना चाहिये, यह सब भी देखें। साथ ही पिछले १० वर्षों में जो कुछ हुआ है उसे भी देखे। टर्म्स आफ

रेफरेंस में इन सब पर पूरी तरह से प्रकाश डाला गया है और मैं समझता हूं कि शायद ही कहीं इतना व्यापक टर्म्स आफ रेफरेंस पहले कहीं बना हो। इसके अलावा इसकी १२ वीं शर्त में कहा गया है कि:—

"(12) to make any recommendations on matters not covered by the above terms of reference, which, in the opinion of the Commission, are necessary in the interest of the Universities mentioned above."

कोई चीज अगर इस परिधि में रह गयी हो तो उस विषय में भी यदि वह यूनिवरसिटी से संबंधित हो तो उसके संबंध में वे अपनी सिफारिश दें, अपनी टीका कर सकते हैं, अपनी व्याख्या दे सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। कहा गया कि वहां की आटोनामी में सरकार का हस्तक्षेप होता है कितना, इसका जिक्र कहीं भी इसमें नहीं है। रिसर्च के मामले में यह साफ ही लिखा हुआ है:—

"Whether the teachers of the Universities usefully employ themselves in research and whether the amount of research work done by them during the last ten years in case of Allahabad and Lucknow Universities and since the date of Establishment in the case of the Gorakhpur University and Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, was adequate both in terms of quality and quantity ;"

अब आप यह कहें कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसका पठन-पाठन से संबंध रहा हो, तो मान्यवर मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ। डाक्टर बी० मुकर्जी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के इस देश के ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक हैं। सप्रू साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई वर्ष तक रीडर रहे हैं और एक्जीक्यूटिव काउन्सिल में मैं समझता हूं कि ८,१० वर्ष तक रहे हैं। नफीसुल हसन साहब आप कहते हैं कि उनसे प्रशासन का कोई संबंध नहीं है। वे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और योग्य से योग्य व्यक्तियों का जो डिग्री कालेज के प्रिंसिपल होते हैं, चुनाव कर चुके हैं, इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउन्सिल में वह कई वर्ष तक रहे हैं। और मेहता जी हैं। वाराणसी में यह जीवन पर्यन्त शिक्षा शास्त्री रहे हैं और सब जानते हैं कि उनका संबंध शिक्षा से कितना गहरा है। मेरा खयाल है कि भारत की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय डेलीगेशनों में वे भेजे गये हैं, एजूकेशनल और कल्चरल टूर्स और डेलीगेशन वगैरह में। और आप कहते हैं कि कोई शिक्षा शास्त्री है नहीं। मैं समझता हूं उसमें ऐसे ही लोग रखे गये हैं जिनका शिक्षा से संबंध रहा है। लेकिन ऐसे लोग जिनका गहरा संबंध यूनिवर्सिटीज से हो और वहां कुछ न कुछ राजनीति चलती है, इसलिये उनको नहीं रखा गया। उनको यदि इसमें रखेंगे तो निष्पक्ष रूप से विचार वहां कठिन हो जायगा। दूसरे राजनीति में भाग लेने वाले जो हैं उनको भी अलग रखा, क्योंकि राजनीति से संबंध नहीं रहना चाहिये, एक स्तर पर इस कमीशन में लोग नियुक्त किये जायं।

एक रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के श्री हरिश्चन्द्र जी हैं जो कि ट्यूटोरियल कालेज है महामना मालवीय का उसके प्रिंसिपल रहे हैं आनरेरी, शिक्षा से उनका संबंध रहा है, राजनीतिक गुटबंदियों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस भगवती प्रसाद, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से संबंध रहा है, वह हैं। बम्बई में जो कमेटी बनी थी इंक्वायरी की, उसमें हाई कोर्ट के एक जज रखे गये, तो वह इस दृष्टि से रखे जाते हैं कि निष्पक्ष दृष्टि से उसकी विवेचना और छान-बीन हो सके। तो ऐसे ही लोगों को रखने की चेष्टा की गयी है। इसलिये न तो टर्म्स आफ रेफरेंस बढ़ाने की आवश्यकता है और न सरकार की दृष्टि में परसोनेल में किसी प्रकार के परिवर्तन की जरूरत महसूस होती है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)——आयोग के सदस्यों की योग्यता, कार्य-क्षमता तथा चरित्र पर कोई संदेह नहीं है, पर यह सत्य है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति शिक्षा से संबंधित नहीं रहा है, तो कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आयोग में विश्व-विद्यालयों के वाइस-चांसलर और सीनियर प्रोफेसरों को भी कोआप्ट किया जा सके ?

श्री अध्यक्ष——इसका जवाब तो करीब-करीब दिया जा चुका है, लेकिन माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें तो अच्छा हो।

श्री कमलापति त्रिपाठी——वह तो विचार कर के वाइस-चांसलर इत्यादि को इससे अलग रखने की चेष्टा की गयी है, जो कारण हैं वह व्यक्त कर चुका हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)——क्या माननीय शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को यह अधिकार अभी है या नहीं कि वह स्वयं इस कमीशन में कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सके ?

श्री अध्यक्ष——आप तो कानूनी सवाल पूछ रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल——उन्होंने जो कमीशन नियुक्त किया है उसमें उन्होंने अपने इस अधिकार को सुरक्षित रख रखा है या नहीं, यह जानना चाहता हूं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——मान्यवर, अधिकार की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह सुन्दर नहीं दिखाई देगा, उचित नहीं होगा कि एक कमीशन की नियुक्ति के बाद फिर सरकार उसमें घटावे या बढ़ावे, अपनी ओर से रखे। लेकिन एक सूचना दे देना चाहता हूं इस अवसर पर कि हमारा जो पुलिस कमीशन है उसने स्वयं रिकमेंड किया कि इसमें फलां-फलां आदमी बढ़ाये जायं, तो कमीशन को स्वयं अधिकार है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)——क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विश्वविद्यालय में सरकार का कितना इंटरफियरेंस होना चाहिये और आटोनामी का क्या स्वरूप होना चाहिये, इन दो बातों को टर्म्स आफ रेफ़रेंस में शामिल करने की कृपा करेंगे जिससे कमीशन फिर उस पर विचार कर सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——मैं तो आपका मतलब यही समझा कि जो प्रश्न इस टर्म्स आफ रेफरेंस में नहीं आते हैं उनकी भी व्यवस्था सरकार करे। तो बारहवां उसमें है ही कि कोई बात जो कवर न होती हो तो उसमें कमीशन अपनी राय दे सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)——क्या माननीय मंत्री जी टर्म्स आफ रेफरेंस में कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि शिक्षा के माध्यम में अन्य विषयों में क्रमशः हिन्दी का ही अनिवार्य रूप से प्रवेश हो जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——अगर यह अनिवार्य रूप से करना ही हो तो कमीशन बनाने की जरूरत क्या है। कमीशन इस बात पर राय दे ही सकता है। वे विषय जो पठन-पाठन से संबंध रखते हैं कमीशन उन पर राय दे सकता है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कुछ विश्वविद्यालयों में आन्दोलन छिड़ा हुआ था तो वहां के विद्यार्थियों ने वहां के इंतजाम और कुछ अध्यापकों पर कुछ आरोप लगाये थे, क्या कमीशन उनकी भी जांच करेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——इसमें व्यक्तिगत रूप से किसी अध्यापक, प्राध्यापक अथवा विद्यार्थी के चरित्र के विरुद्ध जांच करने का प्रश्न नहीं है परन्तु वहां का प्रशासन किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से वहां कार्य हो रहा है, इस बात की अवश्य ही जांच होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——क्या माननीय मंत्री जी इन टर्म्स आफ रेफरेंस में यह बात और बढ़ायेंगे कि किस प्रकार से मूथम इंनक्वायरी कमेटी की रिक-

मेंडेशन इसमें कहां तक इम्प्लीमेंट की गयी है उसी प्रकार से राधाकृष्णन् कमीशन, १९४८ की रिकेमेंडेशन्स को किस प्रकार से और किस हद तक इम्प्लीमेंट किया गया है और उसमें कहां तक कामयाबी हासिल हुई है, इसके संबंध में भी टर्म्स आफ रेफरेंस में बढ़ायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब और कुछ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उसमें सब कवर हो जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का सुझाव उचित ही है। जो भी कमीशन बैठेगा वह इस बात पर अवश्य विचार करेगा कि मूथम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कहां तक इम्प्लीमेंट हुई है। राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट तो किसी भी कमीशन के लिये एक आधार ही है। किसी भी कमीशन का जो यूनिवर्सिटी की फंकशनिंग के बारे में विचार कर रहा हो, उसका ध्यान इस ओर जाना स्वाभाविक ही है। बिना उसके तो वह अधूरी ही रहेगी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--अभी जो टर्म्स आफ रेफरेंस पढ़े गये उसमें कहीं भी यह नहीं है कि उन टीचर्स के संबंध में जिनके बारे में शिकायतें हैं कि वे स्टुडेंट पालिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, और कमीशन की मर्जी पर यह छोड़ दिया गया है, तो क्या सरकार साफ तौर से इस बात को उसके टर्म्स आफ़ रेफरेंस में बढ़ाने की कृपा करेगी कि जो टीचर्स स्टुडेंट पालिटिक्स में इन्डल्ज करते हैं उनको किस प्रकार से अलहैदा रखा जाय इस पर गम्भीर विचार करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह चीज तो इसमें इमप्लाइड ही है कि किन आधार पर उनकी नियुक्तियां होती हैं, वे क्या काम कर रहे हैं, अपने को यूजफुली एम्प्लाय कर रहे हैं या नहीं, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी फंक्शन कर रही है, इनमें यह चीज आ जाती है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपनी स्पीच में आउट साइड इंट्रीग का जिक्र किया तो क्या सरकार स्टुडेंट आन्दोलन के अतिरिक्त जो आउट साइड इंट्रीग्स यूनिवर्सिटीज में होती हैं उनको ध्यान में रखने के लिये कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस बढ़ायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं यह भी इसमें इन्क्लूडेड है। माननीय गौरीशंकर राय जी को मैंने इसके लिये धन्यवाद दिया था और कहा था कि जो सुझाव वे देंगे कमीशन के सामने भेज दिये जावेंगे। वैसे भी माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वे कमीशन को अपने सुझाव भेजें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--टर्म्स आफ रेफरेंस की संख्या ५ में यह लिखा हुआ है :--

"(5) to examine and recommend the pattern on which the University of Gorakhpur should be developed and whether the colleges affiliated to the Gorakhpur University should be allowed to open post-graduate classes,"

तो मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को रूरल विश्वविद्यालय बनाने की चर्चा थी, क्या उसके बारे में कमीशन इन्क्वायरी करेगा और राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में वर्णित टेरीटोरियल यूनिवर्सिटी की दृष्टि से जांच करेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस विषय पर तो पहले भी इस आदरणीय सदन में वाद-विवाद हो चुका है कि किस पैटर्न पर उसको डेवलप किया जाय। रूरल यूनिवर्सिटी की कल्पना के विषय में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि इसके विषय में बहुत विचार हुआ है। आचार्य जुगल किशोर कमेटी ने भी कहा कि यह ठीक-ठीक समझ में नहीं आया कि रूरल यूनिवर्सिटी क्या हो सकती है। किस पैटर्न पर वह डेवलप करें, इस बारे में राय अवश्य देंगे और उनसे राय देने के लिये कह रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय--अध्यक्ष महोदय, हमें कुछ और कहना है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बतलाया कि वे जानते नहीं हैं कि शिक्षा शास्त्री की परिभाषा क्या है। यह सुन कर मेरी समझ में एक बात आयी कि एक मिस्त्री जो होता है या एक इंजीनियर जो होता है या एक वैज्ञानिक जो होता है उससे शिक्षा शास्त्री का एक बिलकुल अलग ही स्थान है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि पंडित जी शिक्षा शास्त्री की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हैं फिर भी उन्होंने ऐसी भ्रमात्मक बात कही जो कि नहीं होनी चाहिये थी। मैं जानता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंडित जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षा शास्त्री किसे कहते हैं।

एक बात अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि जिस तरह का टर्म्स आफ रेफरेंस इस कमीशन का रखा गया है, उसको बदलने की बड़ी आवश्यकता है। अब कोई अपने गदहे को अरबी घोड़ा कहने लगे तो मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इस टर्म्स आफ रेफरेंस के रहते हुये इसे कमीशन का नाम न देकर किसी अपनी कमेटी का नाम दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह जो टर्म्स आफ रेफरेंस लिखा हुआ है वह बेग है। खास तौर से नं० १२ तो बिलकुल ही बेग है। श्रीमन्, यदि किसी सभा के अध्यक्ष के लिये यह लिखा हो कि अगर अध्यक्ष की आज्ञा से यह आवश्यक समझा जाय तो कोई विषय आ सकता है, इस तरह का कोई टर्म्स आफ रेफरेंस नहीं होता है। यह बिलकुल रिडिकुलस और मजाक की सी बात है। इस तरह से बेग आमीशन और कमीशन का जिक्र करके आप अपने को संतुष्ट भले ही कर लें, लेकिन मैं समझता हूं कि यह गलत बात है।

श्रीमन्, अब मैं एक खट्टी बात कहना चाहता हूं। जहां हम लोग चाहते हैं कि जुडिशियरी को यह काम सौंपा जाय वहां तो वह उसे सौंपा नहीं जाता और जहां हम लोग नहीं चाहते हैं वहां पर वह काम जुडिशियरी को दिया जाता है। इस तरह से मैं समझता हूं कि जुडिशियरी को भी डिमोरेलाइज करने की चेष्टा की जा रही है। इस तरह से यह होगा कि लोग इंतजार करेंगे कि हमें भी किसी कमीशन में जाने का मौका मिल जाय, इसीलिये मैं कहता हूं कि इसमें शिक्षा शास्त्रियों का खास स्थान होना चाहिये।

श्रीमन्, प्रदेश के सब अखबारों ने अपना एडिटोरियल निकाला और शिक्षा शास्त्रियों ने भी कहा कि इस कमीशन के परसोनेल की बात मोस्ट डिसएप्वाइंटिंग है। क्या उन्होंने अखबारों में इस चीज को नहीं पढ़ा? क्या उनके यहां नकल अखबारों की कोई दूसरी जाती है, जो अखबार मैं पढ़ता हूं क्या उसकी नकल उनके पास नहीं जाती? अगर कहें तो मैं अपना अखबार उनके पास पहुंचा दूं कि जनमत क्या है।

श्री अध्यक्ष--यह और अच्छा होगा कि आप पहुंचा दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमन्, माननीय गौरीशंकर राय की बातों का जवाब देना भी कठिन है, इसलिये कि मैं तो देख रहा हूं कि उनका सारा क्रिटिसिज्म बेग के ऊपर हुआ और उनका सारा क्रिटिसिज्म बेग रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो टर्म्स आफ रेफरेंस नं० १२ है जो उनको बेग मालूम पड़ता है, वह इतनी व्यापक है कि उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं रह जाती किसी प्रकार के शक व शुबहा करने की।

जहां तक शिक्षा शास्त्री की बात उन्होंने कही, यह ठीक है कि मैं शिक्षा शास्त्री की परिभाषा जानता हूं, लेकिन उसका सीधा-सादा अर्थ मैं यही समझता हूं कि ऐसा व्यक्ति जिसका शिक्षा शास्त्र से जीवन पर्यन्त संबंध रहा हो, उसका अनुभव हो तथा उसके बड़प्पन और गुरुता को भी समझता हो, जो उसमें दिलचस्पी भी रखता हो। इसीलिये इस कमीशन में ऐसे शिक्षा शास्त्रियों को रखा गया है जिनको अपने विषय का विशेष ज्ञान है या वे उस विषय के विशेषज्ञ हैं। जैसे श्री बी०बी०लाल, आई० सी० एस० हैं वे फाइनेंस के मामले को देखते हैं और इसी के लिये विशेष रूप से रखे गये हैं, रिसर्च के मामले को देखने के लिये विशेष रूप से हमारे डाक्टर मुकर्जी उसमें मौजूद हैं, प्रशासन के मामले को देखने के लिये कि प्रशासन किस ढंग से चल रहा है, इसके

लिये एक ऐसा व्यक्ति जिनका प्रशासन से विशेष संबंध रहा है और जो प्राध्यापक रह चुके हैं, लेकिन उनका अब यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, श्री सप्रू को रखा गया है। इसी तरह से नियुक्तियों के संबंध में कि नियुक्तियां उचित होती हैं या अनुचित होती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, एक्जीक्यूटिव कौंसिल के भी मेम्बर रहे हैं, और शिक्षा शास्त्री भी हैं, उनको इस काम के लिये रखा गया है। तो इस दृष्टि से मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि न तो कमीशन के परसोनेल में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है और न उसके टर्म्स आफ रेफरेंस को बदलने की आवश्यकता है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
९ सितम्बर, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९३ पर)

दिनांक जुलाई २८, १९६० को श्रीमती कम्पूरी पत्नी मानफूल जतेव, निवासी जिला हिन्दन, राजस्थान अपने पति तथा दो बच्चे सहित देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी से मथुरा जा रही थीं। सो जाने के कारण यह परिवार आगे बढ़ कर कोसी कलां स्टेशन पर ६ बजे प्रातःकाल उतरा। रेलवे पुलिस का सिपाही राम स्वरूप जातेव जो उस समय उक्त स्टेशन पर डयूटी पर था किसी प्रकार से इस परिवार को अपने क्वार्टर में, जहां वह अकेला रहता था, ले गया। थोड़ी देर बाद सिपाही ने उसके पति को बाजार भेज दिया और श्रीमती कम्पूरी के साथ बलात्कार किया। जब उसका पति लौटकर आया महिला ने उसे इस घटना की सूचना दी। उसके पति के विरोध करने पर परिवार को सिपाही ने क्वार्टर से धमका कर निकाल दिया। यह लोग स्टेशन गये और स्टेशन मास्टर से रिपोर्ट की। यह महिला तीन महीने से गर्भवती थी, बहुत रुधिर बह जाने से बेहोश हो गई और अस्पताल भेज दी गई। जब इसकी सूचना जनता को मिली तो लगभग ६०० व्यक्ति कोसीकलां स्टेशन पर एकत्र हो गए और दो गाड़ियों को जो उस समय स्टेशन पर खड़ी थी जाने से आधे घंटे तक रोक रखा।

जनता को यह समझाया गया कि अपराधी सिपाही को इस सम्बन्ध में धारा ३७६ भा० द० वि० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है और उचित कार्यवाही हो रही है। इसके पश्चात् जनता चली गई। मामले में अनुसंधान हो रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९९ पर)

No. F. 4—7/57—H. 2.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTERY OF EDUCATION

New Delhi, Dated the 21st January, 1960/1st Magh 1881 (Saka)

FROM

SHRI R. P. NAIK, I.C.S.,

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA,

TO

THE CHIEF SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Subject : **Reform in Devanagari Script**

SIR,

You would recollect that the question of reform of the Devanagari Script had been engaging the attention of Government for quite some time and finally a conference was convened for the purpose by the Government of Uttar Pradesh in Lucknow in November, 1953. Certain recommendations were made by this Conference and the Government of India accepted them in 1955. They also recommended to all the State Governments to give effect to these recommendations in all Governments activities where Devanagari script was being used. Subsequently, we received the reactions of the various State Governments and found that some of them did not fully agree to the recommendations of the 1953 Lucknow Conference. During the course of four years from 1953 to 1957 even the Government of Uttar Pradesh (which had fully accepted these recommendations) experienced several practical difficulties in its efforts to implement them. The Government of Uttar Pradesh, therefore, convened another conference in October, 1957 to reconsider the question. The 1957 Conference reaffirmed the decisions of the earlier conference with certain modifications.

2. The matter was re-examined in this Minsitry and it was placed before the Education Ministers' Conference held on the 8th and 9th August, 1959. The Conference of Education Ministers accepted the recommendations of the 1953 Conference with the modifications made at the Lucknow Conference held in 1957, together with certain clarifications. The Government of India have now finally accepted the recommendations made by the Education Ministers' Conference (as shown in the enclosed note and alphabetical chart,) including the recommendation that hereafter there should be no unilateral change in the Script in future.

3. The Government of India suggest that the State Governments may also adopt the reformed script in all spheres of Government activity where Devanagari script is at present being used.

4. It is requested that receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,
(Sd.) R. P. NAIK,
Joint Secretary.

(संशोधित हिन्दी वर्णमाला)

स्वर—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ए ऐ ओ औ अं अः

मात्राए—

ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ ं ः ।

व्यन्जन—

क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ।
ट ठ ड ढ ण।
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
श ष स ह ड़ ढ़ झ
क्ष ज्ञ ज्ञ।

अंक—

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ०.

स्पष्टीकरण—

हिन्दी में ॠ (दीर्घ ॠ) का प्रयोग नहीं होता, अतः इसे स्वरों में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

संयुक्ताक्षर—

(क) खड़ी पाई वाले व्यञ्जन :

ख ग घ च ज झ ण त थ
ध न प ब भ म य ल व श ष क्ष ज्ञ।

खड़ी पाई वाले व्यञ्जनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटा कर ही बनाया जाना चाहिये। यथा

ख्याति, लग्न, विघ्न,
कच्चा, छज्जा, व्यञ्जन
नगण्य,
कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, व्यास,
प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य,
शय्या, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, स्वीकृत, यक्ष्मा ।

यह नियम "र" से बनने वाले संयुक्ताक्षरों के लिये लागू नहीं होगा। उस सम्बन्ध में नीचे अलग से उपबन्ध है ।

(ख) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर बनाने का वर्तमान ढंग ही कायम रहेगा। यथा

संयुक्त , पक्का—दफ्तर ।

(संयुक्त, पक्का, दफ्तर नहीं ।)

(ग) ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, और द के संयुक्ताक्षर हल् चिन्ह लगा कर ही बनाये जायें। यथा

वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या आदि

वाङ्मय, लट्टू बुड्ढा, विद्या नहीं ।

(घ) संयुक्त 'र' के पुराने तीनों रूप यथा वत् रहेंगे। जैसे :

प्रकार, धर्म, राष्ट्र ।

(ङ) 'प्र' का पुराना रूप जैसा 'श्री' में है, वैसा ही कायम रहेगा।

(च) 'त्र' के स्थान पर अब 'त' और 'र' का संयुक्त अक्षर 'त्र' रहेगा।

(छ) 'ह्' का संयुक्त रूप वर्तमान प्रणाली के साथ ही हल् चिन्ह लगा कर भी किया जा सकेगा। यथा चिह्न और चिह्न

चिह्न नहीं।

(ज) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे।

४—अन्य निश्चय जो १९५३ में हुए थे वे ही कायम रहेंगे। यथा :

(१) शिरो रेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

(२) (क) फुलस्टाप को छोड़ कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिये जावें जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं यथा :

(— , ; ! ? । :)

(विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न भी मान लिया जाय।

(ख) पूर्ण विराम के लिये खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाय।

(ग) जहां तक सम्भव हो टाइपराइटर के मुद्रीपटल में निम्नलिखित चिह्नों को सम्मिलित कर लिया जाय :

(‚ ' , % " ( ) + × ÷ * = -)

(३) अनुस्वार और आनुनासिक दोनों (ं ँ) प्रचलित रहेंगे।

वेबदुनिया मराठी

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०५ पर)

थाना डिबाई के अन्तर्गत उन ग्रामों के नाम जहां के ग्रामीणों ने चोरों को मौके पर पकड़ा—

सन् १९५९	सन् १९६०
१—ग्राम बिलौना रूप	१—ग्राम नौदोई
२— ,, नगला राजी	२— ,, घुसराना
३— ,, नगला मऊ	३— ,, पलाकसेर
४— ,, डिबाई	४— ,, राम नगर
५— ,, पलाकसेर	५— ,, जलालपुर जट
६— ,, तलबार	६— ,, सैदवा
७— ,, खेरपुर	७— ,, रामपुर
८— ,, ———	८— ,, उदयगढ़ी
	९— ,, गंगागढ़

संसदीय प्रतिष्ठान

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६ पर)

श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी द्वारा अपने दिनांक २६-६-६० के पत्र में अंकित मुख्य आरोप

१—श्री त्रिपठी को कई बार जेल में ठूंस दिया गया तथा उनकी हत्या करने के प्रयास किये गये। ऐसा एक प्रयास उन पर दिनांक १३-६-६० को किया गया जिसके सम्बन्ध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के पास एक रिपोर्ट लिखाई।

२—जुडीशियल आफिसर, आजमगढ़ ने भा० द० वि० की धारा ५००/५०२ के अन्तर्गत एक फर्जी कार्रवाही कर गिरफ्तार कर लिया है और जेल में बन्द कर रखा है।

३—श्री त्रिपाठी को न्यायालय से अनुपस्थित घोषित कर दिया गया था जब कि वे वास्तव में वहां उपस्थित थे तथा उनके नाम गिरफ्तारी का एक वारेंट जारी किया गया था और दंड विधि प्रक्रिया की धारा ८७/८८ के अन्तर्गत उनकी सम्पति कुर्क कर ली गई थी।

४—धारा ५०० व ५०२ जमानती धाराएं हैं, किन्तु जमानत स्वीकार नहीं की गई। यहां तक कि जिला जज पर प्रभाव डाला गया कि उनकी जमानत स्वीकार न की जाय।

५—श्री त्रिपाठी ने दिनांक १७-६-६० को जिलाधीश, आजमगढ़ को सूचित किया था कि उनके ३ तथा ५ वर्षीय अवयस्क बच्चों की ठीक से देख-रेख की जाय किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६ पर)

जिला एटा के थानों के नाम जहां सन् १९५८ में चोरियां तथा डकैतियां हुईं

सन् १९५८ चोरियां थाना नाम	सन् १९५८ डकैतियां थाना नाम
१—अलीगंज	१—अलीगंज
२—कासगंज	२—कासगंज
३—गंजडुंडवारा	३—गंजडुंडवारा
४—पटिबाली	४—पटियाली
५—मारहरा	५—कोतवाली
६—कोतवाली	६—सिढपुरा
७—सिडपुरा	७—जैथरा
८—जैथरा	८—निचौली कलां
९—निचौली	९—सकीट
१०—सकीट	१०—अमांपुर
११—सहाबर	११—सोरों
१२—अमांपुर	१२—जलेसर
१३—सोरों	
१४—अवागढ़	
१५—जलेसर	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०७ पर)

परिवहन संगठन में वित्तीय वर्ष १९५८–५९ व १९५९–६० अप्रैल तक टैक्सियों द्वारा अर्जित, प्राप्त और अवशेष आय का विवरण

वर्ष		अर्जित आय	प्राप्त आय	अवशेष आय जो वसूल होना है
		रु०	रु०	रु०
१९५८–५९	..	७,७९,५२८.९७	६,२३,७२५.९१	१,५५,८०३.०६
१९५९–६० अप्रैल तक	..	३,८१,६१२.४०	२,४३,३२१.३४	१,३८,२९१.०६

परिवहन संगठन में वित्तीय वर्ष १९५८–५९ व १९५९–६० अप्रैल तक टैक्सियों की अवशेष आय का रीजनवार विवरण

रीजन			१९५८–५९	१९५९–६० अप्रैल तक
			रु०	रु०
१—आगरा ..	..	..	३,०९१.९२	३६,५२५.७२
२—इलाहाबाद	..	..	४५,८५२.२४	२५,३७२.१५
३—बरेली (कुमायूं सहित) ..		..	२२,५९९.४८	११,३६०.८५
४—गोरखपुर	..	..	३७,९९३.६५	१३,७७८.४६
५—कानपुर ..	..	..	५,२३६.३७	२,८५०.६५
६—लखनऊ ..	..	..	१८,१८७.४३	३०,३७०.४५
७—मेरठ (गढ़वाल सहित) ..		..	२२,८४१.९७	१८,०३२.७८

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०७ पर)

१-२-६० से ३१-७-६० तक खटीमा टनकपुर व सितारगंज थाने में हुए अपराधों का विवरण

क्रम-संख्या	नाम थाना			कत्ल	डकैती	चोरी
१	खटीमा	..	..	—	—	१७
२	टनकपुर	..	..	१	—	७
३	सितारगंज	..	..	१	—	१६

विधान सभा

पी० एम० यू० पी०—ए० पी० १६३ एल० ए०—१९५९—८४५।